खण्ड-315, अंक-5
सोमवार, 17 चैत्र, शक संवत् 1897
(7 अप्रैल, 1975 ई0)

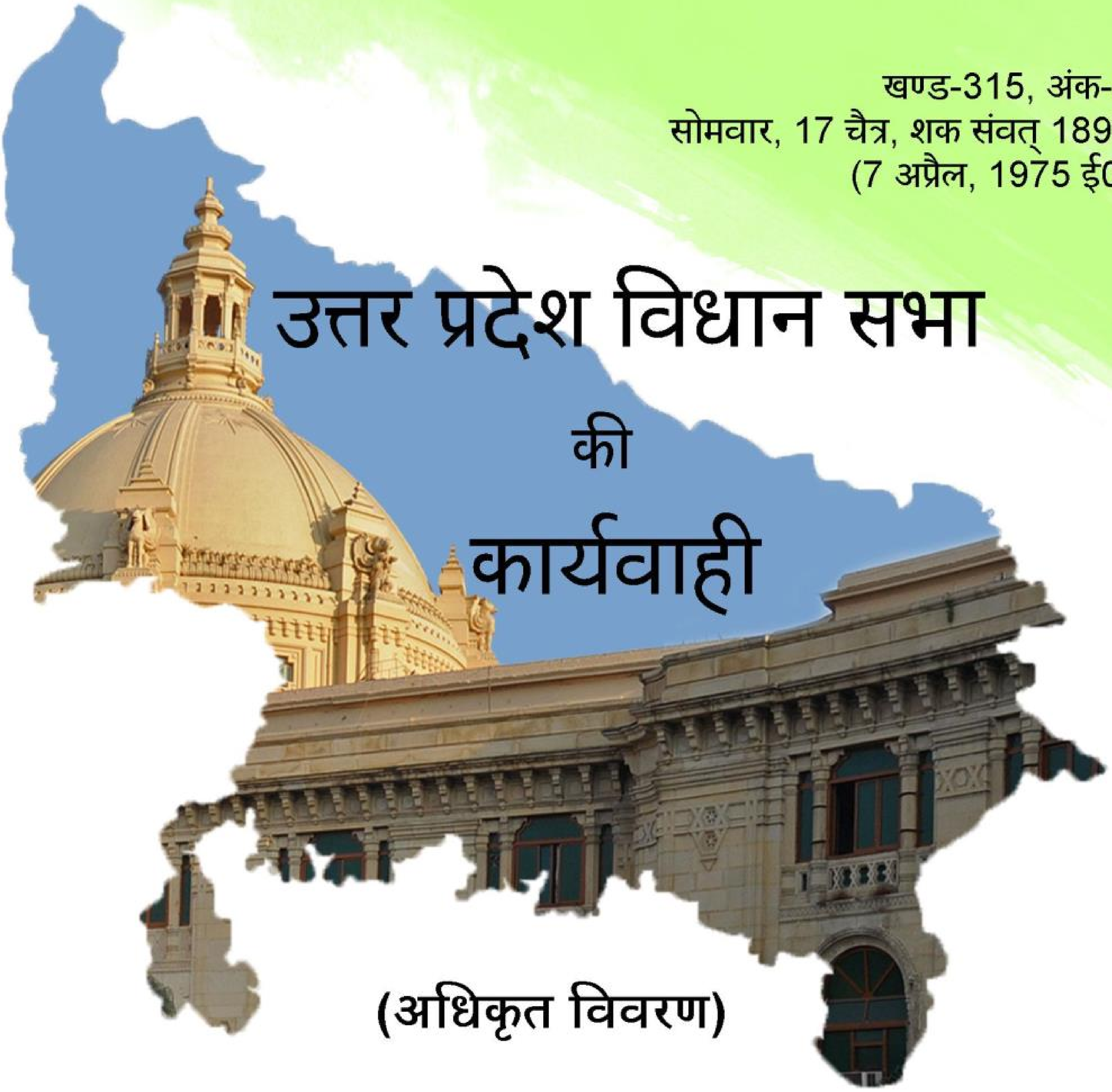

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 315 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	445–448
प्रश्नोत्तर	449–475
स्वायत्त शासन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	475
सहकारिता मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	475–476
वन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	476–480
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	480–482
1975–76 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 41–सहकारिता, अनुदान संख्या 49–पशुपालन, अनुदान संख्या 50–दुग्धशाला (डेरी) विकास, अनुदान संख्या 61–मत्स्य उद्योग, अनुदान संख्या 72––सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 79–पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 91––ऋण और अग्रिम-सहकारिता (स्वीकृत)	482–508
अनुदान संख्या 37––श्रम एवं सेवायोजन (स्वीकृत)	508–534
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	534–535
आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना	536
नस्थियां	537–550

उत्तर प्रदेश सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 7 अप्रैल, 1975

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ, में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री बासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—339

अंगनेलाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील (एडवोकेट), श्री उर्फ जिमी मियां
अनिरुद्ध राय, श्री
अब्दुलरऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री

चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जूसिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जयराज गौतम, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दल सिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रिय दर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूलाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री

भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भोखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह,श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनी राम, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान बहादुर सिंह,श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
राम गरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी लालकेन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री

सत्यमेव जयते संसद सभा

राम बाबू, श्री
राम मूर्ति, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसमुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
रम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
ललन शर्मा, श्री
लालू राम श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिव चरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द वाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सत्य सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ लब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकमसिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमराज, श्री

नोट—लघु उद्योग मंत्री, श्री इस्तफा हुसैन, स्वास्थ्य शासन मंत्री, श्री जगदीश शरण अग्रवाल एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री, श्री शिव प्रसाद सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 7 अप्रैल, 1975

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

शकर मिल मजदूर यूनियन, हरदोई के नेता द्वारा मिल मजदूरों की मांगों के संबंध में आमरण अनशन

*** 1--श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि शक्कर मिल मजदूर यूनियन, शुगर मिल कालोनी, हरदोई के मंत्री (श्री रामावतार शर्मा) ने सरकार को मार्च, 1975 के प्रथम सप्ताह में अपनी मांगों को पूरा न किये जाने के विषय पर मजदूर नेता भगवती प्रसाद गुप्ता एवं प्रभु दयाल कपूर द्वारा मिल गेट पर दिनांक 21 मार्च, 1975 से आमरण अनशन करने की सूचना दी है ? यदि हां, तो मजदूरों की मांगें क्या हैं तथा उनकी मांगों को पूरा करने तथा आमरण अनशन को रोकने की दिशा में शासन ने अविलम्ब क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)--

जी हां। मांगों की सूची संलग्न है। सहायक श्रमायुक्त के हस्तक्षेप के फलस्वरूप 25-3-1975 की रात्रि से भूख हड़ताल समाप्त हो गई। मांगों पर समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों पक्ष पुनः 9-4-1975 को सहायक श्रम आयुक्त, लखनऊ के समक्ष वार्ता हेतु उपस्थित होंगे।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 537 पर)

श्री हरिकेवल--

मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उनको मालूम है कि 31 जनवरी, 1974 को श्रम विभाग, मजदूरों और मिल-प्रबन्धकों इन तीनों के बीच मजदूरों की मांगों के संबंध में कोई समझौता हुआ था, जिसे मिल प्रबन्धक नहीं मान रहे हैं ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, मांगें रखना अलग बात है उनकी मांगों की रैशनैलिटी अलग बात है तथा मांगें जो उचित मांगें हैं, उनके बारे में समझौता वार्ता द्वारा ही कुछ होता है। यदि यह सब सफल नहीं होता है, तब ही सरकार की ओर से कोई कार्यवाई का प्रश्न उठता है।

श्री हरिकेवल--

मन्त्री जी ने जो सूचना दी, मैं उसके बारे में वास्तविकता बताना चाहता हूं कि एग्रीमेन्ट हो चुका था मजदूरों और मिल प्रबन्धकों के बीच और उसी आधार पर वहां के मजदूर चाहते हैं कि उनका हक मिले, किन्तु मिल प्रबन्धक उसे न मानकर उनका हक उन्हें नहीं दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उस एग्रीमेन्ट को पूरा कराने के लिये कौन सी कार्यवाई करेगी ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, इनके एलिगेशन नम्बर एक में ही है--यूनियन द्वारा प्रेषित कर्मचारियों की मांगें दिनांक 31-1-1974 को मिल प्रबन्धकों ने अभी तक रद्दी की टोकरी में डाल रखा है, अविलम्ब माना जाए। तो एग्रीमेन्ट का प्रश्न ही नहीं है, यह उन्होंने माना था। उन्होंने कहा कोई विचार ही नहीं किया गया है। यह मांगों में ही नहीं है तो पता नहीं माननीय सदस्य किस आधार पर यह कह रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

31 जनवरी, 1974 को एक एग्रीमेन्ट प्रबन्धकों, मजदूर लीडर्स और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के बीच में हुआ। जो स्ट्राइक नोटिस दी गई है, उसमें डिमाण्ड्स तो बहुत सी हैं, लेकिन दो मांगें मुख्य हैं, एक, 21 जनवरी के एग्रीमेन्ट को लागू करना और सरकारी जी0 ओ0 को लागू करना। किन्तु वहां के प्रबन्धक दोनों चीज को लागू नहीं कर रहे हैं। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने कोई समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इन्कार कर दिया, तो मैंने उसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को दी। ऐसी स्थिति में क्या मन्त्री जी अपने व्यक्तिगत प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे कि वह उस एग्रीमेन्ट और गवर्नमेन्टआर्डर्स को माने ? और फिर भी यदि नहीं मानते तो क्या उसे प्रासीक्यूट करने की कृपा करेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, मुझे दुख: इस बात का होता है कि मुझ से बिना बातचीत किए हुए कोई व्यक्ति भूख-हड़ताल पर चला जाए। इसमें भी ऐसा ही हुआ और उसके कई दिन बाद माननीय सदस्य मुझसे मिले। तो इससे साफ मालूम हुआ कि वह सरकार को कांफीडेन्स में नहीं लेना चाहते हैं। उन्होंने एकतरफा कार्यवाई की। इस पर भी जब माननीय सदस्य मुझसे मिले तो मैंने उनसे यह अवश्य कहा कि उचित मांगें जानकर कार्यवाई करेंगे। इसमें लेबर कमिश्नर के सामने उभय पक्ष उपस्थित हुए। यह भी एक विचारणीय बात है कि वहां पर दो यूनियनें हैं। एक यूनियन मांग कर रही है और दूसरी उस तरफ से उदासीन है। इसीसे साफ होता है कि इसका पूरा और अच्छा असर मालिकों पर नहीं पड़ रहा है। दोनों साथ मिल कर करते तो अच्छा प्रभाव पड़ता। फिर भी मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके देखूंगा कि शायद कोई समझौता हो जाए।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 31 जनवरी, 1974 को जिस वक्त उन्होंने लिख कर भेजा था, उनकी प्रमुख मांगें क्या थीं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मांगें संलग्नक में दी हुई हैं। 11 मांगें थीं। नम्बर 1— यूनियन द्वारा प्रेषित कर्मचारियों की मांगें दिनांक 31-1-75 ई0 जो प्रबन्धकों ने अभी तक रद्दी की टोकरी में डाल रखा है अविलम्ब मानी जायं। नम्बर 2—

श्री अध्यक्ष—

पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मजदूर और श्रम विभाग के अधिकारी और प्रबन्धक में कोई समझौता हुआ था ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, मेरी जानकारी में इस बात की कोई इत्तला नहीं आयी कि कोई लिखित समझौता हुआ हो। जबानी कोई बातें हुई हों उसकी जानकारी नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी जो ये दो चीजें दी गयी हैं—अनिवार्य बचत योजना की शर्तों का उल्लंघन करके सीजनल कर्मचारियों के वतन से अब जो कटौती करना शुरू कर दिया है अविलम्ब रोक दिया जाये तथा कटा हुआ धन तुरन्त वापस कर दिया जाये। एक बात। दूसरे, वर्ष 1972-73 ई0 के न्यूनतम से अधिक बोनस का फैसला हो चुका है बोनस का यह धन श्रमिकों में होली के त्योहार के पहले बांट दिया जाय। इन दोनों मांगों के बारे में तुरन्त कार्यवाही करने की कृपा करेंगे क्योंकि फैसला हो चुका है ?

श्री राजमंगल पांडेय--

जैसा कि क्लाज तीन में देखेंगे---वर्ष 1972-73 ई0 के न्यूनतम से अधिक बोनस का फैसला हो चुका है। वह यह कहते हैं कि होली के पहले बांट दिया जाय। प्रश्न केवल इतना ही था। "बोनस का यह धन श्रमिकों में होली त्योहार के पहले बांट दिया जाय"।

श्री ऊदल--

होली के पहले क्या बांटा गया? यही पूछ रहे हैं।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

मैं जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से सरकारी आदेश हैं जिसका पालन प्रबन्धक ने नहीं किया है?

श्री राजमंगल पाण्डेय---

माननीय सदस्य के कुछ समझने में भूल हुई है। सरकारी आदेश कोई नहीं थे।

श्री त्रिवेणी सहाय--

कौन सा जी0ओ0 है जिसको आपने कहा है कि डिसओबे किया है?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

[7 अप्रैल, 1975 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1--श्री मुहम्मद असरार अहमद---

[दूसरे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 19 पर उत्तरित।]

बजट के घाटे की पूर्ति हेतु लगाये गये कर

*2---श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान बजट के घाटे को पूरा करने के लिये अभी हाल में सरकार ने विभिन्न वस्तुओं पर कर लगाये जाने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

बजट का घाटा पूरा करने के लिये 1974-75 के बजट भाषण में जिन करों का उल्लेख किया गया था प्रायः उन्हें सभी के बारे में आदेश जारी हो गये हैं। उनके अलावा कराधान के कुछ अन्य उपाय भी किये गये हैं। इन सबका ब्योरा संलग्न सूची में दिया है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ. . 538 पर)

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि 1974-75 में यह वृद्धि किन-किन मामलों में कब से लागू की गयी, 1974-75 में कितनी आमदनी हुई और 1975-76 में कितने का अनुमान है?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

स्टैम्प ड्यूटी की दरों में वृद्धि 25-5-74 से, मनोरंजन कर की दर में वृद्धि 22-7-74 से, माल पर कर की दर में वृद्धि 1-4-74 से, मोटर गाड़ियों में रोड टैक्स की दरों में वृद्धि 1-10-74 से, भारी गाड़ियों पर भार क्षमता पर 10 जून, 1974 से मोटर स्पिरिट पर बिक्रीकर की दरों में वृद्धि 2-5-74 से, बिक्रीकर की अलग-अलग दरें 15-4-74 से और दूसरी 11 जून से लागू हुईं। गन्ना क्रय कर की दरें सीजन शुरू होने पर लागू हुईं। कुल मिलाकर 1974-75 में आदमनी का अन्दाजा 52 करोड़ 90 लाख था और 1975-76 में जैसा कि बजट भाषण में अन्दाजिया 112.72 करोड़ लिखा था, लेकिन 111.72 करोड़ के लगभग होगा।

नगरपालिका व महापालिका क्षेत्र में गेहूं की बढ़ी हुयी मात्रा उपभोक्ताओं को न मिलना

*3—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या रसद एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1975 से प्रदेश में नगरपालिकाओं एवं महापालिकाओं में गेहूं की मात्रा प्रति इकाई दो सौ ग्राम बढ़ा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि बढ़ी हुयी यह मात्रा गोरखपुर नगर में उपभोक्ताओं को नहीं मिली ? क्या तथ्यों की जांच कर पूरा विवरण मंत्री महोदया सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगी ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

जनवरी 75 से समस्त नगरपालिकाओं व महापालिकाओं में गेहूं के राशन की मात्रा 200 ग्राम प्रति यूनिट बढ़ाये जाने के कोई आदेश नहीं हुये। फरवरी, 1975 के द्वितीय पक्ष में कुल 28 स्थानों पर (जिनमें गोरखपुर सम्मिलित है) गेहूं/आटा के राशन की मात्रा 500 ग्राम प्रति यूनिट प्रति पक्ष की दर से बढ़ाने के आदेश दिये गये। गोरखपुर नगर में इन आदेशों के अनुसार राशन की मात्रा बढ़ाई तो गई, लेकिन वितरण की दर फिर भी शासन द्वारा निर्धारित दर से कम रही क्योंकि जिस मिल से आटा प्राप्त होना था उसके द्वारा गेहूं न उठाये जाने के कारण पूरा आटा प्राप्त नहीं हो पाया तथा इसके अतिरिक्त गोरखपुर नगर में यूनिटों की कुल संख्या 1971 की जन संख्या को देखते हुये बहुत अधिक है। शासन द्वारा निर्धारित दर पर राशन बंटवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये जिलाधिकारी को लिखा गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मंत्री जी बतायेंगी कि फरवरी में जो 500 ग्राम बढ़ाने का शासनादेश हुआ था उसके सिलसिले में गोरखपुर नगरपालिका क्षेत्र में अतिरिक्त आटा या गेहूं दिया गया या नहीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

आटा और गेहूं का बढ़ा हुआ अलाटमेन्ट तो हुआ लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 1971 की जनगणना के अनुसार जितनी यूनिटें होनी चाहिये वह 2,54,002 हैं। लेकिन सीमावर्ती कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं और फर्टिलाइजर फैक्टरी है और जेल आदि संस्थायें हैं उनको मिलाकर उसी में से बांट दिया। इसलिये प्रतियूनिट को जितना कि शासनादेश था उससे कम मिला। जब हमारी नोटिस में यह चीज आई तो हमने फर्टिलाइजर फैक्टरी के लिये तथा पी० ए० सी० के लिये अलग से व्यवस्था की है। 147 टन की जो कमी थी उसको पूरा किया गया है। फिर भी कुछ ग्रामीण अंचल शामिल कर दिये गये हैं। उनको देखा जा रहा है कि कैसे ठीक किया जा सकता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मंत्री जी ने प्रश्न को काम्पलीकेटेड मामला बना दिया है। जो एलाटमेन्ट हुआ उसमें कुछ ज्यादा किया नहीं। लेकिन अपका कहना यह है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में और फर्टिलाइजर फैक्टरी में बांट दिया तो क्या उससे पहले भी इनको बांटा गया था ? जो इस बार बंटा उसे बांटने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, यह तो बंटता चला जा रहा था। हुआ यह कि जनवरी में यह विचार किया गया कि चावल की फसल आ गई है बाजरा में जो उन सभी स्थानों में जहां चावल आ गया है उसको कम करके गेहूं की मात्रा बढ़ा देना चाहते थे ताकि चावल बचा लिया जाय। जो बाद में दिया जा सकेगा। तीन किलो चावल और दो किलो गेहूं दिया जाता था। हमने यह किया कि दो किलो चावल और तीन किलो गेहूं कर दिया। जो गेहूं बढ़ा था उसको एक पक्ष में 500 ग्राम और 500 ग्राम दूसरे पक्ष में किया गया। मैंने उत्तर में भी बतलाया था कि गेहूं के साथ-साथ आटा भी सम्मिलित था। लेकिन मिल ने गेहूं उठाया नहीं था।

इस कारण जितनी मात्रा में आवंटन स्वीकार था वह पहुंच नहीं पाया। इसी कारण शासन के आदेश होने पर भी कि सबको मिलना चाहिये वह पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं सका।

श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)---

मैं आपके द्वारा माननीय फूड मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि जब सरकार ने आदेश दिया है कि इतना गल्ला मिलना चाहिये और जब यह सामने आया कि पूरा गल्ला नहीं दिया जा रहा है तो शासन ने तुरन्त कदम क्यों नहीं उठाया ? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप यह महसूस करती हैं कि आदेश दिए कि गल्ला पहुंच जाये लेकिन समय से नहीं पहुंचा तो आपने क्यों नहीं कार्यवाही की ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मिलों को गेहूं पीसने के लिये एफ० सी० आई० की तरफ से भारत सरकार आवन्टित करती है। वहां के मिल ने गेहूं उठाया नहीं इस वजह से जो उसके साथ अटैच आटा मिलना चाहिये वह नहीं पहुंच पाया। यह दिक्कत हमारे सामने आयी।

श्री अध्यक्ष---

श्री मंजूर अहमद (श्री मंजूर अहमद के खड़े न होने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण सवाल रह गया।

श्री अध्यक्ष---

आप खड़े नहीं हुए। प्रश्न संख्या 7।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)---

मान्यवर, मैं तो यहीं पर हूं।

श्री अध्यक्ष---

हैं तो, खड़े क्यों नहीं हुए।

श्री मंजूर अहमद---

मैंने सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष---

अच्छा, प्रश्न संख्या 4।

सरकार द्वारा अधिग्रहीत चीनी मिलों में आमदनी और घाटा

*4--श्री मंजूर अहमद---

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के अधीन चलने वाली शुगर फैक्टरियों की पिछले 5 वर्षों में आमदनी क्या है ? क्या यह सही है कि फैक्ट्रियां घाटे में चल रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

सरकार के द्वारा अधिग्रहीत 5 चीनी मिलों में से प्रत्येक की आमदनी व घाटा अलग-अलग आंका जाता है।

जी हां---5 में से दो चीनी मिलें 1-2 वर्ष लाभ में व अन्य वर्षों में घाटे में चलीं व तीन चीनी मिले बराबर घाटे में चलीं।

कारण यह है कि शासन द्वारा उन्हीं रुग्ण चीनी मिलों का अधिग्रहण किया गया था जो जीर्ण-शीर्ण दशा में थीं और इस बात की सम्भावना थी कि यदि वे अधिग्रहित न की गईं तो बन्द हो जायेंगी। अतः श्रमिकों, गन्ना उत्पादकों एवं जनहित में उत्पादन चालू रखने के लिये मिलों का अधिग्रहण किया गया। मिलें बहुत पुरानी हैं। इनकी पिराई क्षमता भी कम है।

श्री मंजूर अहमद--

मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं किस मिल में वर्षवार कितना घाटा रहा।

श्री अध्यक्ष---

सब पूरा ब्योरा 5 मिलों का ?

श्री मंजूर अहमद---

अलग-अलग।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

सखौती टांडा	71–72	5.68 लाख,
	72–73	24.97 लाख और
	73–74	79.61 लाख का घाटा रहा।
बाराबंकी ..	71–72	1.78 लाख का घाटा
	72–73	5.43 लाख का घाटा
	73–74	9.42 लाख का घाटा रहा।
मोहिउद्दीनपुर ..	71–72	9.53 लाख का घाटा
	72–73	17.09 लाख का घाटा
	73–74	57.27 लाख का घाटा रहा।
खड्डा ..	71–72	3.53 लाख का लाभ
	72–73	13.62 लाख का घाटा
	73–74	27.88 लाख का घाटा रहा।
भटनी ..	71–72	1.43 लाख का मुनाफा
	72–73	7.88 लाख का मुनाफा
	73–74	3.73 लाख का घाटा रहा।

इसके अलावा जिन मिलों में रिसीवर नियुक्त हैं उनके भी आंकड़े सुविधा के लिये मंगा लिये। तो जानकारी के लिये सितम्बर, 1973 की बैलेन्स शीट के अनुसार बुढ़वल में 16.41 लाख का घाटा रहा। कुन्दन (अमरोहा) में 30 जून, 74 को 66 लाख का घाटा रहा। पन्नी जी में उसी वर्ष 31 अगस्त, 73 को 6.98 लाख का घाटा रहा। रामकोला में 30 जून, 1974 को 15.52 लाख का घाटा रहा और बिजनौर में 8.24 लाख का घाटा रहा।

सहारनपुर की मिल में 25 लाख 38 हजार रुपये का घाटा रहा 31 मार्च, 1973 तक। 31 मई, 1974 तक 5 लाख 44 हजार का घाटा रहा। रुहाना कलां में अगस्त, 1974 तक 2 लाख 74 हजार का मुनाफा हुआ है।

श्री मंजूर अहमद---

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे कौन से कारण हैं जिनके कारण ये मिल अलग-अलग करोड़ों रुपये के घाटे में चल रहे हैं ? मैंने स्वयं एक साल पहले मोहिउद्दीन पुर के प्रशासक के बारे में एक प्रार्थना-पत्र दिया था कि इन प्रशासकों की वजह से ही ये मिलें घाटे में चल रही हैं ?

श्री अध्यक्ष---

आप इस सम्बन्ध में प्रश्न करें। इस से ये कैसे निकाल सकते हैं कि दिया होगा ?

श्री मंजूर अहमद---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन मिलों में इतना घाटा क्यों हुआ ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जैसा मैंने अपने मूल उत्तर में कहा है ये मिलें इतनी बीमार रही हैं कि इनका अधिग्रहण किया गया था। इनमें सन् 1931, 32 और 33 में प्लान्ट खरीदा गया था। इनके जीर्णोद्धार में जितना रुपया मिल मालिकों को लगाना चाहिये था, वह उन्होंने नहीं लगाया। इसलिये अब जब कि इनके मुकदमें चल रहे हैं, अधिकांश

क्या सभी मामलों में हाईकोर्ट ने तय किया कि 3 साल के एवरेज का मरम्मत में उससे ज्यादा न लगाया जाय। इस मरम्मत की धनराशि को दुगुना बढ़ाया था लेकिन उससे भी काम पूरा नहीं होता। इसमें ओवरहालिंग की भी जरूरत है। 2--3 मिलों को ओवरहालिंग के लिये बैंकों से रुपया लेने की प्लान भी बनी लेकिन जब तक हाई कोर्ट निर्णय न दे दे कि इन मिलों की मिल्कियत किसकी है, तब तक बड़ी मात्रा में इन पर रुपया नहीं लगाया जा सकता है। अलग-अलग वर्षों में अलग-अलग मिलों के अलग-अलग कारण हैं। जैसे मोहिउद्दीनपुर और सखौती टांडा में ब्वायलर पुराने होने की वजह से काफी मात्रा में लकड़ी जलानी पड़ी। इन मिलों में लकड़ी के जलाने का कारण यह भी था कि बेगास में रेशे की मात्रा कम होने के कारण वह कम बनी और लकड़ी ज्यादा मात्रा में खरीदनी पड़ी। इसके अलावा इन मिलों में खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली की बहुत कमी रही। बिजली की लाइन वगैरह भी ठीक से नहीं बनी थी। बिजली की कमी की वजह से दैनिक पेराई में कमी आई जिसके कारण बेगास की उपलब्धि में कमी हुई। साथ ही साथ हड़ताल भी हुई जिसके दौरान फैक्ट्री को किसानों से गन्ना प्राप्त नहीं हुआ जिसके लिये ब्वायलरों को चालू रखने के लिये अतिरिक्त ईंधन जलाना पड़ा। और इन मिलों में ज्यादा खर्चा पड़ा। इसके अलावा इस वर्ष प्रत्येक कर्मचारियों के भत्ते में 30 रुपया प्रतिमास की वृद्धि तथा अकुशल कर्मचारियों के रिट्रेनिंग एलाउन्स में भी वृद्धि हुई। इसके लिये और बोनस में मिलों को लाखों रुपया देना पड़ा। साथ ही साथ बैंकों से जो ऋण लिया था उसका ब्याज अधिक देना पड़ा। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में इन मिलों की इन्सटाल्ड कैपसिटी भी कम है। पश्चिमी जिलों में इंस्टाल्ड कैपेसिटी 1850 टन की थी। इस इन्सटाल्ड कैपेसिटी के आधार पर लेवी की चीनी की प्राइस निर्धारित की जाती है। निगम की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित मिलों की क्षमता 1000 टन की है। तो लैवी शुगर में भी घाटा उठाना पड़ता है। उसी प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय औसत क्षमता 1163 टन है लेकिन हमारी भटनी तथा बाराबंकी मिलों की क्षमता 1000 टन है तथा खड्डा की क्षमता केवल 780 टन है। इस कारण से क्रशिंग कैपेसिटी बहुत कम है। इसलिये लैवी शुगर की जो कीमत है, उसका प्रति बोरा व्यय बहुत अधिक पड़ जाता है। साथ ही साथ औसत पेराई भी कम होती है। पश्चिमी यू0 पी0 में कुल औसत पेराई 25 लाख 43 हजार क्विन्टल रही लेकिन जो निगम को दी गयीं उनमें साढ़े 11 लाख क्विन्टल औसत पेराई हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 8 लाख 27 हजार क्विटल औसत पेराई रही लेकिन निगम के अन्तर्गत जो थीं उनमें 6 लाख से साढ़े 7 लाख क्विन्टल पेराई हो सकी। जहां तक मुहिउद्दीनपुर के मैनेजमेंट का सवाल है, उसका आवेदन पत्र प्राप्त हो गया है और उस पर कार्यवाही हो रही है।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)---

हर साल जो घाटा बढ़ता जा रहा है उसको कम करने पर कभी विचार किया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

कैसे, श्रीमन्, जैसा मैंने अभी निवेदन किया इन मिलों का भविष्य जो हाई कोर्ट से फैसला होगा उस पर निर्भर है। इनकी मिलकियत आ जाने पर ही बड़े पैमाने पर पूंजी का नियोजन हो सकेगा। इन सब मिलों में बड़े पैमाने पर पूंजी लगाना जरूरी है। वह तभी हो सकता है जब मिलकियत हमारी हो और हाई कोर्ट ने जो लिमिट लगा रखी है वह न रहे।

कारपोरेशन ने प्रत्येक मिल के लिये नेशनल शुगर मिल्स कारपोरेशन से ब्लू प्रिन्ट्स बनवा रखे हैं लेकिन वह तभी लागू हो सकता है जब हमारी पूरी मिलकियत हो जाय। साथ ही साथ केन डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाने का भी कार्यक्रम रखा गया है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी मिलें नेशनल शुगर फैक्टरीज कारपोरेशन ने ली हैं सब की व्यवस्था का भार उन्होंने कुछ पी0सी0एस0 आफिसर्स को दे दिया। तो क्या घाटे का यह कारण है कि उनको कोई मैनेजीरियल एक्सपीरियन्स नहीं है और ये उस धन्धा विशेष के लिये जो ज्ञान जरूरी है उस ज्ञान से शून्य हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

विद्वान सदस्य सहमत होंगे कि सामान्यत: प्रत्येक अधिकारी के बारे में शायद उनका भी विचार नहीं होगा कि सभी अयोग्य हैं। यह हो सकता है कि किसी एक-आध मिल के बारे में उनको उतना मैनेजीरियल एक्सपीरियन्स न हो लेकिन अन्य अधिकारी तो जो पुराने हैं वही हैं और वे एक्सपीरियन्स्ड हैं।

श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)--

रुहाना मिल में मंत्री जी ने बताया कि बहुत मुनाफा हुआ है। क्या वे यह भी बतायेंगे कि किसान का तीन साल का गन्ने का भुगतान बाकी है जो आज तक नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

जब से सरकार ने कारपोरेशन के जरिये रिसीवर बिठा दिया इस इलाकाम में जो घाटे की दर है यह पहले की अपेक्षा बढ़ी है या घटी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

विद्वान सदस्य सहमत होंगे कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक मिल में विभिन्न परिस्थितियों के कारण घाटा घटता बढ़ता रहता है।

श्री काशी नाथ मिश्र---

'अदर थिंग्स रिमेनिंग दि सेम' यह एकोनामिक्स का बड़ा भारी फैक्टर है रेट आफ-डेफेसिट किस हिसाब से बढ़ा है ?

श्री अध्यक्ष---

कभी-कभी आप अंग्रेजी भी बोल देते हैं ?

श्री काशी नाथ मिश्र---

मान्यवर, यह एकोनामिक्स का नियम है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

अन्य परिस्थितियों के समान रहते हुये भी घाटे की दर एक समान रहेगी ऐसा नहीं है। कभी हम गन्ने का दाम तय कर देते हैं कि प्रत्येक फैक्टरी को चाहे वह बीमार हो चाहे अच्छी हो, यह दाम देना पड़ेगा। उससे भी घाटा बढ़ जाता है। लेकिन मैं इससे सहमत हूं कि हमें घाटे को कम करना चाहिये। यह नहीं है कि हम घाटे से खुश हैं। इसके लिये मैं विद्वान सदस्यों से उनका सहयोग चाहूंगा, उनके सुझाव चाहूंगा।

श्री ऊदल---

मान्यवर, जब यह बुढ़वल शुगर मिल्स शुगर कारपोरेशन के अन्तर्गत आयी तो इसमें घाटा 16 लाख के करीब था और अब यह घाटा लगभग 1 करोड़ 20 लाख के करीब हो गया है। एक डेलीगेशन मेरे साथ माननीय मंत्री जी से मिला भी था और उनको एक मेमोरेन्डम दिया था जिसमें वहां के प्रशासक की धांधलियों और जाल बट्टे के बारे में बताया था तो जो किसान का बकाया रह जाता है तथा जो यह घाटा चल रहा है यह क्यों है इस पर मंत्री जी प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

उस समय माननीय सदस्य ने अवश्य यह प्रश्न किया और उसका उत्तर भी मैंने दिया था। जहां तक इस मिल का संबंध है पहले भी यह लास पर थी जब कि मिल मालिक के पास थी, वहां इस समय इसमें घाटा 1.21 करोड़ का अवश्य है, कारपोरेशन के जमाने से लास कम ही हुआ है। बाकी प्रश्नों के बारे में मैंने पहले भी जांच का आश्वासन दिया था और उसको मैं फिर दोहराता हूं।

*5—श्री ओम प्रकाश सिंह—
[6वें सोमवार के लिये स्थगित।]

*6—श्री बाबू लाल वर्मा—
[6वें सोमवार के लिये स्थगित।]

किछा तथा रुद्रपुर के बीच पकड़ा गया अवैध धान

*7—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5 अथवा 6 सितम्बर, 1974 को किछा तथा रुद्रपुर (जिला नैनीताल) के बीच लगभग 900 बोरी अवैध धान पुलिस द्वारा पकड़ा गया? यदि हां, तो यह धान किसका था तथा किस स्थान से कहां जा रहा था?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां। दिनांक 5 व 6 सितम्बर, 1974 को किछा तथा रुद्रपुर के बीच कुल 850 बोरे अवैध धान पकड़ा गया था। उक्त धान मेसर्स एग्रो सीड्स कारपोरेशन, रामपुर का था और रामपुर से किछा ले जाया जा रहा था। इस सम्बन्ध में 12 व्यक्तियों का आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत चालान किया गया है।

*8—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि रामपुर से रुद्रपुर के बीच 4 खाद्य चौकियां पड़ती हैं, वहां उस धान को क्यों नहीं रोका गया?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बजपेयी—

रामपुर-रुद्रपुर मार्ग पर खाद्य विभाग की केवल एक चौकी रुद्रपुर में पड़ती है, वहां पर तैनात कर्मचारियों द्वारा उक्त धान नहीं पकड़ा गया जिसके लिये सम्बन्धित दो हाट निरीक्षकों को निलम्बित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या माननीया मंत्री जी बतायेंगी कि ये जो 12 आदमी पकड़े गये हैं, कौन-कौन हैं और कहां के रहने वाले हैं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

उनके नाम इस प्रकार हैं—1—अली खां, पुत्र रफीक खां, नवाबगेट, राजद्वारा, कोतवाली रामपुर। 2—वाहिद खां, पुत्र शौकत अली, कटेवास खां, रामपुर। 3—मुंजू, पुत्र मुन्ने खां, गूजर टोला गंज, रामपुर। 4—शेर खां, पुत्र याकूब खां, लाइन नं0 17, बनमूलपुरा, हलद्वानी, नैनीताल। 5—पुत्तन खां पुत्र बुत्तन खां, मोहल्ला घेर मोहब्बत खां, पुरानागंज, रामपुर। 6—असलम खां, पुत्र शम्शुद्दीन खां, तोखागंज, रामपुर। 7—सैयल खां उर्फ पुत्तन खां, पुत्र करजन अली खां, छोटे मियां की बगिया, रामपुर। 8—अशोक, पुत्र जगन लाल, बी0 पी0 कालोनी, सिवल लाइन्स रामपुर। 9—प्रेमचन्द्र, पुत्र दासराम, बी0 पी0 कालोनी, सिविल लाइन, रामपुर। 10—अदालती सिंह पुत्र रामसुमुझ द्वारा एग्रो सीड्स कारपोरेशन, रामपुर। 11—हनीफ, पुत्र घसीट, अजीतपुर, सिविल लाइन्स, रामपुर। 12—सब्बन, ड्राइवर, ट्रक संख्या यू0 एस0 एन0 5450।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह वही मामला है मान्यवर, जो बीज घोटाला कहा जाता है तथा चावल वाला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस एजेन्सी द्वारा जांच करायी जा रही है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह मामला वह नहीं है। उससे भिन्न है।

राइस मूवमेंट के लिये अलग-अलग ब्लाक बने हुये हैं तथा एम0 एम0 आई0 व वहां के अधिकृत अधिकारियों से परमिट प्राप्त करना होता है। ये लोग बिना परमिट के माल लिये जा रहे थे, इसलिये इनको पकड़ा गया और धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

तथा 114 डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत चालान किया गया। सभी अभियुक्त चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, नैनीताल द्वारा 20-9-74 को जमानत पर छोड़ दिये गये।

इसके साथ-साथ 35 हजार रुपये के सिक्योरिटी बांड पर उस धान को मेसर्स एग्रो सीड्स कारपोरेशन के पक्ष में उच्च न्यायालय ने मुक्त कर दिया है। जहां तक इस मामले में चालान करने की बात है, केस चल रहा है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट मेरे पास है उसके अनुसार यह है कि 9-3-75 को चार्जशीट वगैरह सब दिया जा चुका है जो वृत्त अधिकारी, रुद्रपुर के विचाराधीन है। वे अपनी जांच पूर्ण करने के पश्चात अभियोग सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस स्टेज पर यह चीज चल रही है। इसमें हमारे नियमों का उल्लंघन किया गया है। जो धान न्यायालय ने मुक्त कर दिया था कारखानों को चावल बनाने के लिये दिया था, उसे गलत तरीके से ले जाया जा रहा था। अब अदालत से उसका फैसला होगा यह अवैध काम किया गया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

जिन व्यक्तियों को सस्पेंड किया गया है, उनमें से किसी ने यह शिकायत की है कि बहुत बड़े लोगों के लड़के या सम्बन्धी उनके पास आये और उनको पिस्तौल वगैरह से धमकाया तथा उनसे कहा कि इस मामले को हटा लें और धान वगैरह वापस कर दें ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

यह मामला उससे सम्बन्धित नहीं है। क्योंकि इन दो व्यक्तियों ने स्वयं उसे चेक नहीं किया था, पुलिस ने चेक किया। चेक बैरियर पर ही उसे चेक होना चाहिये था, लेकिन उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया, इसलिये इन दोनों को सस्पेंड किया गया और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की गयी है। जो मुहम्मद हनीफ हैं उनकी चरित्र पंजिका में लिख दिया गया है और 2-1-75 को विभाग द्वारा पूरी कार्यवाही की गयी है। यह बिलकुल अलग चीज है, किसी की धमकी वगैरह की कोई चीज नहीं है। यह हो सकता है कि कुछ लोगों ने इस पर कार्यवाही की हो।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)---

गोरखपुर में तो पुलिस वाले को ही सस्पेंड कर दिया गया है।

श्री देव बहादुर सिंह---

क्या यह सही है कि थाना लालपुर स्थान पर इन लोगों को पकड़ा गया था, यदि हां तो जो वहां की पुलिस ने पकड़ा था, उसके विरुद्ध अतिरिक्त पुलिस कप्तान को लिखित आवेदन पत्र दिया गया था कि उन्होंने 5 हजार रुपये लेकर कुछ लोगों को छोड़ दिया है ? यदि हां, तो उस पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

यह तो पुलिस अधिकारी ने पकड़ा और थाना लालपुर जो स्थान आप बतला रहे हैं वहीं पकड़ा था। अब जो लोग पकड़े गये हैं, उनके ऊपर शासन के पास कोई सूचना तो है नहीं। किसी तरह से उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन ही किया है क्योंकि पहले दिन 5 ट्रक्स को पकड़ा और दूसरे दिन एक और ट्रक को पकड़ा। अगर अधिकारी ने अपने कर्त्तव्य का पालन न किया होता तो ये पकड़े न गये होते।

श्री देवबहादुर सिंह---

कुछ लोगों को और भी पकड़ा गया था जो कि बेगुनाह थे और 5 हजार रुपये लेकर उन लोगों को छोड़ दिया गया था। यदि आपके पास इसकी सूचना नहीं है तो क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

माननीय अध्यक्ष जी, अधिकारी जब अच्छा काम करें तो मैं समझती हूं कि उसकी प्रशंसा होनी चाहिये। हर वक्त उसके मोटिव पर लांछन लगाना अच्छा नहीं होता। मैं मानती हूं कि किसी पुलिस अधिकारी ने चाहे जिस तरीके से भी अच्छा काम किया हो तो

उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की बात न होनी चाहिये। हो सकता है कि कुछ इन्टरेस्टेड पार्टी के लोग हों जो किसी कारण वह उस पुलिस अधिकारी के पीछे पड़े हों।

श्री देवबहादुर सिंह--

सिर्फ जांच कराने की बात है, तो क्या इसकी जांच करायेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

एक आदमी अच्छा काम करे और उसकी जांच करायेंगे तो उसका सारा मोरल ही खतम हो जायेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि हम लोगों को मालूम है कि पिछली बार एक बड़ा भारी मामला उठा था।

श्री त्रिवेणी सहाय---

मान्यवर, पुलिस चोरों को पकड़ती है अच्छा काम करती है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो निर्दोष हैं उनको क्यों पकड़ा गया ? उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि स्पेशल चार्जेज हैं कि जो लोग अच्छे थे, जो निर्दोष थे इसके बहाने पकड़े गये हैं, इसका जवाब दिलवाइये ?

श्री अध्यक्ष--

आप मेहरबानी करें सारे सदन पर।

श्री त्रिवेणी सहाय---

मान्यवर, मंत्री महोदया यह कह कर कि जो अच्छे लोग हैं उनकी तारीफ की जायगी। तो जो अच्छेहैं उनकी तारीफ करें लेकिन अच्छे काम के बहाने अच्छे लोगों को पकड़े तो गुनाह होगा ?

श्री अध्यक्ष---

आपको इजाजत नहीं है। माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी को मैंने कहा और बीच में आप टपक पड़े।

(हंसी)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, इसी बहाने उन्होंने मंत्री महोदया का ध्यान आकृष्ट किया। मान्यवर, इसी प्रसंग में बहुत महत्वपूर्ण मामला सदन के सामने आ चुका है। सरकार उसके बारे में कुछ कार्यवाही करती होगी। इस सरकार को नहीं मालूम कि चीन और नेपाल का बार्डर मिला हुआ है। आज इसी रास्ते से करोड़ों रुपयों का धान हिन्दुस्तान से उस पार चला गया। तो इस वक्त मैं दो चीजें जानना चहता हूं। कृपया बतायें कि इस आशय के आरोप रहे हैं कि लिफ्ट फर्मों के बहुत बड़े विशाल भंडार मुरादाबाद और रामपुर में हैं और उसी के द्वारा यह धान बाहर जाता है। अभी आपने बताया कि यह यह लोग गिरफ्तार हुये तो क्या यह लोग इन्हीं फार्मों से सम्बन्धित हैं ? क्या इन विशाल भंडारों का पता आपने लगाया, छापे मारे गये, अनाज जब्त किया गया ? अगर नहीं, तो इस रास्ते से चीन और नेपाल जाने वाले धान के रोकने का क्या प्रयास सरकार ने किया और कौन से कड़े कदम उठाये ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

माननीय सदस्य ने जिस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है उस पर पूरी कार्यवाही और सख्ती से की जायगी और इसमें पूरी जांच भी की जायगी। इस तरह से भंडारों के बारे में कोई सूचना अभी तक नहीं है। ऐसी चीज हमारी सूचना में नहीं आयी है। जब भी कोई केस आ जाता है तो उस सिलसिले में कार्यवाही की जाती है। जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है उस पर हम आगे कार्यवाही करेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, एक सवाल, मंत्री जी ने कहा कि इस तरह का कोई मामला अभी तक सरकार के ध्यान में नहीं है। क्या यह सही नहीं है कि इसी सदन में इसी प्रकार का मामला बहुत बड़े रूप में उठा था और बहुत प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम उसमें घसीटे गये थे, आये थे। तो क्या सरकार यह व्यवस्था कर रही है कि चीन और नैपाल के बार्डर के दूसरी तरफ यह न जाय ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मान्यवर, इस सिलसिले में बहुत सारी कार्यवाही की जा चुकी है। हमारा धान या और चीजें बाहर न जा सकें और उसके रोकने के लिये जो तरीके हो सकते थे सब पर हमने कार्यवाही की इसके साथ-साथ मुरादाबाद में भंडार हैं, इसकी जानकारी नहीं है अगर अधिक जानकारी होगी तो कार्यवाही की जायगी। समय-समय पर जो मामले आये हैं उन पर पूरी तरह से कार्यवाही कर रहे हैं। इसके पहले जो सीड के नाम पर चीजें जातीं थीं उनको रोका है, चाहे नेपाली राइस हो हमने सब चीजों को बाहर जाने से रोका हो। बहुत सारा चावल पहले जाता था आज यही कारण है कि इन मिलों के पास बहुत चावल इकट्ठा हो गया है और यह इसको रिलीज करना चाहती हैं, सोच रही है कि रिलीज कैसे किया जाय तो सरकार बड़ी सख्ती से इस बात को देख रही है।

(श्री गिरिजा शंकर पाठक एवं श्री रामरति बिन्द का नाम पुकारने पर)

श्री मधुकर दिघे---

मान्यवर, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। मंत्री जी ने अच्छे की डींग हांकी है। मान्यवर, इसमें एक बात लिहाजा बहुत जरूरी है। मेरा यह कहना है कि क्या यह बात सही है कि जब इस प्रकार के काम होते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लोगों के दबाव में आकर. . .

श्री अध्यक्ष---

यह तो प्रश्न दूसरा आप कर रहे हैं इसकी इजाजत नहीं है। यह सीमित प्रश्न है।

श्री मधुकर दिघे---

मैं जानना चाहता हूं. . . . . .

श्री अध्यक्ष---

मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

(श्री गिरिजा शंकर पाठक, श्री रामरति बिन्द एवं श्री फिरंगी प्रसाद विशारद का नाम पुकारने पर)

श्री मधुकर दिघे---

जो ईमानदारी से काम करते हैं. . . . . .

श्री अध्यक्ष---

मैं इजाजत नहीं देता। इस तरह से काम कैसे चलेगा ? जो सवाल पूछना था वह पूछ चुके। हर सवाल में इस तरह से जोड़ना ठीक नहीं है।

*9---श्री त्रिवेणी सहाय---

[21-2-75 को वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त।]

यू० पी० स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन, वाराणसी डिपो में स्टेपल सूत का गबन

*10---श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)---

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० टेक्सटाइल्स कारपोरेशन की वाराणसी शाखा में वर्ष 1974-75 में 5 लाख रुपये के मूल्य के स्टेपुल सूत के गबन का केस पकड़ गया ? अगर हां, तो गबन केस का पूरा विवरण क्या है ? गबन के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यू0पी0 स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन के वाराणसी डिपो में वर्ष 1974-75 में रु0 1,39,755.36 पै0 के स्टेपल तथा रु0 34,008.19 पै0 के सूत का गबन पकड़ा गया था।

स्टेपल धागे की 49 गांठे जो जी0 आई0 एस0 मिल कलकता ने कलकता ट्रान्सपोर्ट द्वारा वाराणसी भेजी थीं, उन्हें जाली हस्ताक्षर करके ट्रान्सपोर्ट कम्पनी से छुड़ा लिया गया। इसके अतिरिक्त, जांच करने पर डिपो के गोदाम में भी 7 गांठे कम पाई गई। इस प्रकार स्टेपल धागे की उपरोक्त मूल्य की कुल 56 गांठों का गबन पाया गया। सूती धागे की 40 गांठे जो एलगिन मिल, कानपुर ने रोशन ट्रान्सपोर्ट के माध्यम से भेजी थी, वे भी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी से छुड़ा कर गोदाम में लाने के बजाय गबन कर ली गई तथा गोदाम की जांच करने पर 2 गांठे स्टाक में भी कम पाई गई। इस प्रकार सूती धागे की भी उपर-उल्लिखित मूल्य की कुल 42 गांठों का गबन पाया गया।

वाराणसी डिपो के मैनेजर की सेवायें समाप्त की जा चुकी हैं। प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था तथा वह इस समय जमानत पर हैं। मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है।

वाराणसी के ज्ञानपुर, गोपीगंज तथा खम्हरिया टाउन एरिया की सस्ते गल्ले की दूकानों को उचित मात्रा में अनाज न दिया जाना

*11--श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी) तथा श्री रामरति बिन्द (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के टाउन एरिया चन्दौली एवं सैयद राजा में जिस प्रकार राजकीय सस्ते गल्ले की दूकानों से अनाज दिया जाता है उसी प्रकार ज्ञानपुर, गोपीगंज खम्हरिया टाउन एरिया को नहीं दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

चन्दौली व सैयद राजा में सस्ते गल्ले की दूकानों से वितरण के लिये चावल का आवंटन उस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुये किया जा रहा है। खाद्यान्नों की सीमित उपलब्धता को देखते हुये वाराणसी जनपद के कथित स्थानों पर खाद्यान्नों का वितरण प्रारम्भ करना फिलहाल सम्भव नहीं है।

जिला परिषद्, गोरखपुर द्वारा ग्राम डीह घाट टोंगरी के ईंटे के भट्टे के मालिक के विरुद्ध रिपोर्ट

*12--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

क्या पुलिस मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के थाना झंगहा में मई, 1974 से नवम्बर, 1974 तक कितनी सूचनायें आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में ईंट भट्ठों के मालिकों के विरुद्ध इस जिला परिषद् व जिला पूर्ति कार्यालय, गोरखपुर की ओर से दर्ज कराई गई है और क्या इसमें कोई रपट (सूचना) ग्राम डीहघाट टोंगरी में चलने वाले भट्ठे के सन्दर्भ में है? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित अभियुक्त अब तक पकड़ा गया या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जिला परिषद्, गोरखपुर द्वारा थाना झंगहा में मई, 1974 से नम्वबर, 1974 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में ईंट भट्ठों के मालिकों के विरुद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। इस अवधि में जिलापूर्ति अधिकारी, गोरखपुर द्वारा 22-8-74 को एक रिपोर्ट श्री रमाशंकर राय, ईंट भट्ठा मालिक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा

3/7 के अन्तर्गत दर्ज कराई गई। यह सूचना ग्राम डीहवाट में बिना लाइसेन्स ईंट का भट्ठा चलाये जाने के बारे में है। संबंधित अभियुक्त दिनांक 14-3-75 को बन्दी बनाया गया, परन्तु उसी दिन सेशन न्यायालय के एन्टीसिपेटरी बेल के आदेश द्वारा छोड़ दिया गया जिसे अभियुक्त ने पहले से ही प्राप्त कर लिया था।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

माननीय अध्यक्ष जी, यह सूचना मैंने गोरखपुर के अधिकारियों को दिया था जिसके आधार पर डी0 एस0 ओ0 आफिस के एक इन्सपेक्टर ने यह रिपोर्ट दर्ज करायी थी। इसमें यह हुआ कि वह भट्ठा अभी भी चल रहा है। चूंकि डीहवाट टोंगरी में भट्ठा वालों के रिश्तेदार श्री राज बहादुर राय, प्रधानाचार्य, इन्टर कालेज, बरही तथा इनके चचा श्री रुद्रनाथ राय जो प्रधान डीहवाट के हैं वह कांग्रेसी होने के नाते मुझको धमकी दिये हैं और भट्ठा अभी भी चला रहे हैं। इसके अलावा सेल्स टैक्स तथा इन्कम टैक्स को सूचना शासन से क्यों नहीं दी गयी है? उन्होंने इतना गोलमाल क्यों कर रखा है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अध्यक्ष जी, बिना लाइसेन्स और सूचना के यह भट्ठा चला रहा था। न जिला परिषद् को और न जिला पूर्ति अधिकारी को इसकी सूचना थी। जिला पूर्ति अधिकारी से भट्ठों को कोयला जो दिया जाता है उसके संबंध में उसने लाइसेन्स लिया था। यह सारी चीजें जब नोटिस में आयीं तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगी कि 22-8-74 को एफ0 आई0 आर0 जो लिखवाई गयी उसकी खबर पहले से उसको मिल गयी जिससे वह जमानत पर छूट गया? आठ महीने हो गये हैं मुकदमें में क्या कार्यवाही हो रही है? क्या मंत्री जी के पास रिपोर्ट है जो उसमें एफ0 आई0 आर0 में क्या लिखा है, यह बता दें?

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, भट्ठे वाले का भट्ठा कब बैठेगा? भट्ठ बन्द होगा या बिना लाइसेन्स के वह चलेगा?

श्री अध्यक्ष--

क्या आज आप कुछ विशेष स्थिति में आये हैं? आज हल्के मिजाज का परिचय दे रहे हैं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

श्रीमन्, जो एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गयी उसको माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो वह इस प्रकार है-आमद तहरीर व कायमी मुकदमा अ0 सं0 127, धारा 3/7 एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट. . . . . .।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

मान्यवर, दफा बता दें और क्या हो रहा है, यह बता दें।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

श्री चन्द्र प्रकाश यादव, निरीक्षक द्वारा यह कहा गया कि बिना लाइसेन्स के कोयला ईंट भट्ठा चलाया। मुख्य बात इसमें यह आती है कि इन्होंने बिना लाइसेंस के भट्ठा चलाया। इसमें जो एफ0 आई0 आर0 है उसमें मुख्य आरोप यही है कि बिना लाइसेंस के भट्ठा चला रहे थे और इसी पर मुकदमा कायम किया गया।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगी कि ईंट का रेट 125 रुपया था और वह माप में भी छोटी थी? दूसरे यह कि वह भट्ठा अब किसकी आज्ञा से चल रहा है? क्या लाइसेंस बनवा लिया है?

श्री अध्यक्ष---

इससे यह सवाल नहीं उठता।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---

आठ महीने हो गये रिपोर्ट दर्ज करवाये। उसको कोई सजा मिली नहीं। उसका भट्ठा चल रहा है। न इन्कम टैक्स देता है और चोरी का कोयला इस्तेमाल करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आठ महीनों में चार्जशीट लगाकर मुकदमा क्यों नहीं कायम किया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मार्च में एफ0 आई0 आर0 लाज करने के बाद मुकदमा कायम किया जा रहा है।

श्री त्रिवेणी सहाय---

उनका यह मकसद है जानने का कि 8 महीने में कोई चार्जशीट भेजी गयी या नहीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

14 मार्च को उनको अरेस्ट किया गया है। अब उनका भट्ठा चल रहा है या नहीं उसकी सूचना मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं समझती हूं कि उन्होंने जो अपराध किया उसके आधार पर जो कार्यवाही जिलाधिकारियों को करनी चाहिये, वह की जा रही होगी। इसकी सूचना मंगाकर माननीय सदस्य को सूचित करूंगी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---

सवाल यह है कि 8 महीने हो गये एफ0 आई0 आर0 दर्ज किये। अगर मालिक मौजूद नहीं था और बगैर लाइसेंस भट्ठा चल रहा था तो जो लोग काम करते हुए वहां मिले उनको बन्द करना चाहिये था। मंत्री जी की बात से मालूम होता है कि 14 मार्च को जमानत-नामा दाखिल किया। लेकिन इतने समय तक वह आजाद घूमता रहा और पकड़ा नहीं गया। क्या इस कानून की अवहेलना का उस पर जुर्म नहीं है ? जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और जिन्होंने इस अवैध काम को होते रहने दिया तो क्या सी0 आई0 डी0 की जांच करवा कर दोषी व्यक्तियों को सजा देने के लिये तैयार हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

पूरी जांच होगी और जो दोषी होंगे उनको सजा दी जायगी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

क्या मंत्री जी इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगी कि इतने दिनों तक चार्जशीट नहीं लगी तो मुल्जिम को अपना डिफेंस तैयार करने की सहूलियत अधिकारियों ने दी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

जांच में सारी बातें आ जायेंगी।

घुघली चीनी मिल के क्षेत्र के गन्ने को दूसरी मिलों को देने की अनुमति

*13---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें गन्ना विकास समिति, घुघली जिला गोरखपुर के गन्ना संचालक मन्डल का दिनांक 15 फरवरी, 1975 का सर्व सम्मति पारित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें मिल प्रबन्धक द्वारा गन्ने की कीमत के भुगतान की असमर्थता प्रकट करने के कारण संचालक मन्डल ने क्षेत्र के शेष गन्ने को दूसरे मिलों को देने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री उक्त गन्ने विकास समिति को ऐसा करने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जी नहीं। स्थानीय घुघली चीनी मिल (जिला गोरखपुर) अपने क्षेत्र में उपलब्ध समस्त गन्ने को पेर कर वर्तमान सीजन (1974-75) के लिये दिनांक 31---3-75 को बन्द हो चुकी है। अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

प्रश्न का प्रथम भाग का उत्तर माननीय मंत्री जी ने 'जी नहीं' में दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरी सूचना को सही मानकर कि 15 फरवरी, 1975 को गन्ना समिति ने यह प्रस्ताव पारित किया कि गन्ने की कीमत चूंकि मिल मालिक नहीं दे रहे हैं इसलिये गन्ने को दूसरी मिल में डाइवर्ट कर दिया, तो इसकी सूचना केन-कमिश्नर महोदय को दी गई है कि नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जहां तक मेरे पास सूचना आई है उसके अनुसार 15 फरवरी का जो प्रस्ताव जिसके बारे में वह माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं, 26 फरवरी को मेरे पास पत्र द्वारा भेजी गई और उसमें इसका उल्लेख नहीं है कि दूसरी मिल को डाइवर्ट कर दिया जायेगा। उसमें इस बात की सूचना दी गई है कि 3 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मण्डल जिलाधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, गोरखपुर तथा डिप्टी केन कमिश्नर पूर्वी क्षेत्र से मिले और बकाया कीमत के बारे में कोई हल नहीं निकले तो उसके बाद गन्ना मंत्री और मुख्य मंत्री से मिले और अगर कोई हल नहीं निकल सके तो सप्लाई बंद कर दी जाय।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि उस दिन सर्व सम्मति से गन्ना समिति घुघली ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि गन्ना दूसरी फैक्ट्री को डाइवर्ट कर दिया जाय और उस प्रस्ताव को वहां के सचिव ने जानबूझकर शासन को नहीं भेजा तो क्या उसके खिलाफ कोई जांच करने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

अवश्य जांच करा लूंगा।

प्रदेश की रोलर फ्लोर मिलें

*14---श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) तथा श्री कृपा शंकर आर्य (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितनी रोलर फ्लोर मिलें हैं और क्या सभी मिलें पिछले तीन महीने से बन्द हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

प्रदेश में कुल 33 रोलर फ्लोर मिलें हैं जिनमें से पिछले तीन महीनों से 3 मिलें बन्द हैं जिनके नाम व बन्द होने के कारण नीचे दिये गये हैं :---

1---मेसर्स शंकर रोलर फ्लोर मिल, बरेली	यह मिल 20-4-1974 से आपसी झगड़े के कारण न्यायालय के आदेश से बन्द है।
2---मेसर्स अग्रवाल रोलर फ्लोर मिल, कोटद्वारा।	यह मिल मशीनरी की मरम्मत के कारण 1-10-1974 से बन्द है।
3---मेसर्स फ्लावर ट्रेडर्स, कानपुर ..	यह मिल लाइसेन्स के नवीनीकरण न कराये जाने के कारण 1-1-1975 से बन्द है।

लखनऊ स्थित राजकीय सूक्ष्म उपयंत्र निर्माणशाला, तथा उनके कर्मचारियों का यू० पी० इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड को हस्तान्तरण

*15---श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

क्या भारी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार लखनऊ स्थित राजकीय सूक्ष्म उपयन्त्र निर्माणशाला को बेचने का फैसला किया है ? यदि हां, तो क्यों, किसको

और कितने में ? निर्माणशाला में कार्यरत अधिकारियों, इन्जीनियरों तथा अन्य समस्त कर्मचारियों की क्या स्थिति होगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

राजकीय सूक्ष्म उपयंत्र निर्माणशाला, लखनऊ को दिनांक 1 मार्च, 1975 से यू० पी० इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया है। निर्माणशाला को वाणिज्यिक आधार पर चलाकर उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि करने तथा निर्माणशाला के बहुमुखी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्माणशाला उक्त कम्पनी को हस्तान्तरित कर दी गयी है।

निर्माणशाला की नियत परिसम्पत्ति को उसके ह्रास मूल्य (रिटन डाउन वैल्यू) पर तथा कच्चा माल, अर्द्ध-निर्मित सामान व अन्य व्यावसायिक भंडार को उनके खाता मूल्य पर हस्तांतरित किया गया है।

निर्माणशाला के समस्त वर्कचार्ज्ड श्रमिकों को कम्पनी ने अपनी सेवा में ले लिया है। निर्माणशाला में कार्यरत स्थायी अधिकारियों, इंजीनियरों व कर्मचारियों की शासन के अधीन सेवा समाप्ति के उपरान्त दिनांक 1 मार्च, 1975 से कम्पनी में नियुक्ति दे दी गयी है। अस्थायी 38 कर्मचारियों की सेवायें 1 मार्च, 1975 से तीन महीने की अवधि के लिये कम्पनी में प्रतिनियुक्ति पर दे दी गयी है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

इन्स्ट्रूमेन्ट फैक्ट्री के कौन-कौन मालिक थे और क्या कोई निदेशक मण्डल नियुक्त किया गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

इसके मालिक स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड और दूसरे यू०पी० राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड मालिक हैं। 6 निदेशक हैं जिसमें से 3 तो स्कूटर्स इन्डिया वाले नामीनेट करेंगे और 3 इन्डस्ट्रियल डेवलेपमेंट कारपोरेशन नामीनेट करता है। यू० पी० इन्स्ट्रूमेन्ट लि० के अध्यक्ष उद्योग सचिव हैं जो राज्य औद्योगिक विकास निगम के नामांकित निदेशक हैं तथा मैनेजिंग डाइरेक्टर स्कूटर्स इण्डिया द्वारा नामांकित होंगे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के कौन-कौन मालिक थे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

स्कूटर्स इण्डिया एक नई इंडस्ट्री है और भारत सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर में स्थापित की गई है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

इसमें जो सरकारी अधिकारी और इन्जीनियर थे और सरकार की सेवा में थे उनके पेंशन और ग्रेच्युटी और सरकारी सुविधा के सम्बन्ध में जो सुविधायें उपलब्ध थीं। क्या वही बरकरार रहेंगे या नहीं और दूसरा प्रश्न यह है कि हस्तान्तरण में कितना रुपया स्कूटर्स इन्डिया से लेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

इसके हस्तान्तरण में 35 लाख रुपया रिटन डाउन की गई है। जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है कुछ आप्शन किये गये हैं कि अगर वह चाहें तो या तो उनका नया स्केल अडाप्ट कर लें और अगर नहीं तो उनका जो वर्तमान स्केल है, तो राज्य कर्मचारियों के लिये समय-समय पर जो बढ़ोत्तरी होगी, वह उसी दर पर उनको भी बढाई जायेगी।

अतिरिक्त बिक्री-कर अधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

*16—श्री रामअवार (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित), श्री सोहन लाल (जिला बदायूं) (अनुपस्थित) तथा श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद के अतिरिक्त बिक्री-कर अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि सम्बन्धी मामलों को लेकर दिनांक 6 मई, 1974 व 26 जुलाई, 1974 के कोई शिकायती पत्र मिले ? यदि हां, तो वह क्या हैं और अब तक सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

इन शिकायती पत्रों में अतिरिक्त बिक्री-कर अधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध कर निर्धारण एवं सर्वेक्षण कार्य में अनियमितता बरतने एवं गड़बड़ी करने जैसे विभिन्न भट्ठों पर विभिन्न दरों से कर निर्धारित करने, सर्वेक्षण में काट-छांट करने, पक्षपात बरतने एवं भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाये गये। कुछ व्यक्तिगत आरोप भी लगाये गये। इन शिकायती पत्रों में उल्लिखित आरोपों एवं मामलों की जांच करायी गई है तथा जिन मामलों में तथ्य मिले हैं उनके संबंध में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के पूर्व उनका विधिवत् स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर उसका परीक्षण करके की जाने वाली कार्यवाही के विषय में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। फिलहाल संबंधित अधिकारी का फैजाबाद से स्थानान्तरण कर दिया गया है तथा उन्हें कर निर्धारण कार्य से हटाकर संग्रह के कार्य में लगा दिया गया है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

बिक्री-कर अधिकारी के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं वे कुछ हद तक सही पाये गये, तो क्या कारण है कि उनको तत्काल निलम्बित नहीं किया गया और उनका नाम क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उनका नाम है सभाजीत शुक्ल और जो आरोप सिद्ध हुए हैं उनका स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और स्पष्टीकरण मिलने पर निलम्बन की अथवा जैसा जरूरी होगा कार्यवाही की जायगी।

गोरखपुर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मोटे अनाज का वितरण

*17—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर) तथा श्री गिरजा शंकर पाठक—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि गोरखपुर जनपद के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वर्ष 1974-75 में कितना मोटा अनाज सरकारी गल्ले की दूकानों के माध्यम से वितरण हेतु दिया गया ? क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बहुत ही कम मोटा अनाज उक्त क्षेत्रों हेतु दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

गोरखपुर जनपद के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वितरण हेतु वर्ष 1974-75 में कुल 7260 टन मोटा अनाज शासन द्वारा आवंटित किया गया। आवंटन प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकता एवं मोटे अनाज की उपलब्धता को देखते हुये आवश्यकतानुसार किया गया।

वाराणसी के औराई ब्लाक में राशन कार्डों का अधिक मूल्य लिये जाने की शिकायत

*18—श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला वाराणसी के औराई ब्ल में सन् 1974 में वहां के निवासियों से रुपये लेकर राशन कार्ड दिये गये और इसके विरोध कुछ लोगों ने

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अनशन भी किया था ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है और शासन ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

वाराणसी जनपद के औराई ब्लाक में सन् 1974 में निर्धारित मूल्य (10 पैसे) से अधिक लेकर राशन कार्ड दिये जाने की शिकायत तथा इसके विरोध में अनशन की सूचना जिलाधिकारी वाराणसी को प्राप्त हुई थी। जिलाधिकारी वाराणसी के आदेशानुसार अतिरिक्त जिलाधिकारी (नियोजन) ने दिनांक 13 अक्टूबर, 1974 को औराई जाकर अनशनकारियों तथा शिकायत कर्ताओं से बातचीत की और अनशन समाप्त कराकर जिला पंचायत राज अधिकारी, वाराणसी द्वारा जांच के आदेश दिये। यह जांच 31 अक्टूबर, 1974 को औराई में की गई। इस जांच में यह बात प्रमाणित नहीं हुई कि राशनकार्डों का अधिक मूल्य लिया गया था परन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) औराई, राशन कार्डों की वितरण व्यवस्था में लापरवाही के दोषी पाये गये। उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है और अतिरिक्त जिलाधीश नियोजन, वाराणसी ने विभागाध्यक्ष को उन्हें उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किये जाने की संस्तुति की है।

*19--श्री राम अवार--

[6वें सोमवार के लिये स्थगित।]

वर्तमान गल्ला वितरण प्रणाली को बन्द करके जन वितरण प्रणाली लागू करने पर विचार

*20--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या खाद्य एवं पूर्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि सस्ते गल्ले की वर्तमान वितरण प्रणाली को बन्द करके जन वितरण प्रणाली लागू करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका रूप क्या होगा और कौन-कौन आवश्यक सामग्री बांटी जायेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बजापेयी--

सरकारी सस्ते गल्ले की वर्तमान वितरण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। जन वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाने की पूरी रूप रेखा अभी निश्चित नहीं हुई है परन्तु शासन गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार कर रहा है।

*21--श्री भगवती सिंह विशारद--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

जीप फ्लैश लाइट कम्पनी, इलाहाबाद के लिये अधिगृहीत भूमि

*22--श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)--

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1974 में उद्योग सचिव को इस आशय का कोई पत्र मिला कि जीप फ्लैश लाइट कम्पनी इलाहाबाद के लिये भूमि अनियमित ढंग से अधिगृहीत की गयी है ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां।

सूचनानुसार प्रश्नगत भूमि को अधिग्रहीत करने में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है।

दालों के संग्रह पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर विचार

*23--श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर) तथा श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी (जिला मुरादाबाद)---

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार दालों के स्टाक किये जाने की भी सीमा निर्धारित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो पूरी रूपरेखा क्या होगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

जी हां। राज्य सरकार लाइसेन्स प्राप्त खाद्यान्न व्यापारियों द्वारा चना, अरहर, उर्द, मूंग, मसूर तथा मोठ के किसी एक समय में संग्रह की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का विचार कर रही है। प्रस्तावित सीमाओं के अनुसार फुटकर व्यापारी एक प्रकार की दालें 50 कुन्टल तक तथा सभी दालें मिलाकर 100 कु0 तक एक समय में संग्रह कर सकेंगे। थोक व्यापारी व कमीशन एजेन्ट एक प्रकार की दाल 500 कु0 तथा सब प्रकार की दालें मिलाकर 1000 कुन्टल तक एक समय में संग्रह कर सकेंगे।

चीनी मिलों के कांटों पर गन्ना कम तौलने की शिकायत

*24---श्री अवधेश कुमार तथा श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी---

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से उन्हें इस आशय की सूचनायें वर्तमान सत्र (चीनी मिल चलने के) में मिली हैं कि चीनी मिलों के कांटों पर काश्तकारों का गन्ना कम तौला जाता है ? यदि हां, तो उसकी रोक--थाम के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जी हां। वर्तमान सीजन (1974-75) में विभिन्न जिलों से यह शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि चीनी मिलों के कांटों पर काश्तकारों का गन्ना ठीक प्रकार से नहीं तौला जाता है। सीजन के आरम्भ से ही गन्ना क्रय केन्द्रों पर कम तौल एवं अन्य अनियमितताओं की रोक थाम के लिये विशेष रूप से व्यवस्था की गयी, जिसके फलस्वरूप जांच करने पर गन्ना कम तौल तथा अन्य अनियमितताओं के जो भी मामले पकड़े गये उन में दोषी व्यक्तियों को दंडित किया गया तथा विधिक कार्यवाही भी की जा रही है।

न्यूली चीनी मिल, एटा द्वारा गन्ने के मूल्य से यातायात व्यय की कटौती

*25---श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)---

क्या यह सत्य है कि जनपद एटा की न्यूली चीनी मिल में इस वर्ष आउट स्टेशनों पर कार्टेज के नाम पर सवा रुपया प्रति क्विन्टल गन्ने की कीमत में कटौती कर रही है जब कि प्रदेश की अन्य चीनी मिलें केवल पचहत्तर पैसा कटौती कर रही हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इसकी रोकथाम के लिये क्या प्रयत्न अब तक किये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जी नहीं। प्राप्त सूचनानुसार वर्तमान सीजन (1974-75) में न्यूली चीनी मिल गन्ना ढुलाई यातायात व्यय के रूप में अपने बाह्य गन्ना क्रय केन्द्रों पर एक रुपया प्रति क्विन्टल की दर से गन्ना मूल्य से कटौती कर रही है। उक्त चीनी मिल को इस सम्बन्ध में गन्ना आयुक्त द्वारा यह निर्देश किये गये हैं कि मिल अनुचित कटौती न करें।

उत्तर प्रदेश हस्तकला कर्मचारियों का बोनस

*26---श्री अब्दुल रऊफ लारी---

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लघु उद्योग मंत्री ने उत्तर प्रदेश हस्तकला कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल को जनवरी, 1975 में दो बार बोनस दिलवा देने का

स्पष्ट आश्वासन प्रदान किया था और दिनांक 19 फरवरी, 1975 को एक अन्य प्रतिनिधि मंडल को पुन: अंतिम रूप से फरवरी, 1975 तक उक्त बोनस दिला देने का आश्वासन दोहराया था परन्तु अभी तक उक्त बोनस कर्मचारियों को नहीं मिल सका है ? जिससे कर्मचारियों में असंतोष है ? यदि हां, तो आश्वासनों को पूरा न करने का मुख्यतया क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

लघु उद्योग मंत्री जी से कुछ कर्मचारी इस संबंध में मिले थे अभी तक कम्पनी का बोर्ड द्वारा स्टेटुचरी आडिटर्स की नियुक्ति वर्ष 1973-74 के लिये न करने के कारण 1973-74 के लेखे का आडिट नहीं हो पाया है। वार्षिक लेखे के आडिट की प्रतीक्षा वार्षिक सामान्य सभा (एनुअल जनरल मीटिंग) नहीं की जा सकी है तथा बोनस वितरण हेतु निर्णय नहीं लिया जा सका है।

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में ज्ञापन

*27--श्री त्रिवेणी सहाय, श्री दशरथ सिंह, (जिला गोंडा), श्री रामपति (जिला गोंडा) तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर 1974 अथवा जनवरी 1975 में साम्यवादी दल तथा कतिपय अन्य विधान सभा सदस्यों ने चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो वह ज्ञापन क्या है और उस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कतिपय विधान सभा सदस्यों द्वारा प्रधान मंत्री जी को भेजे गये ज्ञापन की प्रतिलिपियां प्राप्त हुईं। प्रदेश सरकार ने तत्सम्बन्धी प्रस्ताव भारत सरकार के पास पहले ही भेज रखे हैं और उक्त प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा है।

*28--श्री काशीनाथ मिश्र--

[6वें सोमवार के लिये स्थगित।]

*29--श्री अब्दुल बाकी--

[6वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 75 पर स्थानान्तरित।]

गेहूं का मूल्य निर्धारण

*30--श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गेहूं का मूल्य 105 रुपये प्रति क्विन्टल तय करने का आधार क्या है ? क्या भाव तय करने के लिये सरकार द्वारा कोई समिति गठित की गयी है तथा क्या उस समिति में कृषकों का भी प्रतिनिधित्व है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

वर्ष 1975-76 के लिये गेहूं का क्रय मूल्य 105 रुपया प्रति कुन्तल केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। मूल्य निर्धारण के पहले केन्द्रीय सरकार कृषि मूल्य आयोग की संस्तुतियों पर विचार करती है। केन्द्रीय सरकार ने मूल्य घोषित करने से पूर्व राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों, राष्ट्रीय खाद्य परामर्शदात्री समिति तथा लोक सभा की सलाहकार समिति की भी राय ली थी।

*31--श्री श्रीनारायण--

[4थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 30 पर उत्तरित।]

अतारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित हिल ऊल योजना में कथित घाटा

1—श्री ओम प्रकाश सिंह तथा श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि खादी ग्रामोद्योग, उत्तर प्रदेश को सरकार ने इस वर्ष (1974-75) कुल कितना ऋण दिया है ? बोर्ड द्वारा संचालित हिल ऊल योजना कब से चल रही है और इसमें क्या कुछ घाटा भी हुआ है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड को वर्ष 1974-75 में शासन ने कोई ऋण नहीं दिया है। हिल ऊल योजना दिनांक 1-4-67 से खादी बोर्ड द्वारा चलाई जा रही है और शासन द्वारा दिये गये अनुदान को ध्यान में रखते हुये उसमें कोई घाटा नहीं हुआ है।

2—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा किसानों को कृषि यन्त्रों के लिये ऋण देने हेतु प्रतिष्ठानों के रेट कण्ट्रेक्ट को मान्यता

3—श्री पुरुषोत्तम कौशिक तथा श्री कृपा शंकर आर्य—

क्या माननीय उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उद्योग निदेशालय, कानपुर ने किसानों को कृषि यंत्रों के लिये दिये जाने वाले ऋण के अन्तर्गत किन-किन कृषि यंत्र प्रतिष्ठानों को रेट कन्ट्रैक्ट के अन्तर्गत मान्यता दी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उद्योग निदेशालय, कानपुर ने किसानों को कृषि यंत्रों के लिये दिये जाने वाले ऋण के अन्तर्गत किसी भी कृषि यन्त्र प्रतिष्ठान को रेट कन्ट्रैक्ट में मान्यता नहीं दी है।

बहराइच जिले में शक्कर कोटे के लाइसेन्स

4—कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच जिले में जनवरी, 1975 से अब तक कितने शकर कोटेदारों के लाइसेन्स रद्द किये गये और कितनी और कौन-कौन न्याय पंचायत हैं जहां पर कोई शकर कोटेदार नहीं है ? यदि हां, तो कोटेदारों की कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जनवरी, 1975 से बहराइच जिले में 33 शकर के कोटेदारों के लाइसेन्स रद्द किए गए। केवल न्याय पंचायत कोलाभार मजगवां, विकास खंड इकौना तथा न्याय पंचायत नौतला, विकास खंड महसी में कोई कोटेदार नहीं हैं। इन दोनों न्याय पंचायतों में कोटेदारों की नियुक्ति की कार्यवाई की जा रही है।

बदायूं नगर की राशन की दूकानों के आवंटन का आधार

5—श्री मुम्हमद असरार अहमद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बदायूं के नगर बदायूं में राशन की दूकान में इस समय कितने-कितने यूनिट लगे हुये हैं उनके मालिक कौन हैं और उनका पूरा पता क्या है और इनको एलाट करने का आधार क्या है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

बदायूं नगर में राशन की दुकानों का वांछित विवरण संलग्न है। दुकानों का आवंटन शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकता तथा आदेशों के अनुसार किया जाता है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 539–540 पर।)

रिजर्व एरिया से बाहर गन्ना क्रेशर के लाइसेंस

6—श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बतायेगी कि गन्ना क्रेशर के लाइसेन्स उस जगह के लिये जो रिजर्व्ड एरिया से बाहर हैं और प्रपोज्ड एरिया से भी बाहर हैं, क्यों नहीं दिये जा रहे हैं और यह भी बताने की कृपा करें कि सन् 1974–75 में अब तक कितने लाइसेन्स दिये गये हैं और कितनी दरख्वास्तें इस संबंध में सरकार के विचाराधीन हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

क्रशरों को लाइसेन्स स्वीकृत करने के सम्बन्ध में लाइसेंसिंग अथॉरिटी चीनी आयुक्त हैं और रिजर्व एरिया के बाहर लाइसेन्स देने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने 24–3–75 तक 147 नवीन लाइसेन्स जारी किए और कोई भी लाइसेन्स प्रार्थना-पत्र उनके कार्यालय में विचाराधीन नहीं है।

मनोरंजन कर विभाग की कुशलता बढ़ाने हेतु उठाये गये कदम

7—श्री निर्भय नरायन सिंह (जिला बलिया)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मनोरंजन कर विभाग में कुशलता लाने के लिये इस वर्ष कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं तथा इससे वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय में कितनी बढ़ोत्तरी होने का अनुमान है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 541 पर।)

8—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

9—श्री श्याम बिहारी सिंह—

[8वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 16 पर स्थानान्तरित।]

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र

10—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला लेखा परीक्षाधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें फैजाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं पक्षपात के गम्भीर आरोप के शिकायती-पत्र 3–12–74 को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो क्या, और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, फैजाबाद के विरुद्ध तीन शिकायती पैम्फलेट माननीय सदस्य के पत्र दिनांक 2–12–74 के साथ प्राप्त हुए थे। इन गुमनाम पैम्फलेट में दिये गये आरोपों की जांच मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के माध्यम से करायी गयी थी। जांच के उपरान्त अधिकांश आरोप निराधार एवं असत्य पाये गये। तीन आरोपों के बारे में यह अवश्य पाया गया कि

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी छुट्टी में फैजाबाद से लखनऊ आने जाने के कारण कार्यालय में देर से पहुंच पाते हैं। इस प्रकार से यह आरोप भी सत्य पाया गया कि कुछ कर्मचारियों द्वारा गत वर्ष चुनाव के सम्बन्ध में प्रस्तुत यात्रा भत्ता देयकों का पास नहीं किया गया और लेखा परीक्षक श्री नामवर राय के अर्जित अवकाश से सम्बन्धित यात्रा व्यय तथा अवकाश वेतन का अधिक भुगतान कर दिया गया। इन अनियमितताओं के लिये जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को चेतावनी दे दी गयी है और उन्हें वहां से स्थानान्तरित करने के बारे में भी आदेश दिये जा चुके हैं।

देवरिया जिले की कतिपय गन्ना विकास समितियों के खाद गोदामों का स्टाक तथा उसका वितरण

11—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या गन्ना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में गन्ना विकास समितियां लक्ष्मीगंज, खड्डा तथा छितौनी के खाद गोदामों में 1 जून, 1974 को कितना-कितना उर्वरक था और उसका वितरण कब और किस रूप में हुआ ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्नगत अवधि में कथित तीनों समितियों के गोदामों में उर्वरक के स्टाक तथा वितरण का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 542–543 पर।)

हिन्दुस्तान शुगर मिल, गोला, लखीमपुर खीरी के सुरक्षित क्षेत्र में गन्ना सहकारी समिति द्वारा गन्ने का सट्टा

12—श्री छेदा लाल चौधरी (जिला लखीमपुर खीरी)—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिंदुस्तान शुगर मिल, गोला, जिला खीरी के सुरक्षित क्षेत्र में वहां की सहकारी गन्ना समिति के माध्यम से कुल कितनी मात्रा में गन्ना उत्पादकों के गन्ने का सट्टा कथित मिल में पूर्ति हेतु वर्तमान सीजन 1974–75 के लिये सीजन प्रारम्भ होने के पूर्व हुआ था ? तथा क्या यह भी सत्य है कि सीजन चलने के काफी समय के बाद भी सट्टे किये गये ? यदि हां, तो कितनी मात्रा में और कितने दिन के बाद ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

कथित चीनी मिल के सुरक्षित क्षेत्र में सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, गोला द्वारा सीजन 1974–75 के लिये सीजन प्रारम्भ होने के पूर्व 19–11–74 तक 35,773 सदस्यों के 39.75 लाख कुन्टल गन्ने के सट्टे किये गये थे। वैधानिक सदस्यता हेतु भूस्वामित्व के प्रमाण-पत्र देरी से प्रेषित करने पर ही सट्टे का प्राविधान होने के कारण 5356 सदस्यों के 3.50 लाख कुन्टल गन्ने का सट्टा दिसम्बर, 1974 तक किये गये। इसके बाद भी 20 कृषकों के सट्टे फिर भी रह गये जो 28–2–75 तक पूरे किये गये। इस प्रकार बाद में उक्त समय तक 5376 सदस्यों के 3.53 लाख कुन्टल के सट्टे हुये।

उन्नाव जिले में औद्योगिक ऋण प्राप्त उद्योग एवं उनमें लगे व्यक्तियों की संख्या

13—सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 31 मार्च, 1972 से 31 दिसम्बर, 74 के बीच उन्नाव जिले में औद्योगिक कर्ज किसको-किसको कितना-कितना बांटा गया ? इसमें से कौन-कौन उद्योग कार्यरत हैं, कौन-कौन नहीं ? कार्यरत उद्योगों में कितनों को काम मिला ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उक्त अवधि में बांटे गये औद्योगिक ऋणों से सम्बन्धित सूचना योजनावार संलग्न है।

कार्यरत उद्योगों में 85 व्यक्तियों को काम मिला।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 544 पर।)

इलाहाबाद नगर की सरकारी सस्ते गल्ले की निलम्बित दुकानें

14—श्री तीरथ राम कोहली--

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि सन् 1974 में इलाहाबाद नगर की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान कौन-कौन सी निलम्बित की गयी और उनके खिलाफ क्या-क्या आरोप थे ? क्या सन् 1974 में इलाहाबाद नगर से किसी सस्ते गल्ले के दुकानदारों के खिलाफ मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करायी गयी ? उसकी जांच रिपोर्ट तथा दुकानदारों का नाम क्या है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

(1) प्रश्नगत अवधि में इलाहाबाद नगर की 34 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें निलम्बित की गयीं जिसके सम्बन्ध में वांछित सूचना संलग्नक एक में प्रस्तुत है।

(2) जी हां, तीन दुकानों की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी। इनके सम्बन्ध में वांछित सूचना संलग्नक 2 में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 545-547 पर।)

कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा, मुरादाबाद की मरम्मत में हुआ व्यय तथा वहां की गई नियुक्तियां

15--श्री मुहम्मद हयात (जिला मुरादाबाद)--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुन्दन शुगर फैक्ट्री, अमरोहा, मुरादाबाद में गत वर्ष में कितने लागत की मरम्मत की गयी और मरम्मत का सामान कहां-कहां से और किस-किस कम्पनी से लिया गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा, मुरादाबाद में गत वर्ष रु0 9,12,774.54 पैसे की लागत की मरम्मत की गई। उक्त मरम्मत का सामान जहां-जहां से खरीदा गया है, उसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 548-549 पर।)

16--श्री मुहम्मद हयात--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुन्दन शुगर मिल अमरोहा, मुरादाबाद में स्थायी एवं अस्थायी नियुक्ति करने का क्या माप दंड है और चालू वर्ष में कितनी नयी नियुक्तियां की गयी हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कुन्दन शुगर मिल अमरोहा में अस्थायी नियुक्तियां मिल की आवश्यकतानुसार की जाती हैं और किसी अस्थायी कर्मचारी को स्थायी घोषित करने का मापदंड यह है कि वह किसी ऐसे रिक्त स्थान पर कार्य कर रहा हो जो स्थायी पद हो और उस पद पर स्थायी कर्मचारी ने तीन-चार वर्ष संतोषप्रद सेवा कर ली हो। चालू वर्ष में कुल 15 नियुक्तियां की गयी हैं।

फैजाबाद में चावल का कोटा

17—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1974 में फैजाबाद जिले एवं फैजाबाद नगर में चावल का कोटा कितना था और जनवरी, फरवरी, 75 में कितना रहा ? यदि कम हो गया तो कमी का क्या कारण है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

फैजाबाद नगर एवं फैजाबाद जिले के अन्य स्थानों के लिये अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1974 व जनवरी फरवरी, 1975 में चावल के आवंटन का विवरण निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े मीट्रिक टन में)

	अक्तूबर, 1974	नवम्बर, 1974	दिसम्बर, 1974	जनवरी, 1975	फरवरी, 1975
1—फैजाबाद नगर	168	168	168	240	168
2—अकबरपुर	18	18	18	26	18
3—जलालपुर	26	26	26	48	26
4—टाण्डा	68	68	68	138	68

अन्य जिले की तरह फैजाबाद जिले के चावल के आवंटन में भी जनवरी, 1975 से वृद्धि कर दी गयी थी परन्तु चावल की बाजार में उपलब्धता व राजकीय स्टाक्स को देखते हुये फरवरी, 1975 से इन जिलों के लिये किये जाने वाले आवंटन को पुनरीक्षित करके पूर्वानुसार कर दिया गया। अतः फैजाबाद नगर एवं फैजाबाद जिले के अन्य स्थानों के आवंटन को भी फरवरी, 1975 में पुनरीक्षित कर दिया गया।

फैजाबाद में सेंवई उद्योग एवं बेकरी को मैदा का कोटा

18—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

क्या खाद्य मंत्री बतायेंगी कि फैजाबाद में सेंवई गृह उद्योग एवं बेकरी को मैदा का कोटा 73—74 में क्या था और 74—75 में क्या है ? यदि कमी है तो उसका क्या कारण है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कथित वर्षों में फैजाबाद के सेंवई उद्योग एवं बेकरी को मैदा का निम्नलिखित कोटा दिया गया :—

वर्ष		सेंवई उद्योग	बेकरी
1973—74	..	134.55 क्वीन्टल	1460.10 क्वीन्टल
1974—75	..	4.50 ,,	234.89 ,,

2—वर्ष 1974—75 में मैदा के कोटा में कमी के कारण निम्नलिखित है :—

(1) माह मई से अगस्त, 1974 तक प्रदेश की रोलर फ्लावर मिलों को मैदा सूजी आदि बनाने के लिये गेहूं का आवंटन नहीं किया गया।

(2) माह सितम्बर, 1974 में शासन द्वारा फैजाबाद जिले को आवंटित किया गया मैदा सम्बन्धित मिल से नहीं मिल पाया।

(3) माह नवम्बर, 1974 व मार्च, 1975 में आवंटित मैदा का वितरण सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कराया गया। अतः सेंवई उद्योग व बेकरी को मैदा नहीं दिया गया।

बहराइच जिले के इकौना व गिलौला विकास खंडों में शकर के कोटेदार

19—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच जिले के विकास खंड इकौना व गिलौला में किन-किन न्याय पंचायतों में कौन-कौन शक्कर के कोटेदार है और किस-किस गांव के निवासी हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सूचना सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 550 पर।)

स्वायत्त शासन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, श्री हरिकेवल ने दिनांक 5-4-1975 को माननीय स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा दिनांक 25-3-1975 को तारांकित प्रश्न संख्या 63 के दिये गये उत्तर को निराधार तथा सदन से तथ्यों को छिपाये जाने का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना दी है। अपनी सूचना में माननीय सदस्य ने स्वयं यह कहा है कि "अपने अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया गलत बयान दिया है," जिससे स्पष्ट है कि वे यह मानते हैं कि जो कुछ भी सूचना दी गयी है, वह अधिकारियों द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर है। माननीय सदस्य ने कोई भी ऐसा आधार नहीं दिया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि सदन को जानबूझ कर गुमराह करने का प्रयत्न किया गया है। माननीय सदस्य ने यह सूचना विलम्ब से भी उठाई है, क्योंकि 25 मार्च के बाद सदन के कई उपवेशन हो चुके हैं। उपर्युक्त कारणों से मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

सहकारिता मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

दूसरी सूचना में माननीय श्री पुरुषोत्तम कौशिक, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 5-4-75 को तथा श्री मुलायम सिंह यादव एवं श्री बाबूलाल वर्मा ने आज अलग-अलग सूचना दी है कि माननीय पशुपालन मंत्री श्री नारायण सिंह ने श्री कौशिक के 1 अप्रैल, 1975 के प्रश्न का गलत उत्तर देकर विशेषाधिकार का हनन किया है तथा मर्यादा भंग की है।

माननीय श्री पुरुषोत्तम कौशिक ने 1 अप्रैल, 1975 को यह प्रश्न किया था कि क्या उत्तर प्रदेश की अन्तर्प्रान्तीय सीमा पर टीका चौकियों की स्थापना एवं रोग रहित पट्टी योजना निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार 29 फरवरी, 1975 से समाप्त कर दी गयी है। यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? इसका उत्तर माननीय श्री नारायण सिंह, पशु पालन मंत्री ने "हां" में दिया था और इस योजना को समाप्त करने का कारण बताते हुए कहा था कि भारत सरकार का मत था कि इस योजना को आयोजनेतर पक्ष में चलाया जाना चाहिये पर यह राज्य सरकार के लिये सम्भव न हो सका। माननीय श्री कौशिक ने इसके प्रमाण में पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित प्रगति 1975" पुस्तिका के पृष्ठ 46 को उद्धरित किया है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रदेश में पशुओं को पोंकनी रोग से मुक्त करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर 7 एवं अन्तर प्रदेशीय सीमा पर 12 सतर्कता यूनिट रोग रहित क्षेत्र बनाने में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य-मुख्य आवागमन के मार्गों पर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर 6 वेक्सीनेशन स्टेशन एवं अन्तर्प्रान्तीय सीमा पर 11 चेक पोस्ट स्थापित किये गये हैं, जहां पर भ्रमणकारी पशुओं की जांच की जाती है तथा पोंकनी रोग का टीका लगाया जाता है। इस योजना का मूल उद्देश्य प्रदेश की सीमा पर 20 किलोमीटर गहरी रोग रहित पट्टी बनाना है। पांचवीं योजना में इस कार्य-क्रम के अन्तर्गत

[श्री अध्यक्ष]

11 चेक पोस्ट तथा 5 सतर्कता यूनिट और स्थापित करने का प्रस्ताव है। माननीय श्री कौशिक ने ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि माननीय पशुपालन मंत्री ने 1 अप्रैल, 1975 को उनके प्रश्न का उत्तर देकर कोई गलत बयानी की है और ऐसी गलत बयानी करने में उनकी मंशा जानबूझ कर सदन को गुमराह करने की थी। अतः मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

एक निवेदन सुन लें. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

अभी तो आपका कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है. . . . . .

श्री मुलायम सिंह यादव—

मुझसे ही तो इसका सम्बन्ध है। मेरा निवेदन यह है कि जो उत्तर दिया गया है उसमें कहा गया है कि योजना समाप्त कर दी गई है और जो पशुपालन विभाग की प्रगति रिपोर्ट छपी है उसमें लिखा है कि कार्य चालू है। इस प्रकार सदन को गुमराह किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

इसका कारण वह बताते हैं कि अभी केन्द्रीय सरकार से पैसा नहीं दिया गया और उनके लिये इसे चलाना सम्भव नहीं है. . . . . .

श्री मुलायम सिंह यादव—

जो प्रगति रिपोर्ट निकली है. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

प्रगति रिपोर्ट सही है और जो माननीय मंत्री जी ने बयान दिया है उसमें कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि यह योजना थी और केन्द्रीय सरकार ने उसके लिये पैसा नहीं दिया।

श्री मुलायम सिंह यादव—

एक ओर कहा गया है कि योजना समाप्त कर दी गई है और दूसरी ओर कार्य चल रहा है. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

तो इससे कैसे बनता है? प्रश्न यह है कि जानबूझकर गलत बयानी कहां हुई है? इसलिये यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता।

वन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री मोतीलाल देहलवी ने माननीय वन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना दिनांक 5 अप्रैल, 1975 को दी है। उनका कहना है कि माननीय वन मंत्री ने दिनांक 2 अप्रैल, 1975 को उनके द्वारा विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में अपने स्पष्टीकरण में सदन में गलत बयानी करके एवं जानबूझकर तथ्यों को छिपाकर सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की है तथा सदन का अवमान किया है। इसी विषय पर माननीय देहलवी द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को माननीय वन मन्त्री के स्पष्टीकरण के पश्चात् समाप्त कर दिया गया था। माननीय वन मंत्री का उक्त स्पष्टीकरण उनके दिनांक 24 मार्च, 1975 के इस वक्तव्य के संदर्भ में था कि, मेरे तथा मेरे लड़के के नाम चिनहट के पास कोई जमीन नहीं है।" . . . . . जब कि माननीय देहलवी का यह कहना था कि उनके लड़के के नाम चिनहट के पास ग्राम धावां में जमीन है और जिसकी पुष्टि में श्री देहलवी ने

तत्सम्बन्धित खसरे की नकल प्रस्तुत की थी। अब श्री देहलवी ने अपने वर्तमान विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के साथ खतौनी से नकल की 6 प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की हैं जिसमें केवल एक नकल वही है जो उनके पूर्व प्रस्तुत विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के साथ संलग्न थी। शेष 5 नकलों को देखने से यह नहीं स्पष्ट होता कि जिनके नाम जमीन है, उनका सम्बन्ध माननीय वन मंत्री से है। माननीय श्री देहलवी ने कोई ऐसा आधार या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे माननीय वन मंत्री का सम्बन्ध उन व्यक्तियों से स्थापित हो सके।

इस विषय पर वक्तव्य के लिये पहले स्वीकार किया है। आपकी जो खसरे की नकलें हैं वह मैं राजस्व मंत्री को भेज देता हूं और राजस्व मंत्री से वक्तव्य के लिये एक पहले जो आपने दिया था, स्वीकार हो चुका है . . . . ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

इसमें दो बातें हैं। एक तो यह कि पहले मैंने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था 31 तारीख को, उसमें स्पष्ट जिक्र किया था कि माननीय वन मंत्री के पुत्र, उनकी पत्नी, नौकर आदि के नाम जमीन है . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

इसका जवाब उन्होंने दिया था। आपने जो कहा कि माननीय वन मन्त्री ने कहा, जो आप कह रहे हैं, मेरी स्त्री या मेरे लड़के . . . . . .

श्री मोतीलाल देहलवी—

उस दिन भी कहा है, उसको आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

"मेरे और मेरे पुत्र का नाम नहीं है," उन्होंने यह कहा।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, जिस समय यह जिक्र हो रहा था उस समय मैं सदन में मौजूद नहीं था यह उन्होंने कहा। हमने 24 तारीख की कार्यवाही देखी है। आप कार्यवाही को देख लें 24 तारीख की वह जाहिर करती है . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य मांगा है आपके प्रश्न पर . . . . . .

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, मंत्री जी उस वक्त मौजूद थे। उस वक्त श्री रामअधार जी ने कहा था कि माननीय मन्त्री जी मौजूद हैं सदन में और उनके लड़के के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें सफाई देनी चाहिये। तो यह कहना मौजूद नहीं थे . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह मामला खतम हो गया था। माननीय नेता विरोधी दल देख लें। यह मामला जहां तक विशेषाधिकार का है समाप्त हो गया था उसमें खेद प्रकट किया गया और क्षमा किया गया। उसको फिर प्रकारांतर से उठाना ठीक नहीं।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, यह मामला बड़ा गंभीर है, आप स्वयं सोचें जरा।

श्री अध्यक्ष—

यह तो मैंने कहा इसीलिए वक्तव्य के लिये स्वीकार किया। (व्यवधान) फिर सब-जुडिशियल (अर्द्धन्यायिक) क्यों बना रहे हैं? . . . . . .

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

पहले उनकी बात कृपया पूरी सुन लें, पूरा कहने दें।

श्री मोतीलाल देहलवी--

एक बार उन्होंने गलत बयानी की और फिर दुबारा उसी दिन दूसरी गलत बयानी की। मान्यवर, आप स्वयं विवेक का इस्तेमाल करें। एक केबिनेट मिनिस्टर और वह पुराने मिनिस्टर हैं इस तरह से गरीबों को, भूमिहीनों को मिलने वाली जमीन को अपने कब्जे में करेंगे दूसरों का पट्टा कैंसिल करायेंगे और फिर भी मंत्रिमंडल में बने रहेंगे, तो मान्यवर, यह मंत्रिमंडल के लिये कलंक की बात होती है।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, लेकिन यह बात विशेषाधिकार को कैसे बनती है ? मंत्रिमंडल की बात छोड़िये।

श्री मोतीलाल देहलवी---

अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिये था। आपके द्वारा मैं कह रहा हूं कि सार्वजनिक जीवन में पवित्रता हो.....

श्री अध्यक्ष---

मंत्रिमंडल में रहना कलंक है यह बात आप की अलग है, आप दूसरे प्रश्न पर जा रहे हैं। आप यह बतायें कि विशेषाधिकार का उलंघन कहां हुआ ?

श्री मोतीलाल देहलवी---

उस दिन भी उन्होंने यह कहकर कि मैं सदन में मौजूद नहीं था जिस समय यह प्रश्न उठा था, गुमराह किया। मेरा यह कहना है कि वह सदन में मौजूद थे, आप 24 तारीख की कार्यवाही देख लें।

श्री अध्यक्ष---

वह देखी है। वह देर से आये थे (व्यवधान) सुन लीजिये, वह देर से आये। कार्यवाही को मैंने देखा (व्यवधान) आये तो किन्तु देर से।

श्री मोतीलाल देहलवी---

देर से आये उस समय वह मौजूद थे जिस समय गांव धावां का जिक्र आया। उस वक्त श्री सत्यपाल मलिक और श्री रामअवार राय ने यह कहा कि माननीय मंत्री जी मौजूद हैं। उस पर श्री ऊदल भी बोले। श्री सत्यपाल मलिक ने फिर कहा....।

श्री अध्यक्ष---

आप विशेषाधिकार में सवाल अब उठाना चाहते हैं, एक वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। तो या तो फिर वक्तव्य को खतम करें और फिर विशेषाधिकार का सवाल लें। यह अर्द्ध-न्यायिक है। आपका क्या मंतव्य है ? वक्तव्य का सवाल उठाया है जिसको 15 तारीख को आना है।

श्री मोतीलाल देहलवी---

वह अलग प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

अलग नहीं है, वक्तव्य स्वीकार किया है। अब आप विशेषाधिकार का सवाल बताना चाहते हैं.....

श्री मोतीलाल देहलवी---

उसमें मंत्री जी के साथ और व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं व्यापारी और अधिकारी जुड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष---

इस सारे सवाल को जो आप विशेषाधिकार के अन्तर्गत ले रहे है, जिस पर बयान शासन से मांगा है....

श्री मोतीलाल देहलवी---

यह विशेषाधिकार का प्रश्न साफ है। 24 तारीख की कार्यवाही आप देखें।

श्री अध्यक्ष---

आरोप आप लगा रहे हैं। (व्यवधान) हो सकता है लेकिन यह अनुमान या अटकल आप लगा रहे हैं कि यह विशेषाधिकार का मामला है। वहीं तक आप सीमित रहें। लेकिन यह कहना कि मंत्रिमंडल के लिये कलंक है, अनावश्यक ढंग से कह रहे हैं ?, जब एक सवाल उठा रहे हैं, मान लीजिये विशेषाधिकार का उठा रहे हैं तो वहीं तक सीमित रहें। दूसरी तरफ किसी के विरुद्ध भी बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो बात आप कह रहे हैं, उसमें नतीजे पर क्यों जाते हैं। जो वक्तव्य आएगा, उसमें आपको मौका मिलेगा सवाल करने का, उनसे हर चीज पूछने का। तो वक्तव्य, यदि आप चाहते हैं, जो स्वीकार है 15 तारीख के लिये, उसके बीच में उसे अर्द्ध-न्यायिक बनाना चाहते हैं तो मुझे स्पष्ट करना पड़ेगा कि वक्तव्य अपनी जगह पर है या नहीं।

श्री मोतीलाल देहलवी .....

वक्तव्य अपनी जगह पर है। वह जनरल है। वह तो अलग चीज है। उसमें कई मंत्रियों के नाम और दूसरे लोगों के भी हैं .....

श्री अध्यक्ष---

तो आप गुमराह कर रहे हैं। क्या यह समझा जाए कि जो आपने नाम लिए हैं, उसमें वन मंत्री का नाम नहीं है। आपका मतलब इस वक्तव्य से है कि दूसरे मंत्रियों से है।

श्री मोतीलाल देहलवी---

इसको आप देखगें गलत बयानी हुई है या नहीं।

चौधरी चरण सिंह---

जैसा आपसे अर्ज किया था और आप राजी हो गये थे। शायद यह (श्री देहलवी) पूरी तरह अपनी बात समझा नहीं पाये। जो उन्होंने उस दिन खेद प्रकाश किया था, वह उस विषय पर किया था कि धावां गांव में जमीन उसके पास है। उन्होंने कहा चिनहट के पास नहीं है, मैं बाहर से जल्दी में आया था, कह दिया कि चिनहट के पास कोई जमीन नहीं है। धावां गांव वहां से 5-6 मील है। आपने कहा 3 मील है। फिर भी वह चिनहट के पास माना जाएगा। फिर भी वह कहते हैं कि यह 5-6 मील पर धावां गांव है और वह चिनहट के पास की परिधि में नहीं आता है। लेकिन जो उन्होंने उस दिन कहा था, जो आज यह उठाना चाहते हैं यह है कि, "मेरे लड़के के पास साढ़े सात बीघा जमीन है" वह कह रहे हैं कि यह बयान गलत है। इसलिये यह विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है।

श्री अध्यक्ष---

यह खसरे से भी साबित होता है जो मोतीलाल जी ने खसरे की नकल दाखिल की है, उससे भी यही साबित होता है।

चौधरी चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, आप पूरी बात तो न मुझे कहने देंगे न उन्हें।

श्री अध्यक्ष---

इस अर्द्ध-न्यायिक मामले को लिया जाएगा तो .....

चौधरी चरण सिंह---

अच्छा इस वक्तव्य को ले लीजिए, तब उस पर विचार हो। उनका यह कहना कि ज्यादा मेरे लड़के के पास है, वह हाउस को मिस्लीड करना चाहते थे---इससे हाउस मिस्लीड हो जाएगा। जब उनकी एक वाइफ के नाम भी है, नौकरों के नाम है, इस प्रकार कुल साढ़े 22 हो जाती है .....

श्री अध्यक्ष--

खसरे में माननीय मोतीलाल देहलवी जी ने जो इस विशेषाधिकार के साथ संलग्न किए हैं, वह एक तो यह दिया है--खतौनी की नकल है, अजय प्रताप सिंह पुत्र ए0पी0 सिंह, निवासी महानगर। 1300 फसली का है, 420 खाता नम्बर, साढ़े 7 बीघा, लगान साढ़े 8 रुपया। एक तो यह है दूसरी जो उन्होंने दिया है वह.....

चौधरी चरण सिंह--

जब वह इस पर बयान देंगे, तब सब साफ हो जाएगा, अभी आप इसे क्यों पढ़ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप मुझे बदलते जायेंगे या जो देते हैं, वहीं तक रहेंगे। मुझे यह देखना है।

चौधरी चरण सिंह--

यह अदालत तो है नहीं कि एक-एक लफ्ज को पकड़ा जाएगा। आपने खुद फरमाया है कि उनका बयान आ जाए, तब इस पर होगा। मामला इस लेवेल पर आया कि यह उनकी वाइफ हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष--

जो मामला उन्होंने स्वयं संलग्न किया है, जो रखने के लिये दिया है.....

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

आप अपने तक ही अभी इसे रहने दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

इस पर तो विशेषाधिकार के लिये हमें उन्हें पुनः नोटिस देनी पड़ेगी। उसको हम अग्राह्य करें। नोटिस फिर से देना होगा।

चौधरी चरण सिंह--

अगर वक्तव्य के बाद साबित हुआ कि उन्होंने गलत बयानी की है या फैक्ट्स नहीं रखे हैं तो विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न का नोटिस जारी होगा।

श्री अध्यक्ष--

जी हां, तब उठेगा। इसको अग्राह्य किया। जो दिया है उसमें कहीं भी स्त्री का नाम नहीं है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत एक सूचना माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी की है कि "राज्य सरकार द्वारा अभी तक आपातकालीन स्थिति समाप्त किये जाने की अनुशंसा केन्द्रीय सरकार से न करने के फलस्वरूप 6 अप्रैल को जनता द्वारा एक दिवस मना कर आपातकालीन स्थिति समाप्त करने की मांग।"

इस पर आप क्या चाहते हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, आपातकालीन स्थिति का नाम लेने से ही पूरी स्थिति का आभास हो गया होगा। कल सारे प्रदेश में समायें हुई कि इस आपातकालीन स्थिति को समाप्त किया जाय वह एक आन्दोलन का रूप धारण कर रही है। यह सरकार प्रजा के साथ मखौल कर रही है। जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी उस समय यह इमर्जेन्सी लागू हुई थी। लड़ाई समाप्त हुये चार साल हो गये हैं। लेकिन अभी तक यह जारी है। जब सरकार चाहती है तो किसी भी आदमी को अदालत से त्राण पाये बिना जेल में ठूंस देती है। ऐसी शक्ति हिटलर के समय में भी नहीं थी और अंग्रेजी राज्य में भी नहीं थी।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मान्यवर, काम रोको की कोई घटना पूछिये। कामरोको का कोई विषय तो होगा? आप कहें कि कांग्रेस शासन है इसलिये काम रोको दे रहे हैं। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

अगर इस कार्य का सरकार से संबंध सीधा हो तब तो ठीक है इस सरकार का इसमें क्या हाथ है?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, अभी मैं कह रहा हूं। यह आपके अधिकार में है। हम सारे प्रदेश का ध्यान दिलाना चाहते थे कि आज भी इमर्जेन्सी लागू है और हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। डी0 आई0 आर0 लागू करके सरकार जिसको चाहे उसको जेल में ठूंस देती है और वह आदमी अदालत में त्राण नहीं पा सकता है। सारे प्रदेश में कल चर्चा हुई। इस प्रदेश में भी जिले के स्तर पर हर जिले में मीटिंग्स हुईं। सब के मन में यह बात पक्की हो गई है कि यह कांग्रेस सरकार डिक्टेटरशिप लेकर चल रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि चर्चा का अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

इस शासन से इसका संबंध नहीं है इसलिये स्वीकार करने में असमर्थता है।

श्री अध्यक्ष--

एक श्री मोहनलाल कपूर और श्री रामपति का है। प्रतापगढ़ में 6 अप्रैल को आपातकालीन स्थिति हटाओ दिवस, जो जनसंघ समन्वय समिति के तत्वावधान में चल रहा था, के अवसर पर पुलिस द्वारा भूतपूर्व संसद सदस्य श्रीमती सरला भदौरिया सहित लगभग 20 व्यक्तियों की अकारण गिरफ्तारी से जन असंतोष।

यह इसका कैसे विषय हो गया? यह अग्राह्य है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, हम कैसे कहें कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। हम प्रोसेशन नहीं निकाल सकते हैं, मीटिंग नहीं कर सकते हैं, यह आयें तो इनके सामने प्रदर्शन नहीं कर सकते, प्रदर्शन करें तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो, कहीं इमर्जेंसी का नाम ले लेते हैं, आर्थिक कारणों से इमर्जेंसी जारी है। अनेक ऐसे कारण हैं। मैंने तो एक मिसाल दे दिया है।

श्री अध्यक्ष--

तीसरा यह महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद में कचहरी स्थित डाकघर में डकैती पड़ी है। 51 में.....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

सुन लें कि 56 में क्यों आवश्यक है? डाकघर में दिन दहाड़े एक लाख रुपये की डकैती पड़ी। बगल में कलेक्टर का आफिस है, ज्येष्ठ अधीक्षक पुलिस का दफ्तर है, स्टेट बैंक आफ इंडिया है। दिनदहाड़े सशस्त्र डाकू आये और लूट कर ले कर चले गये। दस गज पर सरकारी खजाने में आर्म्ड गार्ड रहता है। सारे प्रदेश में शान्ति व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गयी है।

श्री अध्यक्ष--

अस्वीकार किया है, इसको। 51 में देंगे वक्तव्य के लिये, तो इस पर विचार करेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैंने जो अनशन से प्रदेश में स्थिति उत्पन्न हो गयी है उस पर आपके पास 301 में प्रार्थना-पत्र दिया है।

श्री अध्यक्ष---

301 के बारे में देख लें तब ना आपको लिखित सूचना दे देंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मोरारजी देसाई जो उपवास कर रहे हैं उसके बारे में सारे प्रदेश में चर्चा है। देख लें।

श्री अध्यक्ष---

यह विषय कहां स्वीकार करने लायक है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

अनशन से उत्पन्न प्रदेश में जो स्थिति है.....

श्री अध्यक्ष---

गुजरात प्रदेश के सम्बन्ध में उनका अनशन है। यहां से सम्बन्धित नहीं है।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर) ---

मैंने और सत्यप्रकाश जी मालवीय ने और कई सदस्यों ने नियम 103 में 2 अप्रैल, 1975 को दिया हुआ है। आज तक नहीं हुआ। कई प्रश्न पेंडिंग रह जाते हैं। आप का कोई निर्णय नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष---

वह यहां नहीं दिया जाता है। 103 के बारे में जब निर्णय होगा तब सूचित करेंगे।

1975-76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 41---सहकारिता, अनुदान संख्या 49---पशु पालन, अनुदान संख्या 50---दुग्धशाला (डेरी) विकास, अनुदान संख्या 51---मत्स्य उद्योग, अनुदान संख्या 72---सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 79---पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 91---ऋण और अग्रिम--सहकारिता (क्रमागत) †

*श्री बनवारी राम यादव (जिला बलिया)----

मान्यवर, हमारा देश कृषि प्रधान प्रदेश है जिसमें 75 से 80 फीसदी जनता बहुत ही गरीब है और खाद्य पदार्थों की बहुत कमी है। जीवनयापन बहुत कठिन है। इस देश में सहकारिता के लिए बहुत विशाल क्षेत्र है और यह ठीक ही कहा जाता है कि सहकारिता को छोड़ कर हमारे देहाती क्षेत्र के कृषकों, मजदूरों और कमजोर वर्ग के लोगों के आर्थिक विकास के लिये और कोई साधन कामियाबी के साथ बनाना बहुत ही कठिन है। इसलिये स्वतन्त्रता के बाद सहकारी आन्दोलन के चतुर्दिक विकास और प्रसार के लिये हमारी सरकार ने बहुत प्रयत्न किया। हर क्षेत्र में इसका विकास भी हुआ और काफी प्रगति हुई। लेकिन यह खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि प्रगति के साथ-साथ इस आन्दोलन में संस्थाओं में इतना भ्रष्टाचार और इतनी गड़बड़ी हुई जिससे जो लाभ आम जनता को मिलना चाहिये वह नहीं मिला।

---

†5 अप्रैल, 1975 की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह बात स्पष्ट है कि सहकारिता आन्दोलन यद्यपि बहुत बड़ा आन्दोलन है। संस्थाओं की, समितियों की और सदस्यों की बहुत बड़ी संख्या है। गांव-गांव और घर-घर में इस आन्दोलन का प्रसार है। फिर भी अगर हम देखेंगे पिछले वर्षों में हमेशा इस विभाग का बजट बहुत ही अपर्याप्त रहा है, बहुत ही कम रहा है और इसको ध्यान में रखते हुए इस विभाग ने विकास क्रम में कृषि उत्पादन के क्रम में, खाद के क्रम में और कृषि यन्त्रों के क्रम में बहुत ही योगदान दिया है, लेकिन इसमें गड़बड़ियों के कारण इसकी बहुत ही बड़ी दयनीय दशा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे प्रान्त में केवल 32,457 सहकारी संस्थायें हैं और केन्द्रीय और प्राइमरी सब मिलाकर हैं। इसमें आडिट के वर्गीकरण में केवल 69 सोसाइटीज 'क' वर्ग में है और 292 'ख' वर्ग में हैं और बाकी सभी सोसाइटीज 'ग' और 'घ' वर्ग में हैं। आप इनकी दशा को समझ सकते हैं कितनी दयनीय दशा है। एक नहीं सारी संस्थायें इस प्रदेश में 'ग' और 'घ' वर्ग में हैं जिसका मतलब यह है कि जब तक सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं देगी तब तक ये उन्नति नहीं कर सकती हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि यद्यपि आन्दोलन की प्रगति हुई है, लेकिन इनकी दशा बड़ी ही दयनीय है।

मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं क्रेडिट समितियों में हमारे मन्त्री जी ने बताया कि 50 प्रतिशत की वसूली हो चुकी है। गरीबों में जो कर्जा बांटा जाता है, मैं समझता हूं कि सभी गरीब आदमी ईमानदारी के साथ अपने कर्जे का भुगतान करता है। लेकिन वसूली इतनी खराब है जिसका कारण यह है कि समितियों की अधिकांश धनराशि बड़े-बड़े लोगों के हाथ में चली जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि जमींदार चले गए हैं परन्तु उनकी जगह पर सहकारिता की जमींदारी काम कर रही है। बड़े-बड़े लोग एक-एक समिति में प्रभावशाली स्थान रखते हैं जो गरीब किसान के नाम पर कर्जा लेते हैं और फिर वह कर्जा उस गरीब से वसूल किया जाता है जिससे वह वसूल नहीं हो पाता है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि विभाग जो है उसकी वसूली की कार्यवाही करें। उन गरीबों से जो रुपया वसूल किया जा रहा है वह न किया जाए।

मेरा सुझाव है कि ऐसी सारी समितियों के हिसाब-किताब की जांच की जाए और ऐसी स्थिति का पता लगाया जाए जब तक यह नहीं हो जाता इसकी प्रगति नहीं होगी। और यह भी होगा कि गरीब लोगों को और कमजोर लोगों को जिन्होंने रुपया नहीं लिया है उनके ऊपर अत्याचार होगा। प्रान्तीय स्तर पर जो प्राविन्शियल कोआपरेटिव फेडरेशन है जिसमें 7 करोड़ का कारोबार हुआ है लेकिन 1968-69 से अब तक डिवीडेन्ड नहीं बांटा गया है। यह बड़े दुख का विषय है कि शेयर होल्डरों को एक भी पैसा नहीं मिला है। जैसा कि इनकी रिपोर्ट से मालूम होता है। एक बहुत बड़ी पूंजी गलत तरीके से इस्तेमाल की गयी है, वरना यह डिवीडेन्ड 6-6 वर्ष से क्यों नहीं दे पायी है।

आज यह कहा जा रहा है कि इस विभाग में बहुत कम भ्रष्टाचार है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि जब मैं आजमगढ़ में इस विभाग में था तो मैंने गबन और गड़बड़ के 9 लाख के मामले पकड़े थे और रिपोर्ट की, जिसका नतीजा यह हुआ कि मुझे आजमगढ़ से तबादला करके लखनऊ में भेजा गया और रिटायर करने की बात सोची जाने लगी। मैंने तुरन्त छुट्टी ले ली और अपनी जान छुड़वा ली, मैंने अपने सहकारी विभाग की 23 वर्ष की अवधि में जितने भ्रष्टाचार के मामले पकड़े, मैं समझता हूं कि किसी दूसरे व्यक्ति ने न पकड़े होंगे। इस सब के लिये मैंने बहुत बड़ा नुकसान भी उठाया।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये छोड़ कर भाग आये ?

श्री बनवारी राम यादव--

मान्यवर, कोआपरेटिव विभाग की डेयरीज बड़ी-बड़ी जगहों में हैं। पूर्व में भी कुछ जिले ऐसे हैं जैसे बलिया, वहां पर बड़ी आसानी से डेयरी कायम की जा सकती है लेकिन मैं देखता हूं कि इस जिले में इस विभाग के द्वारा न तो कोई योजना विकास की पिछले ही वर्ष थी और न इस वर्ष है। डेयरी चलाने के लिये यह जिला बहुत ही उपयोगी है, वहां पर गंगा का किनारा है। वहां की गायें और भैंसें मशहूर हैं। इसलिये मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में भी एक अवसर दें और एक डेयरी खोलने की कृपा करें।

इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और विरोधी पक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*ठाकुर राधा चरण सिंह (जिला मथुरा)---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, यह विभाग ऐसा है कि अगर इसको सुचारुरूप से चलाया जाय और ईमानदारी के साथ चलाया जाय तो देहात के किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है लेकिन इस विभाग को केवल राजनीति से प्रेरित होकर चलाया जा रहा है। इस विभाग के जितने भी कार्य हैं वे राजनीतिक उद्देश्य से पूरा किए जा रहे हैं। मान्यवर, आज से 10 वर्ष पहले केन्द्र ने यह सुझाव दिया था कि अधिनियम में यह संशोधन कर दिया जाय कि अगर कोई समिति बकाया है तो कोआपरेटिव डिपार्टमेंट उससे सीधा रुपया वसूल कर ले लेकिन आज तक उस पर हमारी सरकार ने कतई ध्यान नहीं दिया है बल्कि यह संशोधन किया कि जिस समिति में अगर राज्य सरकार का शेयर मनी का 15 लाख रुपया होगा तो उसके प्रेसीडेन्ट को नोमीनेट करने का अधिकार हमारी राज्य सरकार को होगा। यह उल्टा बना दिया गया।

अधिनियम को बने हुए 9 वर्ष हो गये हैं लेकिन इसकी धारा 103 और 105 को आज तक भी काम में नहीं लाया गया है। उसका कारण केवल यह है कि आज तक भी उसके प्रोसिजर के बारे में किसी को मालूम नहीं है। धारा 94 में है कि आर्बिट्रेशन की डिग्री से पहले कुर्की की जा सकती है लेकिन इसका भी प्रोसिजर आज तक किसी को पता नहीं है और न नियमों में लाया जा रहा है। धारा 121 और 122 के अनुसार समितियों को अपने कर्मचारियों को रखने के लिये नियम बनाने के अधिकार हैं। इसी तरह नियम 124, 125 और 126 के अनुसार बैंकों को सचिव नियुक्त करने का अधिकार है। उसमें दिया हुआ है कि जो योग्यतायें निर्धारित हैं उनके अनुसार विज्ञापन करें और सेलेक्शन के बाद तीन नाम रजिस्ट्रार के यहां भेज दें। उनमें से रजिस्ट्रार को अधिकार है कि जिसको चाहें एप्रूवल दे दें। लेकिन किया क्या गया है? अधिनियम और नियमों के विपरीत एक सर्विस बोर्ड उसके लिये बना दिया गया है। उसकी सिर्फ मंशा यह है कि शासकीय पार्टी के आदमियों को इस विभाग में भर दिया जाय। इस विभाग को अनुदान देने की मैं तो कतई आवश्यकता नहीं समझता। इस विभाग को तो मैंने लोगों को कहते सुना है कि यह कोआपरेटिव नहीं है बल्कि खापरेटिव है। इसका मतलब है कि खाओ और परेड करो।

मेरा अपना अनुभव है कि इस विभाग ने लाखों व्यक्तियों को लखपती बना दिया जिसमें सुपरवाइजर से ले कर मंत्री महोदय तक शामिल हैं। एक सुपरवाइजर के घर पर जाने का मुझे अवसर मिला जिसका कोई स्टेटस नहीं था। लेकिन उसका आलीशान मकान बना हुआ था जिसमें टेलीविजन सेट लगा हुआ था, कूलर लगा हुआ था। मैं तो दंग रह गया कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह रुपया आया कहां से। लाखों रुपये गरीब किसानों पर फर्जी थोप दिये गये। मैं एक मिसाल दे दूं। रक्षा कोष में करोड़ों रुपये इस विभाग से दिये गये। मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि रक्षा कोष में न दिया जाय। लेकिन जिस तरीके से दिया गया उसका मैं विरोधी हूं। समितियों की स्वीकृति के बगैर ओवर–ड्राफ्ट कर के करोड़ों रुपये इस कोष में दिये गये तो समितियों की स्वीकृति के बगैर देने का मैं विरोधी हूं। एक मंत्री महोदय ने इलाहाबाद के पास चंडी यज्ञ कराया और उसके लिये कई लाख रुपये हर जिले के बैंक से चन्दा के रूप में इकट्ठा किये गये। हो सकता है मंत्री महोदय ने भी अपनी जेब भरी हो। अगर आप जांच करायें तो हर जिले के रेकार्ड्स से आपको इसका एविडेन्स दस्तयाब हो सकता है।

एक रिकवरी फंड बनाया जाता है फैक्टरियों से 10 फीसदी ले कर। उसमें एक जीप भी इस्तेमाल होती है। वह जीप रिकवरी का ही काम नहीं करती है बाकी सब काम करती है। उसका इतना मिसयूज होता है। अमीन रखे जाते हैं। एक अमीन को डेढ़ सौ रुपये तनख्वाह देते हैं। वह भी 3–4 महीने बाद मिलती है। अमीन वसूली नहीं करता बल्कि अपनी रिश्वत वसूल करता है। अमीन जब कभी किसी से रुपये वसूल करता है तो उसे रसीद देता है। लेकिन यदि अमीन गबन करके भाग जाता है तो जिस काश्तकार के पास रसीद है उसको भी माफ नहीं किया जायगा, उससे दोबारा वसूली होती है। यह बहुत आवश्यकीय चीज है कि इसमें संशोधन किया जाय।

मान्यवर, इस विभाग में करोड़ों रुपये का गबन है। जो पुलिस सेल इसके लिये बनायी गयी है वह इतनी कम तादाद में है कि शायद बीस साल में भी इन मुकदमों का फैसला न कर सके।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

ठाकुर राधा चरण सिंह—

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, आपने मुझे समय दिया मैं इसके लिये आभारी हूं। मैं सहकारिता मन्त्री जी के बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सहकारिता के बारे में बहुत बातें कही जा चुकी हैं। चन्द बातें सुझाव के रूप में कहते हुये पुनः मैं मत्स्य पालन पर विशेष बल दूंगा। हमारे मन्त्री जी के पास यह विभाग अभी-अभी नया-नया ही आया है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से इस विभाग में भ्रष्टाचार के बारे में कहा गया है। इसको दूर करने की जरूरत है और इसके लिये जो पुलिस दस्ता है उसे और मजबूत बनाने की जरूरत है। इसने शुरू-शुरू में काफी तेजी से धड़पकड़ शुरू की थी और उसके कारण काफी हलचल विभागों में मची थी। मगर स्टाफ की कमी के कारण यह पुलिस दस्ता अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। बलिया जिले के बारे में एक केस दर्ज हुये साल भर हो गया, पुलिस भी गयी और वह तमाम कागजात भी लेती आयी तथा धड़पकड़ भी की। उसके बाद काम बन्द हो गया, ऋण देना भी बन्द हो गया। अगर पुलिस को और सुदृढ़ किया जाय तो तमाम मामले पकड़ में आ सकते हैं। पुलिस अपनी कुछ कारगुजारी दिखा सकती है।

[श्री निर्भय नारायण सिंह]

सरकार ने यह निश्चय किया है कि प्राथमिकता के आधार पर सरकारी सस्ते गल्ले की दूकाने सहकारी संस्थाओं को दी जायेंगी। इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। यह सहकारी संस्थायें दूकान लेकर दूसरों को दे देती हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच करायी जाय और इस तरह से जो भ्रष्टाचार हो रहा है वह रोका जाय। जिन सहकारी संस्थाओं ने अन्य व्यक्तियों को दूकानें दे दी हैं उनको कैन्सिल किया जाय।

जिला बैंकों में प्रशिक्षित सुपरवाइजरों की कमी है। इस कमी को दूर किया जाय। बहुत बड़ी धनराशि सेन्टर से प्राप्त हुई है जो बैंक कर्जा चुकाने में असमर्थ हैं या जो नादेहन्द लोग हैं उनकी रकम को बट्टे खाते में डालने के लिये। इसमें बहुत बड़ा घपला होगा। जो महन्त लोग हैं उन्हों की रकम बट्टे खाते पड़ जायेगी, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेनामी नाम से कर्ज लिये हुये हैं। इसका लाभ उन्हें ही होगा। इसलिये इस तरफ ध्यान दिया जाय। मुझे दुख है कि अभी तक इस सम्बन्ध में राज्यस्तर से बाइलाज नहीं बने हैं। वे शीघ्र बनाये जायें।

हमारे यहां बहुत से बैंक 'सी' क्लास में हैं। उनको सेन्ट्रेल बैंकों ने कर्जा देना बन्द कर दिया है। उनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारा जाय और इस संबंध में मंत्री जी कुछ आवश्वासन दें तथा वहां सरकारी खर्चे के अनुपात से डायरेक्टर भी नियुक्त करें वरना यह मगरमच्छ जो बैठे हैं वे परा बैंक खा जायेंगे।

अब मैं मत्स्य पालन के बारे में कुछ निवेदन करूंगा। 3 साल पहले मैंने एक बहुत लम्बा चौड़ा पत्र इस संबंध में विभाग को लिखा था और अपने कुछ सुझाव दिये थे, जिसका उत्तर आज तक मुझे नहीं मिला। सन् 1971 में एक टीम एम0 एल0 एज की दक्षिण-पूर्वी एशिया में भ्रमण करने के लिये गयी थी। उत्तर प्रदेश का पूर्वी कुछ भाग धान का एरिया है और वहां काफी पानी भरा रहता है। इसलिये वहां काफी मत्स्य पालन का काम किया जा सकता है। हांग कांग तथा साऊथ एशिया में जहां-जहां पानी भरा रहता है वहां मत्स्य पालन का काम होता है। मैंने 3 साल पहले यह सुझाव रखा था, इससे मेरा विश्वास है कि 2 करोड़ रुपये साल की बलिया जिले से आमदनी आपको हो सकती है। हमारे गोरखपुर और वाराणसी डिवीजन के प्रत्येक जिले में इस तरह के तालाबों की भरमार है। जो पुराने तालाब हैं उनकी फिर से खुदाई कराने के लिये कम सूद पर ऋण की व्यवस्था करें, ट्यूबवेल्स तथा नहरों को चेनेलाइज करके उनके लिये स्थायी रूप से मत्स्य पालन की योजना बनायी जाय और वातानुकूलित रेलवे डिब्बों के जरिये बंगाल और कलकत्ता के मारकेट तक हम मछलियों की सप्लाई कर सकते हैं। हमारी जमीन पर आबकारी लोड बहुत ज्यादा है तो हमें पानी के अन्दर जाना पड़ेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां तक मुर्गी पालन की बात है, उसके साथ-साथ मत्स्य पालन की ओर भी आपको ध्यान देना होगा। हमने देखा कि इसके लिये आपने एक डाइरेक्टर बना दिया लेकिन जहां तक और खर्च की बात है, फील्ड पर आप ज्यादा खर्च नहीं करते हैं।

जहां पर बतक एवं मत्स्य पालन की बात है, उस पर हमारे यहां विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपके अधिकारियों को बिहार और बंगाल से ट्रेनिंग लेनी चाहिये और दूसरी बात यह है कि इसमें अधिकारियों को इनीसिएटिव लेनी चाहिये। वे समझते हैं कि कोई नुकसान न हो जाय, कोई बीमारी न हो जाय, इसलिये हाथ नहीं लगाते हैं। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये यह बहुत आवश्यक है कि आप अपने अधिकारियों को मत्स्य पालन की ट्रेनिंग के लिये बंगाल भेजें और इस पर आप पुनर्विचार करें कि जो हमारे पुराने तालाब बेकार पड़े हुए हैं, उनकी खुदाई करने के लिये कोआपरेटिव बेसिस पर ऋण दिया जाय। कोआपरेटिव बेसिस पर यदि सामूहिक रूप से ऋण दिया जाता है तो उन तालाबों की सुरक्षा नहीं है और इसमें लाभ के बजाय नुकसान हो जायेगा। इसलिये व्यक्तिगत रूप से भी लोन दिया जाय। जो लोग व्यक्तिगत रूप से लोन प्राप्त करना चाहते हैं उसे

प्राप्त करें और जिस रफ्तार से डेवलपमेंट करना चाहते हैं, मछली पालन के सिलसिले में अपनी रुझान पैदा करें। अगर हमारे गोरखपुर और वाराणसी कमिश्नरी में मछली पालन की कोशिश की जाय और लोन लेकर तालाबों का डेवलपमेंट करें तो हम समझते हैं कि पूरे बंगाल के मारकेट को कैप्चर कर सकते हैं और इससे करीब 25 करोड़ रुपये की हमारी आमदनी हो जायेगी।

मैं आपका ध्यान थोड़ा पशुपालन की ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं। डेरी सम्बन्धी भी योजना जौनपुर, वाराणसी और बलिया में बनी थी। कोआपरेटिव बेसिस पर उनको अब तक कम्पलीट हो जाना चाहिये था लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि उनका प्रथम चरण भी पूरा नहीं हुआ है। पहले श्वेत क्रान्ति का नारा लगाया गया था और उसके नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किये गये लेकिन आज तक इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और पूरे हाउस का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि पशुओं के जितने भी बेस्ट ब्रीड हैं वे खतम होते जा रहे हैं। पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश से 7–8 किलो दूध देने वाली गाय–भैंसें बंगाल–कलकत्ता के मारकेट में बेंची जाती थी लेकिन अब तीन-तीन किलो दूध देने वाली गाय-भैंसें भी बंगाल और कलकत्ता भेजी जाती हैं और फिर वे वहां से लौट कर नहीं आतीं। इसकी वजह से बढ़िया नस्ल गाय भैंसों की खतम होने जा रही है। सरकार को चाहिये कि वह इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगावे ताकि यहां से भेजी गयी गाय भैंसें वहां के कसाईखाने में काटी न जा सकें। जितनी तादाद में यहां से गाय भैंसें बंगाल-कलकत्ता को जायं उतनी ही तादाद में वापस आवें, इस तरह की गारंटी मिलने पर ही उनको परमिट दिया जाय। वरना बिना रेस्ट्रिक्शन के गाय भैंसों के जाते रहने से बेस्ट ब्रीड के पशुओं का खातमा हो जायेगा। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है।

श्री अध्यक्ष––

इसके पूर्व कि मैं श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा जी को बोलने के लिये कहूं, मुझे एक सूचना देनी है। वह सूचना यह है कि सहकारिता विभाग के ऊपर वोटिंग ढाई बजे होगी। तदुपरान्त श्रम, न्याय, परिवहन एवं राज्य सम्पत्ति मंत्री अनुदान संख्या 37––श्रम एवं सेवा योजन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये अनुदान रखेंगे और उस पर मतदान सायं 5 बजे होगा।

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)––

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं इसलिये कि आपने इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया।

मैंने बड़े गौर से माननीय सहकारिता मंत्री जी का भाषण सुना और अन्य लोगों ने जो भाषण दिये उनको सुना और इस संबंध में जो प्रचार पुस्तिकायें विभाग की तरफ से बंटी उनका भी अवलोकन किया। सबसे बड़ी बात जो मेरी समझ में नहीं आयी कि जितने आंकड़े दिये गये कि इतनी तरक्की इस विभाग ने की है। उससे एक मौलिक प्रश्न उठता है कि सहकारिता आंदोलन का उद्देश्य क्या है? यह मूवमेंट इसीलिये चलाया गया था कि गरीब किसानों की जो आर्थिक कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने के लिये और उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये यह प्रयास था और यह विभाग उत्तरोत्तर बढ़ता गया। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं उससे मालूम होता है कि कर्ज बढ़ गया है समितियां बढ़ गयीं हैं लेकिन वसूलयाबी गिर गयी है।

[श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा]

जिस तरह से यह आन्दोलन चल रहा है उससे यही समझ में आयेगा कि देश की पैदावार नहीं बढ़ी है और आज भी किसान को अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत नहीं हुयी है। तो यह मूवमेंट सफल हुआ है या असफल हुआ है इसकी मीमांसा आप लोगों के समक्ष है। मैं तो समझता हूं कि इस आन्दोलन की सफलता का प्रतीक यह है कि किसान अपने पैरों पर खड़ा हो और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करे और धीरे-धीरे अपनी पूंजी का निर्माण करता हुआ बैंक से कम से कम कर्ज ले। लेकिन जो आंकड़े इसमें दिये हैं उससे पता चलता है कि किसान पर कर्ज बढ़ रहा है। कर्ज का भार उसके ऊपर कम हो कहीं भी इसकी कोशिश नहीं की गयी है। किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हुयी है इस संबंध में कोई आंकड़ा मुझको इस पुस्तिका में नहीं मिला तो मैं तो यही समझता हूं कि यह मूवमेंट बेकार साबित हुआ और किसान पर कर्जे का भार बढ़ गया। इसी तरह से एक दिन ऐसा आयेगा कि उसकी जमीन कुर्क हो जायगी। उनकी खेती उनके हाथ से चली जायगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एक सबसे बड़ी कमी है और जिसको दोनों पक्षों के लोगों ने हमारी तरफ के और उधर के लोगों ने तसलीम किया है वह भ्रष्टाचार की बात है। मैं समझता हूं कि सहकारिता का नाम भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन गया है। आज प्रदेश में अगर देखा जाय तो जितने जिले हैं उनमें से एक आध को छोड़कर ज्यादातर सत्ता पार्टी के लोग वहां काबिज हैं वहां के पदाधिकारी हैं। आज भ्रष्टाचार उन्मूलन न होने का एक कारण है कि जो लोग सत्तारूढ़ पार्टी के दल को बिलांग करते हैं, जो इनके अधिकारी हैं उन पर अधिकारीगण कोई कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं करते। अगर कहीं छुट-पुट विरोधी दल के लोग हैं तो उन पर तत्काल राजनीतिक प्रयास से कार्यवाही होती है। आज किसानों की बढ़ोत्तरी और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की बात पर ध्यान नहीं है। सबसे बड़ा ध्यान है कि कहां पर सत्तारूढ़ दल को मजबूत किया जाय। कहां पर कोई विरोधी है उसका उन्मूलन करने की कोशिश की जाय। और जब कोई भ्रष्टाचार का मामला पेश किया जाता है तो वह सीधे-सीधे सत्तारूढ़ दल की आड़ में आकर अपने को छिपाता है और कहता है कि ये तो मेरे विरोध की बातें करते हैं, हम तो सत्तारूढ़ दल की ताकत को मजबूत करते हैं। मैं इसका ज्वलंत उदाहरण आपके सामने रखता हूं।

मान्यवर, देवरिया जिले में कोआपरेटिव बैंक को सुपरसीड कर दिया गया और कारण यह बताया गया कि वहां पर चुनाव नहीं संपादित किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं जहां चुनाव नहीं हुये हैं, क्या उनको सुपरसीड किया गया या उनको नोटिस दी गयी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि प्रदेश के अधिकांश जिले हैं, जहां पर चुनाव नहीं हुये हैं। एक आध जिले ऐसे हैं जिनमें विरोधी दलों के लोग हैं और शेष सभी जिलों में रूलिंग पार्टी के हैं। कुछ जिलों में मैनेजिंग डाइरेक्टर चल रहे हैं और नये चेयरमैन पदासीन नहीं हो पाये हैं जिनको 6 वर्ष पहले हो जाना चाहिये था। उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। देवरिया जिले में मुझे बताया गया कि संचालक मंडल के सालाना चुनाव की तिथि निश्चित कर दी गयी थी लेकिन तब भी सुपरसेशन हुआ। 9 डिफाल्टर लोगों को संचालक मानोनीत किया गया जो कि नहीं होने चाहिये थे, वह चुनाव में खड़े नहीं हो सकते थे। इस तरह विभागीय नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सब के साथ एक तरह से नियम का पालन होना चाहिये। देवरिया बैंक सुपरसीड हो गया तो अन्य बैंकों को जहां चुनाव ड्यू हैं उनको सुपरसीड क्यों नहीं किया गया। इसलिये मंत्री जी इस दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डालेंगे और एक जिले के साथ सौतेला व्यवहार तथा दूसरे के साथ पक्षपात का व्यवहार करना ठीक नहीं है।

मान्यवर, मैं एक मौलिक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं और वह यह है कि जो आप किसानों को कर्जा देते हैं वह 100--150 रुपये प्रति एकड़ से ज्यादा नहीं दे रहे हैं। जबकि हर चीज के दाम बढ़ गये हैं जिससे किसानों का 100--150 रु0 में काम नहीं चलता है। आज प्रति एकड़ लागत लगभग 500--600 रु0 आती है। इसलिये किसान को मजबूर

होकर महाजन से कर्जा लेना पड़ता है। अतः मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जो फाइनेन्सिंग है वह आवश्यकतानुसार होनी चाहिये जिससे उसकी आवश्यकतायें पूरी हों और महाजन का मुंह न देखना पड़े।

मान्यवर, अभी सेवा मंडल के बारे में एक सदस्य ने जिक्र किया। एक सरकारी सेवा मंडल लखनऊ में कायम हुआ है। जो एप्वाइन्टमेन्ट होते हैं वह उसी के माध्यम से होते हैं। लेकिन जो संस्थायें वेतन देती हैं उसमें उनका सेलेक्शन के समय कोई प्रतिनिधि नहीं आता है जबकि वेतन वह देती हैं और उन्हीं के अधीन काम करते हैं। इससे स्पष्ट है कि शासन चाहती है कि उनके चहेते लोग उसमें सेलेक्ट हों। मेरा सुझाव है कि यदि शुद्धता से काम करना चाहते हैं तो सरकारी संस्थाओं में जहां सेलेक्शन हो सेवा मन्डल उसमें अपने प्रतिनिधि भेजे लेकिन मुख्य अधिकार उन संस्थाओं का होना चाहिये जो नियुक्त करती हैं। यहां सेवा मन्डल का एक आब्जरवर वहां जाये और देखे कि नियमों का पालन होता है कि नहीं। यदि नियमों का पालन न हो तभी हस्तक्षेप करें। यदि सेवा मंडल वाली व्यवस्था ही कायम रखना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि आपके चाहते लोग एप्वाइन्ट हों। जो लोग उस जिले के वास्तविक नौकरी पाने के अधिकारी हैं वह अपने सेवा पाने के अधिकार से वंचित हो जाये।

मान्यवर, अब मैं आपका ध्यान सीतापुर जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां से मैं आता हूं। मैंने कई बार प्रश्न उठाया कि फर्टीलाइजर्स का काफी ब्लैक हुआ और अधिकारियों ने 2–3 दिन में 30 लाख रु0 की खाद नकद बेच दी। इस संबंध में कोई जांच नहीं हुई। लाखों रुपये के चेक किसानों के जो बैंकों से इश्यू हुये थे वह वापस चले आये और उनको खाद नहीं मिली।

श्री ध्रुव नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)––

माननीय अध्यक्ष जी, सहकारिता के बजट पर मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, जो बजट मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, सहकारिता हमारे प्रांत में चल रही है और तरक्की भी सहकारिता से हमारे प्रान्त की हुई है। लेकिन ग्रामीण अंचलों में जितनी तरक्की होनी चाहिये वह नहीं हुई। क्योंकि जो हमारी प्राइमरी सोसाइटीज हैं, जो हमारी साधन सहकारी समितियां हैं उन्हें बल नहीं दिया गया। यह जो साधन सहकारी समितियां बनी हैं इनको सिर्फ बैंकों से कर्जा दिला दिया जाता है, इसके अलावा उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता कि वह आगे बढ़ें। मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि साधन सहकारी समितियों को सक्षम बनाने के लिये बैंकों से ऋण दिलवायें कि वह सस्ते गल्ले की दूकान चलायें और छोटे-मोटे उद्योग चलायें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान पशुपालन विभाग की ओर दिलाना चाहता हूं। इस विभाग का जो रवैया है उससे हमारे प्रान्त की प्रगति हुई है, यह मानना पड़ेगा। पशुपालन विभाग ने मुर्गी पालन, सुअर पालन पर ज्यादा ध्यान दिया और इससे कुछ प्रगति भी हुई लेकिन जितनी प्रगति होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। जो दुधारू जानवर हैं गाय, भैंस उनपर उतना ध्यान नहीं दिया गया।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पशुधन पर जरा विचार करें। मैं गोरखपुर की बात कहना चाहता हूं। सन् 65 में 17 केन्द्र स्थापित हुए थे और वहां सांड़ और भैंसे रखे गये थे। कृत्रिम गर्भाधान की प्रथा वहां जारी हुई। ताजा सीमेन मिलता था और 60 से 65 प्रतिशत कामयाबी रहती थी। गोरखपुर में जहां सदर पशु

[श्री ध्रुव नारायण सिंह]

अस्पताल है वहां दो जर्सी सांड रखे गये हैं जिनमें एक तो बेकार है। सिर्फ एक सांड से जो सीमेन निकलता है वह देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ और गोरखपुर को दिया जाता है। अगर आप एक सांड के सीमेन से पूरी कमिश्नरी के पशुधन की प्रगति कराना चाहेंगे तो वह कहां तक सम्भव है। इसलिये हमारा निवेदन है कि अगर आप कृत्रिम गर्भाधान से पशुधन की उन्नति करना चाहते हैं तो जितने सेंटर्स हैं वहां पर और अधिक संख्या में सांड और भैंसे रखें जिनसे ताजा सीमेन मिल सके। हर जिले में कम से कम चार जर्सी सांड रखे जायं।

(इस समय 1 बजकर 10 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

अगर आप करोड़ों रुपये खर्च करके मुर्गी पालन और सुअर पालन ही करते रहे तो इससे प्रान्त या देश की तरक्की नहीं हो सकती। जिस तरह से सांड के सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया उसी तरह से भैंस की नस्ल सुधारने के लिये हर सेन्टर पर एक-एक भैंसा भी रखें। एक और निवेदन करना चाहूंगा। हमारे गोरखपुर जिले में एक दुग्ध डेरी खोली गयी जिसके सम्बन्ध में कई पत्र भी दिये लेकिन आज तक कोई उत्तर नहीं मिला। वहां की हालत यह है कि करीब-करीब 25 लाख रुपया सरकार से मिला और 10 एकड़ जमीन वहां काश्तकारों से ली गई और इधर कितने ऐसे किसान हैं जिन्होंने दूध दिया था उनको दूध की कीमत तक नहीं मिली है। नतीजा यह है कि वह डेयरी अप्रैल, 1974 से बन्द पड़ी हुई है। इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि डेयरी में जो गड़बड़ी हुई है चाहे वहां के अधिकारियों के जरिये हुई हो चाहे कर्मचारियों के जरिये हुई हो और चाहे वहां के संचालक मण्डल के जरिये हुई हो, जहां भी गड़बड़ी हुई है, आप उसकी इन्क्वायरी करायें और उसकी व्यवस्था करें और फिर से उस डेयरी को चला दें ताकि वह डेयरी अच्छे रूप से चल सके। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान मत्स्य विभाग की ओर भी दिलाना चाहता हूं। मत्स्य विभाग में इस समय जो खर्चा हो रहा है वह खर्चा केवल वेतन और टी० ए०, डी० ए० पर, शायद हो रहा है। अगर मत्स्य विभाग पर ध्यान दिया जाय तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे कोई भी गांव ऐसे नहीं हैं जहां ताल-तलैया या पोखर न हों और अगर हर गांव सभा में उन ताल-तलैयों और पोखरों के लिये मत्स्य के बच्चे दिये जायं और उनको पाला जाय तो इससे हमारे ग्रामीण अञ्चलों की काफी प्रगति हो सकती है। इन शब्दों के साथ जो प्रस्तावित बजट है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल रऊफ अंसारी (जिला गोरखपुर)----

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की आज्ञा दी है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह विषय, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, मूल रूप से बहुत ही सुन्दर है और बहुत ही अच्छा है। जैसाकि इसके लफ्ज से मालूम होता है, उसका अर्थ है आपस में सहयोग से काम करना लेकिन आज इस सहकारिता का रूप जो बना रखा है, इससे जो राजनैतिक सिद्धियां प्राप्त की जा रही हैं, उसने इस चीज को हमारे देहातों में काश्तकारों के लिये नरक बना रखा है। नाम और उद्देश्य से तो यह स्वर्ग है लेकिन जो प्रणाली चल रही है, उसने वास्तव में देहातों को नरक बना रखा है। मैंने पिछली दफा भी माननीय मंत्री जी को बताया था कि हमारे नौतनवां और लक्ष्मीपुर ब्लाक में जो सहकारिता समिति है उसने पूरे गांव को उजाड़ रखा है। एक-एक गांव में 50-50 किसानों पर एक-दो रुपया नहीं, हजार-पांच सौ रुपया नहीं, 10-10 हजार और 5-5 हजार की बकाया दिखाई है और एक-एक मर्तबा नहीं, 4-4 मर्तबा कागजात को देखने पर यही पता चलता है कि यह कर्जा उनके ऊपर है। ऐसे-ऐसे लोगों को खाद दे रखी है जिनके पास 10 बिसमिल और 20 बिसमिल खेत हैं और उनको 1000 और 1200 रुपये की

खाद उनके नाम से दिखा रखी है कि उनको दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी सफाई के साथ इस बात को माना है कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है और यह भ्रष्टाचार ज्यादातर छोटी समितियों और किसानों तक फैला हुआ है, वही लूटे जाते हैं इस सम्बन्ध में उन्होंने सुझाव भी मांगे हैं। वह इस बात के लिये बधाई के पात्र हैं। मैं उनसे कहूंगा कि यह काम बहुत कठिन है और कांटों पर चलने के समान है। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें सफल होंगे।

आज इस सरकार के ऊपर जो अधिकारी छाये हुये हैं उन्होंने शिकंजा बना रखा है कि एक इंच भी इधर–उधर हटने नहीं देते और सारा काम वहां गड़बड़ होकर रह जाता है। आज तक सहकारी विभाग के जितने भी नियम और कानून हैं उनका अमल दरामद कायदे से नहीं हो पाया है, वह नियम और कानून कागज तक ही रह गये हैं। मान्यवर, कर्जे की ज्यादातर रकम अधिकारियों तथा कर्मचारियों में तथा जिम्मेदार लोगों में बंट कर रह जाती है। वह गरीबों तक नहीं पहुंच पाती है और न उसकी वसूली हो पाती है क्योंकि वे बअसर लोग होते हैं। उनसे कोई मांग नहीं सकता। रकम बढ़ती जाती है और जब काफी रकम उस सहकारी समिति पर हो जाती है तो उसे मुअत्तल कर दिया जाता है। उस देहात के बड़े-बड़े से तथा महाजन गरीब जनता को पहले लूटते थे। सहकारी समिति की यह सुन्दर स्कीम बनाई गयी और गांव में मीटिंग करके लोगों को मेम्बर बनाया लेकिन जो आशा थी वह धूल में मिल गयी जब इस तरह की बेईमानी होने लगी। इसके अलावा जुलाई-अगस्त में हमारे यहां वसूली होती है जब कि किसान को रुपये की जरूरत होती है, जिस समय कि उसे खाद, बीज तथा बैल खरीदने के लिये रुपया चाहिये। नतीजा यह होता है कि काम ठप्प हो जाता है। रुपये का वितरण जुलाई-अगस्त में होना चाहिये और वसूली अप्रैल, मई में होनी चाहिये।

परिवहन मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)––

गोरखपुर में वसूली क्या जुलाई–अगस्त में होती है ? 30 जून लास्ट डेट है नियम के अनुसार।

श्री अब्दुल रऊफ लारी––

नियम से क्या होता है, रिकार्ड मंगा कर देखा जा सकता है तहसील से। बार-बार इस सदन में कहा गया है कि जुलाई में किसान के बैल कुर्क करके मवेशी खाने भेजे गये और उसे हवालात में बन्द कर दिया गया। मेरी गुजारिश है कि एक दफा सर्वे कर लिया जाय कि कितना-कितना किस-किस पर बाकी है ताकि उनको मालूम हो जाय कि इतना-इतना हम पर बकाया है और कोई जिम्मेदार अधिकारी उस लिस्ट को कन्फर्म कर दे ताकि आइन्दा यह न हो कि फर्जी दस्तखत बना कर बेगुनाह लोगों से कर्जा वसूल किया जाय। कहा जाता है कि पुलिस सेल कायम कर दिया गया है लेकिन जब तक ए0आर0 रिपोर्ट न दे पुलिस सेल कुछ नहीं कर सकता उस सेल को यह अख्तियार होना चाहिये कि जो सताया जा रहा है उसकी दरखास्त पर उस सेल को जांच करना चाहिये। ए0 आर0, सुपर-वाइजर तथा एकाउन्टेन्ट तो मिल कर खाते हैं। अगर कोई एकाउन्टेन्ट की बुराई करेगा तो ए0 आर0 किसी भी हालत में सेल को लिख कर नहीं देगा। खरहरवा, परसोना आदि की सहकारी समितियों में काश्तकारों ने हलफनामे दिये लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। ए0

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

आर0 से कहा तो उसने कहा कि बात सही है और वह पुलिस को मामला भेज देगा लेकिन उसने नहीं भेजा ताकि वसूली रुक सकती और मामला सही तरीके से देखा जाता।

यह नियम बनाया जाय कि अगर बकाया बढ़ जायगा तो उसकी जिम्मेदारी ए0 आर0 पर होगी और उसकी तरक्की तथा तनज्जुली उसी पर दारोमदार होगी। उनके रिकार्ड में यह लिख दिया जायेगा और उनको बैड इन्ट्री मिल जायगी तो उससे थोड़ा बहुत वसूली में मदद मिलेगी साथ ही लोग अपनी जिम्मेदारी भी महसूस करेंगे। मान्यवर, यह इतनी बड़ी संस्था है, सारे बैंकों में रिजर्व बैंक में नियम और मैनुअल बने हैं और उसी के अनुसार हिसाब-किताब रखा जाता है लेकिन इन संस्थाओं को इतना बड़ा कारोबार है फिर भी कोई मैनुअल इसके लिये नहीं बना है कि किस ढंग से इसका हिसाब-किताब रखा जाय। तरह-तरह का हिसाब रखा जाता है। अतः मैं सुझाव देता हूं कि इनके लिये मैनुअल होना चाहिये .....

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

चुनाव की पद्धति बहुत ही गलत है। दस-बारह सालों से वही मठाधीश इसमें बैठे हुये हैं जो मनमाने ढंग से लूट कर रहे हैं। इसलिये इस चुनाव की पद्धति में भी रद्दोबदल होना चाहिये .....

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया। आप बैठें।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

10-10 मिनट का समय निश्चत हुआ है। एक दूसरी चीज की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि दूसरी जगह से जो लोग डेपूटेशन पर लिये जाते हैं वे उस विभाग के लिये वफादार नहीं होते हैं। वे अपना टी0 ए0, डी0 ए0 बनाने में लगे रहते हैं। कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। इसलिये जो सेवा मंडल बनाये हुये हैं उन्हीं के जरिये चुनाव करके आप आदमी लें। टेम्परेरी तरीके से चेयरमैन या मंत्री जी जिसको चाहते हैं, उसे रख लेते हैं। पशुपालन के बारे में कहना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय लारी जी आपका समय समाप्त हो गया। आपको 8 मिनट दिये गये।

*श्री रणजीत सिंह "जूदेव" (जिला झांसी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये धन्यवाद। मैं आपके सामने पशुपालन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह पिछड़ा हुआ वर्ग है और हमें इसको आगे बढ़ाने के लिये उतना ही ध्यान देना चाहिये, जितना कि हम पिछड़े हुये वर्गों को आगे बढ़ाने के लिये देना चाहते हैं। आमतौर पर मैंने यह देखा है कि जब भी कोई बैठक या गोष्ठी कृषि या सहकारिता विभाग में होती है जिसमें पशुपालन को भी शामिल कर दिया जाता है उसके ऊपर विचार करने के लिये कोई समय नहीं रह जाता है। माननीय मंत्री जी ने भी अपने भाषण में ज्यादा महत्व और समय नहीं दिया। अतः मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि वह पशुपालन की ओर ज्यादा ध्यान दें। इस विषय में जो रास्ता माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिखाया है उसको अपनाना अति आवश्यक है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पशुपालन के बारे में बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि कितने गरीब परिवारों का पालन-पोषण होता है। यह कितने ही किसानों और भूमिहीन मजदूरों का सहारा है। इतना ही नहीं पशुओं की बदौलत ही किसानों के घरवालों के लिये फालतू समय में व्यस्त रहने का एक जरिया है, जिससे कि उनके रोजाना के खर्चे चलते रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इसके कार्य बहुत हैं किन्तु समयाभाव के कारण मैं सिर्फ 3 मुख्य बातों की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा। इस विभाग में सघन पशु विकास योजना 6 जिलों में चल रही है। इन जिलों में गाय के दूध में लगभग 10 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक और भैंस का 4 प्रतिशत से 11 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। इन सघन विकास प्रायोजनाओं में बीमारी की रोकथाम के लिये पशुचिकित्सालय और पशु सेवा केन्द्र दूसरे जिलों की तुलना में अधिक मात्रा में दिये गये हैं। इससे जनता लाभ उठा रही है। आंकड़ों से पता चलता है कि इन जिलों में कास्टरेशन, वैक्सीनेशन और इन्सेमीनेशन का काम हो रहा है उसमें लगभग दूना काम हुआ है। जिन जिलों में यह सघन विकास कार्य चल रहा है उसमें 3 लाख कास्टरेशन हो चुका है और बाकी जिलों में 1.40 लाख हुआ है। वैक्सीनेशन सघन विकास योजना के अन्तर्गत 5 लाख हो चुका है जब कि अन्य जिलों में ढाई लाख ही हुआ है। आर्टिफिसियल इन्सेमीनेशन योजना के अन्तर्गत 54 हजार का हुआ है जबकि बाकी जिलों में केवल 16 हजार ही हुआ है। इस प्रकार इस योजना से जनता लाभ उठा रही है। जब कोई योजना बन जाती है तो उसे बीच में बन्द नहीं करना चाहिये। क्यों कि यह प्रोग्राम बैलगाड़ी के रूप में है। मोटर की तरह नहीं है कि ब्रेक लगा दी। यह प्रोग्राम बैलगाड़ी की तरह है। अगर उसको एक दफा रोक दिया जाय और फिर बाद में शुरू किया जाय तो उसको अपनी पूर्व स्थिति में आने में काफी देर लग जाती है।

इसके साथ साथ इसमें हरे चारे के लिये भी बढ़ोतरी करने के लिये बहुत जोर दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य से हरे चारे का वितरण और बीज का वितरण ठीक तरह नहीं हो पाया है। शायद हो सकता है कि बजट में कमी हो लेकिन हरे चारे का उत्पादन बढ़ाना चाहिये क्योंकि इस पर हमारे पशु निर्भर करते हैं। खासतौर से जो हरे चारे का वितरण किया गया है वह बुन्देलखंड और पहाड़ी क्षेत्रों में किया है बाकी जगह नहीं। सबसिडाईज्ड रेट पर सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र में और बुन्देलखंड में दिया जा रहा है। मालूम हुआ कि इस योजना में कुछ कटौती होने वाली है तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है इसको और जगह भी फैलाया जाय। इसको आई० सी० डी० पी० यानी इन्टेन्सिव कैटिल डेवेलपमेन्ट प्रोजेक्ट कहते हैं इसमें कोई कटौती न की जाय बल्कि और चलाया जाय क्योंकि इससे किसानों को फायदा मिला है।

दूसरी बात श्रीमन्, जी को बताना चाहता हूं कि जो यह स्टेट एग्रीकल्चर फार्म या स्टोड फार्म हैं जिनके बारे में मंत्री जी ने जिक्र किया है। यह इसमें पहला प्रश्न तो यह पैदा होता है कि यह क्यों चल रहे हैं। तो उसका कारण यह है कि प्रजनन योग्य सांड़ पैदा करने के लिये एक ही संस्था है और वह शासन है। पहले तो इस काम को बड़े-बड़े लोग राज और रजवाड़े और जमींदार लोग सांड़ रख कर करवाते थे। लेकिन जमींदारी समाप्त होने के बाद अब इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर आ गई है। लोगों के पास जमीन थोड़ी रह गई है, काश्तकारों के पास जमीन नहीं होने से वह दो तीन गाय या भैंस रख पाते हैं और अच्छे सांड़ों का प्रबन्ध वह नहीं कर पाते हैं। इसलिये इसकी जिम्मेदारी शासन के ऊपर आती है।

[श्री रणजीत सिंह "जूदेव"]

गांवों में दूध का रिकार्ड नहीं रहता है कि कौन गाय कितना दूध देती है या कौन भैंस कितना दूध देती है। कितनी बार और कब गाभिन हुई और कितने उसके बच्चे हुए। यह रिकार्ड रखना जरूरी है। यह आंकड़े सिर्फ सरकारी फार्म पर ही रखे जाते हैं। मैं जानता हूं कि सरकारी फार्मों को जितना अच्छा काम करना चाहिये था उतना नहीं कर रहे हैं परन्तु इस विषय में यह नहीं भूलना चाहिये कि जहां पर सरकारी फार्म बने हैं वह मारजिनल और सब-मारजिनल जमीन पर बनाये गये हैं।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि इन फार्मों पर 1963 से अब तक नुकसान ही हुआ है। तो उनको बताना चाहता हूं कि 1963 से 10 साल हो चुके हैं लेकिन हर चीज का मूल्य बढ़ चुका है। अधिकारियों की तनख्वाह बढ़ चुकी है, कर्मचारियों की तनख्वाह और मजदूरी बढ़ चुकी है। इसमें कुछ खर्च होना तो मुनासिब है क्योंकि सरकार जो कार्य कर रही है वह कल्याणकारी रूप में कर रही है। परन्तु अगर आप फायदा लेने की बात करते हैं तो एक सुझाव दूंगा कि जो इन फार्म की उपज है उनकी कीमत बढ़नी चाहिये। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जो सांड़ पहले 11 सौ रुपये में बिकता था . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'---

वही दाम आज भी चला आ रहा है? तो मेरा सुझाव है इनकी कीमत बढ़ाई जाय और एक फार्म पर उतने ही पशु रखे जायं जितने कि लाभ में रखे जा सके जो बैलेंसशीट में एडजस्ट हो सकें।

जहां तक मिसमैनेजमेन्ट और खराबी का सवाल है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिये। वह खाली एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी होना चाहिये। उस लिये एक एम0 एल0 एज0 की कमेटी बनाई जाय जिसमें डायरेक्टर साहब उनसे राय लें। इस में उन लोगों को रखा जाय जो पशुपालन में रुचि रखते हों। हमारी सरकार की एक आदत है कि जो लोग कहीं नहीं खपते हैं कहीं फिट नहीं होते हैं उनको कमेटी में रख देते हैं। तो इस कमेटी में ऐसे लोग रखे जाय जो फार्म में रुचि रखते हों। तो इन फार्मों पर उपज बढ़ाने के लिये साधन उपलब्ध किये जांय और वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाय।

अंत में मैं एक और चीज कहूंगा जो बहुत जरूरी है वह क्रास-ब्रीडिंग या वर्ण शंकर कार्य को प्रगति देने की जरूरत है। यह कार्य वहीं कराया जाय जहां पर उसके लिये उपलब्ध साधन हो। जहां पर हरी घास और दवा देने का इंतजाम हो इसको फैलाने के लिये हम लोगों को राजनैतिक तौर पर नहीं फैलाना चाहिये कि फलां जिले में या फलां मंत्री के जिले में होना चाहिये। ये वहां होने चाहिये, जहां वर्णशंकर की देखभाल हो सकती है। तभी हमारा पशुपालन में विकास हो सकता है। अब मैं आपका समय नहीं लूंगा और अन्त में इस बजट का समर्थन करते हुये मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस पिछड़े वर्ग को बढ़ाने की कृपा करें।

श्री देवकुमार यादव (जिला बांदा)---

मान्यवर, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। मान्यवर, सहकारिता समाजवादी जनतन्त्र की आधारशिला है और हमारे देश और प्रदेश के अन्दर जब इस आन्दोलन का जन्म हुआ तो इससे बहुत आशायें थीं। यह उम्मीद थी कि इसके जरिये हम निरन्तर समाजवाद की ओर चलकर इस विशाल प्रदेश और देश की गरीब जनता की सेवा कर सकेंगे। लेकिन जो सपना था, जो इस आन्दोलन का प्रोग्राम था, जो हमारी मंजिले मकसूद थी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक हम उसके करीब तक नहीं पहुंच सके हैं। साथ ही मुझे एक बात का बहुत हर्ष है कि इस पर इस सदन में जितने माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए, उन्होंने इसकी खामियों पर ही प्रहार किया है, धपलों पर ही प्रहार किया है। मौलिक

भावना पर नहीं। मान्यवर, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सहकारिता के माध्यम से जो हमारा सपना था, प्रोग्राम था कि देहातों में गरीबों को सूदखोरों के चंगुल से बचाकर सहकारी समितियों के द्वारा कर्ज की व्यवस्था की जाएगी, पूरा नहीं हुआ। सन् 64 में गोरूवाला कमेटी बैठी, उसकी अपनी रिपोर्ट में तमाम जांचों से यह साबित हुआ कि आज भी इस 9 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में, करीब--करीब 70 प्रतिशत कर्ज सूदखोरों के जरिए दिये जाते हैं और केवल तीन प्रतिशत कर्ज में सहकारी समितियों का योगदान है। इतना ही नहीं, ये सहकारी समितियां जिन लोगों के हाथों में है––वे मैनेजिंग डाइरेक्टर और डाइरेक्टर स्वयं इन सहकारी समितियों, साधन सहकारी समितियों से कर्ज लेते हैं और फिर उसे गरीब तबके के लोगों में बांटकर 40 से 50 प्रतिशत तक का सूद वसूलते हैं। इससे स्पष्ट है कि जो इस आन्दोलन का असली मकसद था, वह पूरा नहीं हुआ और इसी कारण इसके प्रति आम जनता में बड़ा असन्तोष है .....

श्री उपाध्यक्ष––

श्री देवकुमार जी आप बैठें, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं खास तौर से सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यहां पर विधान सभा की कार्यवाही चलाने का या, यहां बैठने-उठने के सिलसिले में और यहां बोलने के सिलसिले में कुछ मान्यताएं और परम्पराएं हैं, पर पता चलता है धीरे-धीरे सभी माननीय सदस्य उन्हें भूलते जा रहे हैं, उन्हें तोड़ते चले जा रहे हैं। किसी माननीय सदस्य को बैठने में कभी भी पीठासीन अधिकारी की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिये न ही उसकी ओर पीठ कर के जाना ही चाहिये। पर प्रायः माननीय सदस्य ऐसा करते हैं और वरिष्ठ सदस्य भी ऐसा ही करते हैं––जाने में पीठ दिखाकर जाते हैं, सामने खड़े–खड़े बात करते हैं और प्रायः माननीय सदस्य सीट पर पैर रखकर बात करते हैं या बैठते हैं। यह बहुत अनियमित एवं खराब बात है। मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि वे इस माननीय सदन की मर्यादा का कायदे से निर्वहन करें। यह बार-बार कहना, टोकना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहूंगा कि इन परम्पराओं और मर्यादाओं का आप नियमित रूप से पालन करें। अब देवकुमार जी आप बोलें।

श्री देवकुमार यादव––

मैं निवेदन कर रहा था कि इस आन्दोलन के जरिए जो यह लक्ष्य था कि गरीबों को कर्ज देकर सूदखोरों के चंगुल से बचाया जाएगा, वह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। माननीय सदस्यों ने इस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और धांधली की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

मान्यवर, रोशनलाल समिति के जरिये भी यह जाहिर किया गया है कि इस विभाग में करीब 14 करोड़ से ऊपर ऐसे घपले हैं, ऐसी गड़बड़ियां हैं, ऐसे गबन हुए हैं, जो आज तक कोई उसके बारे में प्रभावशाली कदम नहीं उठाया गया है। जहां तक तमाम माननीय सदस्यों ने अपने जिले के बारे में कहा है, मैं नहीं समझता कि कोई जिला ऐसा है जहां पर ऐसी गड़बड़ियां न हों। मैं दुख के साथ एक बात रखना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज ही इस सम्बन्ध में कोई प्रभावशाली कदम उठाएं जिससे इस भ्रष्टाचार को रोका जाय। कुछ दिन पहले डेड डेट रिलीफ के लिये, जो गरीब कर्जा नहीं दे पाते थे, उनको रिलीफ देने के लिये रिजर्व बैंक आफ इन्डिया की एक स्कीम चली थी कि उन गरीबों का कर्जा अदा कर के समितियों को जाग्रत किया जाय जिससे गरीबों को कर्जा मिल सके। मुझे सूचना मिली है कि झांसी जिले के मऊ गांव के निवासी हीरालाल नापित हैं। वह बहुत बड़े आदमी हैं। उन्होंने 7–8 लाख का कर्जा लिया था। वह

[श्री देव कुमार यादव]

रुपया डेढ़ डेढ़ के लिये निकाला गया और वहां के अधिकारियों से साजिश करके उस लखपती के कर्ज को अदा करने में उसको लगा दिया। हैरत है कि आज वह नापित लापता है। कहा जाता है कि कत्ल कर दिया गया है। लेकिन जहां तक हमको लगता है उस कर्ज को मारने के लिये, अदा न करने के लिये जानबूझ कर कहीं गायब हैं। जब कि उनकी प्रापर्टी मौजूद है उस समय रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कर्ज को उनके कर्ज का अदा करने के लिए लगाया जाय, यह आश्चर्य की बात है ?

मेरे जिले में ऐसे कई उदाहरण मिले हैं जहां दूसरे लोगों ने, एकाउन्टेन्ट से, सुपरवाइजर से मिल कर गरीबों के नाम से कर्ज ले लिया और आज उन गरीबों को हैरान किया जाता है। मैं कुछ सुझाव आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सुपरवाइजर को आज भी सरकारी कर्मचारी के रूप में नहीं माना जाता है जिससे तरह-तरह का भ्रष्टाचार होता है। सहकारिता आन्दोलन को और भी प्रगति देने के लिये आज जरूरी है कि इसकी सफलता के लिये और भी विस्तार किया जाय, किसान और मजदूर के लिए। सस्ते गल्ले की दुकानें आज प्राइवेट हाथों में हैं। आज भी सारा प्राइवेट सेक्टर, पूंजीवादी परम्परा चल रही है। उस वक्त जरूरी है कि नीचे स्तर पर कन्ज्यूमर्स सहकारी समितियां स्थापित करें।

श्वेत क्रान्ति की बात कही गयी लेकिन 1954-55 में लगभग डेढ़ छटांक दूध पर कैपिटा मिलता था। आज वह घट कर एक छटांक हो गया है। सरकार ने कुछ जिलों को चुना जहां पर दुग्धशालाएं खोली जायंगी। लेकिन बुन्देलखंड की उपेक्षा की गयी है। वहां पर कोई दुग्धशाला खोलने का आश्वासन नहीं दिया है। पशुपालन के क्षेत्र में मेरे दोस्त ने काफी विस्तार के साथ कहा। लेकिन जो शिकार मरही होती है उसके लिये मछुवा समितियां बनी हैं। लेकिन उनके जरिये शिकार न करा कर बड़े ठेकेदारों से विभाग के अधिकारियों से सांठगांठ करके ठेका देते हैं जिससे मछेरों का शोषण होता है, उनकी रोजी को नुकसान पहुंचता है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो रहा है।

*श्री महेश सिंह (जिला हरदोई)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने सहकारिता और पशुपालन पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। मान्यवर, मैंने अपने पूर्व वक्ताओं का भाषण गौर से सुना। मैंने यह देखा कि अधिकांश माननीय सदस्यों ने समितियों में जो गड़बड़ियां हैं उस पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने तरह तरह की भ्रष्टाचार की बातें कहीं। लेकिन मैं उम्मीद करता था कि यह भी बताया जाता कि यदि सहकारी समितियों द्वारा काम न कराया जाय तो क्या विकल्प हो, क्या आल्टरनेटिव हों और कैसे भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। अगर हमें खेती का काम आगे बढ़ाना है तो और कोई चारा नहीं है सिवाय सहकारिता के। इसके सिवाय और किसी से नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके द्वारा बहुत बड़ी उपलब्धियां भी प्राप्त हुई हैं। राष्ट्रीय और प्रदेशीय स्तर पर देखें तो 95 प्रतिशत हमारे गांव 1970 में सहकारिता के अन्तर्गत आ चुके थे। 1971-72 में 500 करोड़ रुपये से भी अधिक धन अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण के रूप में बांटा गया था। सारे देश में जितना चीनी का उत्पादन होता है उसका 44 प्रतिशत सहकारिता चीनी मिलों द्वारा होता है। प्रदेशीय स्तर पर भी बहुत बड़े पैमाने पर इस संबंध में कार्य हुआ है। महाराष्ट्र, गुजरात, तामिलनाडू के साथ-साथ पंजाब और हमारे प्रदेश में काफी काम हुआ है। 1973-74 में 65 करोड़ रुपया अल्पकालीन और 25 करोड़ रुपया दीर्घकालीन ऋणों में दिया गया। जब हमें खेती की तरक्की करना है तो सभी माननीय सदस्यों का कर्त्तव्य है कि इसके प्रति जागरूक रहें क्योंकि देश की तरक्की इसी पर आधारित है। हम लोग कंस्ट्रक्टिव सजेशन्स के साथ इसमें काम करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहकारिता के सामने दो मुख्य समस्यायें हैं। एक तो बकाया ऋण की और दूसरे सहकारिता की जानकारी बढ़ाने के लिये सहकारिता के प्रशिक्षण की। ओवरड्यूज कैसे दूर हों इसके संबंध में भारत सरकार और हमारी सरकार जागरूक हैं और भारत सरकार ने एक टीम बनाई है। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को उस टीम ने रिपोर्ट दे दी है। मैं चाहता हूं कि उसके अनुसार काम किया जाय और वसूली का सीधा साधा तरीका बनाया जाय। जो लम्बा तरीका है उस में सुधार करने की जरूरत है।

जहां तक शिक्षा का सवाल है यह बहुत ही आवश्यक है। मैं कहूंगा कि अगर छोटे बड़े किसानों को जानकारी हो जाये और वे जानने लगें कि उनको किस तरह से ठगा जा सकता है तो कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि अपना नुकसान होने दे। एक बात कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की बहुत सी बातें कही गई हैं लेकिन सारा रुपया गबन नहीं हुआ है। जो वसूल नहीं होता है जिसे किसान दे नहीं पाते हैं तो वे बहाना बनाते हैं। इसलिये समिति के ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाय और वसूली का काम सख्ती से कराया जाय।

मंत्री जी ने दुग्ध के विषय में बड़े पैमाने पर स्कीम बताई। खेती के बाद पशुधन ही हमारा दूसरा धंधा है। जितना हम पशुधन का विकास कर सकेंगे उतनी ही हमारी माली हालत अच्छी होगी। यहां पर मैं यह कह दूं कि इस विभाग का काम बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। महिलाओं में भी सहकारिता बढ़ाने की जरूरत है। कन्ज्यूमर्स मूवमेंट में महिलाओं को आगे लाया जाना चाहिये इससे हमारी तरक्की हो सकती है। इस विभाग में एक भी महिला अधिकारी नहीं है। कम से कम चार महिला अधिकारी इस विभाग में होनी चाहिये। दूसरी बात है वह मैं विजिलेंस के बारे में कहना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि उसका काम अच्छा है, लेकिन पब्लिसिटी बहुत है। उनके द्वारा जो गबन के मामले पकड़े जाते हैं उनकी पब्लिसिटी बहुत अधिक है। यह अच्छी बात नहीं है। 14 लाख का बजट है। 16 मुकदमों में सजा हुई है। मेरा सुझाव है कि वह अपना काम करें। पब्लिसिटी अच्छी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष––

समाप्त करें।

श्री महेश सिंह––

2 मिनट का समय तो है ?

श्री उपाध्यक्ष––

जल्दी समाप्त करें।

श्री महेश सिंह––

पशुपालन के सिलसिले में भी मैं कहना चाहता हूं। 1960 से 1974 तक पशु विकास फार्म 14 ही रहे हैं। जो कृत्रिम गर्भाधान में अधिकान्श जो सीमेन होता है वह बेकार चला जाता है। उससे कोई फायदा नहीं होता है। यह चीज आपको गांव में जाकर मालूम हो सकती है।

पशु विपणन या कैटिल मार्केटिंग है इसकी भी उचित व्यवस्था होनी चाहिये। इसमें सहकारी ढंग से काम होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष––

अब आप बैठें।

श्री महेश सिंह---

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

श्री हरि केवल 5 मिनट हैं। 5 मिनट में ही आप अपनी बात कहें।

श्री हरि केवल (जिला देवरिया)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बजट पेश किया गया है उससे ऐसा लगता है कि प्रदेश भर में जितना भ्रष्टाचार है उसका जनक सहकारिता विभाग है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उसका सुधार करें। मैं देखता हूं कि गांव के गरीब लोगों को राहत देने के लिये और सूद खोरी से बचाने के लिये यह काम सहकारिता विभाग से चलाया गया था इस विभाग के द्वारा खाद वितरण, पैसा वितरण आदि कार्य किये जाते हैं लेकिन इसमें बहुत सी गड़बड़ियां हैं। गांव का गरीब आदमी जेल भेज दिया जाता है और जेल में पता चलता है कि उसने सहकारिता से ऋण लिया था उसके कारण उसको हवालात में आना पड़ा है। तब राज खुलता है। बिना रुपये लिए हुए उसके नाम चढ़ा दिया जाता है। और इस तरह से उसको परेशान किया जाता है। इस तरह की सूचना मैंने मंत्री जी को लिख-कर दी है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। दूसरों लोगों ने कहा है कि मंत्री जी नये हैं, लेकिन मेरा कहना है कि यह सरकार तो नयी नहीं है। सरकार जिस अधिकारी को वहां पर लाये, उसकी रिपोर्ट के अनुसार आपने किसी भी अधिकारी को मुअत्तिल नहीं किया है, न कोई कार्यवाई नहीं की गई है, मेरी प्रार्थना है कि कम से कम कोई कार्यवाई तो की जानी चाहिये।

पलेमपुर, जहां से मैं चुनकर आता हूं, वहां से एक आडिट रिपोर्ट आई है कि वहां पर 3 1/2 लाख के खाद का गबन है। वह व्यक्ति हाई कोर्ट से जमानत पर छूट गये, कोई कार्यवाई नहीं की गई।

अब देवरिया के बारे में मैं दो-एक बातें कहना चाहूंगा। वहां पर एक बैंक है। इसी सदन में उसके बारे में जिक्र आ चुका है। उसमें सरकार ने कुछ लोगों को नामजद कर दिया है और उस बैंक का अध्यक्ष वहां के संचालक मंडल द्वारा श्रीमती मालती पांडेय को नियुक्त कर दिया गया है। सहकारिता अधिनियम की धारा 453 के अनुसार नाम-निर्देशन नहीं होगा लेकिन वहां पर श्री राम गोपाल बंका, जो सुकरौली के निवासी हैं, श्री राम कुमार तिवारी, जो देवरिया जनता उपभोक्ता भंडार के सचिव हैं, श्री के0 बी0 मिश्रा, (पड़रौना) जो चुनाव लड़ने के बाद हार गये थे, उनका नाम-निर्देशन में आ गया है। इसी प्रकार जो पुराने बैंक में थे श्रीमती मालती पांडेय, नगेन्द्र मणि मंजुल (कसिया), मक्सूदन राय (कटनी) जन मेजर (गौरी बाजार) इनका नाम नये बैंक में नामिनेशन द्वारा किया गया है। (माननीय सदस्य के बोलते रहने पर)।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आपका समय समाप्त हो गया है। ढाई बजे इस पर विवाद समाप्त हो जाना है। अब आप कृपया बैठें।

श्री हरि केवल---

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जो सचिव लोग हैं, तो रुपया वितरण में गबन नहीं करते हैं बल्कि वसूल करने में गबन कर रहे हैं बैंकों के जो सचिव होते हैं, वे स्थानीय राजनीति से प्रेरित रहते हैं। स्वतंत्र तरीके से कोई कार्य नहीं करता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो बैंकों के सचिव हैं, उन पर स्थानीय राजनीति का प्रहार न होना चाहिये। इसके लिए जिले में न करके दूसरे जिलों में उनका स्थानान्तरण किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपका समय समाप्त हो चुका है।

*श्री काली चरण यादव (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपने विचार मेरे कटौती से प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यक्त किए, वे चाहे इधर बैठने वाले हों या उधर बैठने वाले हों। सब की बातों से यह स्थिति स्पष्ट है, जो तथ्य और प्रमाण माननीय सदस्यों ने सदन में दिए हैं, कि उत्तर प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन पूर्णतः विफल रहा है।

माननीय राम सुन्दर पांडेय जी ने कहा था कि केवल यह ही एक संस्था है जिससे निर्धन लोगों को ऋण लेने का अवसर मिलता है। लेकिन उस सम्बन्ध में मेरा एक निवेदन है कि छोटे लोगों को जो ऋण मिलता है, उसमें से 3/4 धन तो विभाग के सुपरवाइजर, सरपंच और कोआपरेटिव विभाग में काम करने वाले लोग उनके नाम से अपने लिए ऋण लेते हैं और कागज में फर्जी रूप से दिखा देते हैं। केवल 1/4 ही ऋण की धनराशि है, जो उनको मिलती है। इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये कहा गया कि कुछ जांच अधिकारी नियुक्त किये गये हैं और पुलिस सेल की बात कही गयी है। इस सम्बन्ध में मैं केवल दो उदाहरण दे देता हूं।

भूतपूर्व सहकारिता मंत्री माननीय श्री लक्ष्मी शंकर यादव ने, जो लोग इसमें गड़बड़ी करते हैं, अधिकारी, कोआपरेटर्स या संचालक, उस भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाय इसके लिये एक जांच अधिकारी नियुक्त किया था श्री कृपा नाथ धुसिया। वह आई0ए0एस0 आफिसर थे और विशेष सचिव थे। उन्होंने अपनी जांच का एक भाग 1970 में दिया था और दूसरा भाग 1973 में दिया था। वह बड़े ईमानदार अधिकारी थे। लेकिन जो लोग उसमें फंस रहे थे उन्होंने ऐसा दबाव डाला—यह कल भी किसी माननीय सदस्य ने कहा था—कि उनकी इस हादसे के कारण मौत हो गयी। वह इतने ईमानदार थे कि मरने के बाद आई0ए0एस0 अफसरों ने चन्दा इकट्ठा कर के उनके कफन की व्यवस्था की। उनकी जांच का पहला भाग तो प्रकाश में आया है लेकिन दूसरा और तीसरा भाग बिल्कुल दबा दिया गया है क्योंकि बड़े-बड़े लोगों की उसमें पोल खुलती है। मेरी मांग है कि ऐसे लोग जिनके दबाव के कारण कृपानाथ जी की मृत्यु हुई है उसकी जांच की जाय कि किन कारणों से उनकी मृत्यु हुई, कौन लोग जिम्मेदार हैं जिनको दंड दिया जाय। दूसरे, जो उनकी रिपोर्ट है-उसको इस सदन के सामने रखें ताकि यह मालूम हो सके कि कौन-कौन से लोग उसमें दोषी हैं। एक दूसरा उदाहरण देता हूं।

लखनऊ में एक नया बाजार है। जो जांच के द्वारा भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही जाती है उसके बारे में कहता हूं। एक डिप्टी रजिस्ट्रार थे श्री रामेश्वर सहाय वह पूरा लूट रहे थे नये बाजार को। जब वहां के छोटे कर्मचारियों ने मैमोरेंडम दिया इनको तो इन्होंने एक जांच बिठाई और उस जांच की जो सबसे पहली बैठक हुई उसमें मंत्री जी भी मौजूद थे। फिर वह जांच खत्म कर दी गयी, बिल्कुल दबा दी गयी। वह अफसर जो नया बाजार को बिल्कुल लूट रहे थे उनको दंड देने की अपेक्षा उनकी पदोन्नति कर दी गयी। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि एक स्पष्ट जांच माननीय मंत्री जी बिठायें कि वह जांच क्यों खत्म कर दी गयी। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा भूतपूर्व मंत्री, श्री लक्ष्मी शंकर यादव ने भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये छुछिया फायर किया था। उस छुछिया फायर से ही ऐसी परेशानी हुई लूटने वाले लोगों में कि रातों रात दिल्ली गये और श्री लक्ष्मी शंकर यादव को ही खत्म कर दिया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काली चरण यादव]

तो यह सहकारिता विभाग इस तरह का है कि पुलिस सेल जिसको कोई अधिकार ही नहीं दिया गया है, खाने वाले लोग ही जब उससे कहें तो पुलिस सेल जांच करेगा। ए0 आर0, रजिस्ट्रार, कोआपरेटर्स या संचालक ही जब उससे कहेंगे तब वह जांच करेगा। तो वह कभी कहने वाले नहीं हैं कि हमारे खिलाफ तुम जांच करो। कल मैंने बताया था कि देवरिया के बैंक को खत्म कर दिया गया और माननीय परिवहन मंत्री की पत्नी, श्रीमती मालती पांडेय को वहां का डायरेक्टर बना दिया गया। अब, कौन उसकी जांच करेगा। जिस सहकारी बैंक में श्रीमती कमला बहुगुणा हों उसकी कौन जांच करेगा? कीटगंज में दिया-सलाई की एक फर्जी सहकारी समिति है जिसको दो लाख रुपया दिया गया है, वसूल नहीं हो रहा है, जिसमें प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी भी हैं, उसकी जांच कौन करेगा। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल नाटक है, इससे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि सम्पूर्ण दलों के लोगों को बुला कर सलाह मशविरा किया जाय कि किस तरह से इस विभाग के भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाय तब जाकर वह समाप्त किया जा सकेगा। इलाहाबाद में फूलपुर तहसील में एक खोदायपुर समिति है, उसने वहां के दो व्यक्ति एक श्री आयोध्या प्रसाद तिवारी तथा एक श्री श्रीनाथ शुक्ला के नाम कर्जा और ब्याज की रकम जो करीब दो-दो हजार रुपये हैं निकाल रखी है, जब कि उन लोगों ने कभी कर्जा उस समिति से लिया ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

कटौती का प्रस्ताव नीति विषयक होता है, आप कहां एक-एक छोटी-छोटी सीमित दायरे में चले गये।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

दो मिनट का समय हमें भी दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं, आप कृपया बैठें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

यह तो केवल उदाहरण दे रहे थे।

श्री कालीचरण यादव—

उत्तर प्रदेश में पशुओं में आजकल एक बीमारी चली है जिसका नाम है पोकनी। यह बीमारी काफी फैल रही है और काफी पशु मर रहे हैं। पहले इसकी व्यवस्था थी, मगर अब सरकार ने बन्द कर दी है। इसे फिर से शुरू किया जाय।

पशुपालन विभाग में नयी नस्ल के सांड़ मंगाये जायें और हर जिले में उनकी व्यवस्था की जाय। अधिक दुग्ध उत्पादन के लिये भी पशुओं के चारे की ऐसी किस्म खोजना चाहिये जिससे पशु अधिक दूध दे सकें और उसे अधिक मात्रा में अपने यहां पैदा किया जा सके।

डेरी उत्पादन की बात कही गयी। गोरखपुर जिले में एक डेरी खोली गयी और उसका अध्यक्ष भूतपूर्व एम0 एल0 ए0 श्री रामलाल भाई को बना दिया गया तथा कुछ आइसक्रीम बेचने वाले तथा बिस्कुट बेचने वाले उसके डायरेक्टर बना दिये गये। इन्हीं रामलाल भाई जी ने लाखों का भ्रष्टाचार किया था जिसके कारण उनको हटाया गया था आज उनको ही इसका अध्यक्ष बना दिया गया। भला जिन लोगों को कोई अनुभव ही नहीं है डेरी उद्योग का, वे लोग डेरी को कैसे चला सकते हैं? यह काम तो उन्हीं लोगों को दिया जाना चाहिये जिनको उसका कुछ तजुर्बा हो।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

क्या भूतपूर्व एम0 ल0 ए0 को उसका अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता?

श्री कालीचरण यादव—

मत्स्य पालन की बात कही गयी। देश में आज खाने की बहुत बड़ी समस्या है, अगर सरकार इसको बढ़ायेगी तो इससे यह समस्या काफी हल हो सकेगी यह जो सांख्यकी की किताब हमें मिली है इसमें बताया गया है कि 1971–72 में 228.87 मछली के बीज (बच्चे) पैदा किये गये, 1972–74 में 165.35 विभागीय जलाशयों में 1971–72 में 181.47 तथा 1972–73 में 136.33। पहले से इस पैदावार में कमी हो गयी। विभागीय जलाशयों में भी घाटा है। तालाबों को गहरा किया जाय और यदि मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान दिया जाय तो उससे काफी लाभ हो सकता है। गांव के लोगों को अगर इसमें लगाया जायेगा तो उनकी उससे रोटी चलेगी। वे ईमानदारी से उसको बढ़ायेंगे। इस तरह सारा जो कोआपरेटिव मुहकमा है, वह पूरी तरह जर्जर हो चुका है, इस मुहकमें में कोई भी दम नहीं रह गया है। इसके जरिये प्रदेश में लूट करते हैं। इस मुहकमे से सोचा गया था कि पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सकेगा लेकिन यह मुहकमा बढ़ा नहीं। जैसाकि मैंने कल भी कहा था कि इस पर अफसरशाही का नियन्त्रण है और जब तक इस मुहकमें को उसके मुक्त नहीं किया जायेगा, बचेगा नहीं। दूसरी बात यह कि जब तक राजनीति से इसे अलग नहीं किया जायेगा—जैसे राजनीतिक दृष्टिकोण के ऊपर–सत्ता पक्ष का संचालक मंडल हो बैंक हो, उनको तो लूट की छूट दी जाय और जो विरोध के होंगे, चाहे कितने भी ईमानदार हों, उनको चलने नहीं दिया जाय, इस तरह से काम हो तो यह उचित नहीं होगा। यह पक्षपातपूर्ण भावना खतम की जाय। इसी तरह से नियुक्तियों की बात है। उसके लिये विभाग के सेवा मंडल बने हुए हैं लेकिन सेवा मंडल के होते हुए भी जिसको चाहते हैं उसकी नियुक्ति हो रही है और इस तरह से जो भाई-भतीजावाद है, उसे खतम होना चाहिये। इससे कोई काम नहीं बनने वाला है।

जो सुपरवाइजर्स हैं वे भी लूटते हैं। संचालक मंडल से मिल कर, या साधन सहकारी समिति के पदाधिकारियों से मिल कर लूटते हैं। उनकी लूट से बचने के लिये जरूरी है कि सरकार उनको अपने नियन्त्रण में ले ले। उनकी सेवा नियमावली बनावे, उनकी सर्विस केडर बनावे, उनकी पेंशन की योजना बनावे जिससे उनके ऊपर सरकार का पूरा कंट्रोल रहे। यह न हो कि उनका कोई मालिक न हो और वे खुद अपने आपको ही अपना मालिक समझें। इसलिये सुपरवाइजर्स का सरकारीकरण करें।

सबसे खास सुझाव मेरा यह है कि राजनीति से बिलकुल खतम करके सहकारिता आन्दोलन को किसानों का आन्दोलन बना दिया जाय और ऐसा नियम बना दिया जाय कि ऐसे लोग जिनका राजनीतिक सम्बन्ध किसी भी दल से होगा वे लोग इस सहकारिता आन्दोलन के किसी भी पद पर न रहेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि ऐसा हो जाने पर आधा भ्रष्टाचार तो उसी दिन सहकारिता आन्दोलन से खतम हो जायगा। कुछ लोगों को तकलीफ जरूर होगी जो सहकारिता आन्दोलनों से सम्बन्धित होने की वजह से उसका राजनीतिक लाभ उठाते हैं लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ कर प्रदेश की जनता के हित के लिये, लोगों की भलाई के लिये भी सोचें तो देश और प्रदेश का बहुत बड़ा कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि सभी माननीय सदस्यों ने हमारी बात का समर्थन किया है, भले ही अनुशासन के डंडे के नाते वे कहते हों कि इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हैं लेकिन दिल से स्वीकार करते हैं कि मेरी बात सही है। मैं फिर आशा करता हूं कि मेरे कटौती प्रस्ताव को आप लोग स्वीकार करेंगे।

सहकारिता मन्त्री (श्री नारायण सिंह)--

उपाध्यक्ष जी, पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूं सभी माननीय सदस्यों का कि उन्होंने अपने अलग विचार और परामर्श और मुझे बहुत सी सलाह दी जिससे कि सहकारिता का काम आगे चल कर सुचारु रूप से चल सके। इसी दौरान मुझे यह आभास भी हुआ कि चाहे कोई माननीय सदस्य उस पक्ष में बैठे हों या इस पक्ष में बैठे हों, उन्होंने उसकी बुराई भी की लेकिन आखिरकार उनकी भाषा और उनके शब्दों से मुझे आभास हुआ कि हर एक के दिल में जितने लोग बोले हैं, मैं समझता हूं सभी सहकारी बन्धु हैं और उनको सहकारिता का पूरा ज्ञान है। वह समझते हैं कि सहकारिता के बिना काम चलने वाला नहीं है। यह चीज सब मानते हैं। मैं भी इस बात को समझता हूं कि इसकी आवश्यकता है। अब 100-200-400 साल पहले देख लीजिये। पहले हाथी पर लोग सवारी करते थे, घोड़े पर सवारी करते थे और बैल तांगे पर सवारी करते थे तो घोड़े पर एक आदमी बैठता था हाथी पर 2-4 आदमी बैठते थे और बैल तांगे पर भी 3-4 आदमी बैठते थे। आहिस्ता-आहिस्ता रेलें आदि, हवाई जहाज आये, मोटरें और बड़ी लम्बी-लम्बी सवारियां आयीं यह सब सहकारिता को ही संकेत देती हैं कि कैसे आपसी सहयोग से सब कुछ चल सकता है सरकारी विभागों के आपस के सहयोग से सब कुछ चल सकता है। इसीलिये आपसी सहयोग की बात सहकारिता में की गयी।

अभी शिकायतें उठीं, करप्शन के बारे में आपने कहा तथा कानून में कमियां बतायीं और इसी तरह की बातें की। अलग-अलग खासतौर से माननीय सदस्यों ने जो चर्चा की वह भ्रष्टाचार के बारे में की। बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग बतलाया। सब तो हमारे विभाग के बंधु हैं--भ्रष्टाचार कहां है मैंने बहुत कोशिश की और जो सदस्यों ने विचार किया और प्रस्ताव रखे उससे मैंने देखा कि एक तो भ्रष्टाचार गांवों में हो सकता है, मैंने जिस वक्त बजट पेश किया मैंने इस बात को रखा था कि गांवों में जो लोग हैं, जो इसके मेम्बर नहीं हैं, वह मेम्बर बनाये जाते हैं जो कुछ चालाक किस्म के लोग उनकी अज्ञानता का नाजायज फायदा उठाकर उनसे बांड भरा लेते हैं और पैसा वसूल करते हैं। तो इस बेसिक चीज को चेक करने की जरूरत है।

दूसरे, भ्रष्टाचार जिसके बारे में बार-बार कहा गया वह सामान को खरीदने के बारे में हो सकता है। जो सामग्री या सामान खरीदा जाता है जो हमारे कर्मचारीगण या हमारे मेम्बर, डाइरेक्टर या दूसरे अधिकारीगण हैं वह मिलकर गड़बड़ी कर देते हैं और कोई दूसरी बात नहीं महसूस हो सकी जिसको मैं विशेष समझता। यह तो हो सकता है, जहां माल को रखा जाता है वहां ऐसी बातें हो सकती हैं ऐसा चलता रहा है। एक बात हमारे माननीय सदस्य कालीचरण जी ने कही। काली चरण जी ने कहा कि कोआपरेटिव बैंक महाजनी को छोड़ कर फिर महाजनी की तरफ जा रहे हैं। शायद माननीय सदस्य को यह ध्यान नहीं है कि महाजन किस तरह से खून चूसते रहे हैं और गरीब जनता को किस तरह से लूटते रहे हैं। उनके पास जमीन नहीं है कोई और साधन नहीं है पर सूद लेकर, सूद के रुपये से वह कितने समय से लूटते चले आ रहे हैं। इस तरह से वह आहिस्ता-आहिस्ता जमींदार होते गये। किस कदर उन्होंने लूट की यह सब जानते हैं। लेकिन यहां जो सूद की बात है वह लिमिटेड सूद होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आदमी के अज्ञान से उन्होंने कितना फायदा उठाया। 5 हजार रुपया किसी ने लिया तो 5 हजार के 15 हजार हो गये। किसानों की जमीन जायदाद बिक गयी। लेकिन कोआपरेटिव में, यहां पर महाजनी जैसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि करप्शन यू0पी0 बैंक से चलता है।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मंत्री जी पूछना चाहता हूं। यह तो सही है, लेकिन सहकारिता विभाग में.....

श्री नारायण सिंह---

2 मिनट में कह लूं, उसके बाद में जरूर आपकी बात सुनूंगा।

करप्शन जो होता है उसके बारे में मैं यह कहूंगा कि एल0 डी0 बी0 में जो करप्शन होता था। पंपिंग सेट्स काश्तकार जो खरीदते थे, उनमें जो करप्शन होता है मैंने विभागीय स्तर पर बार-बार उस पर चर्चा की और चर्चा के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा। 3-4 मंत्रियों जैसे एग्रीकल्चर, लघु उद्योग मंत्री की कमेटी बुलायी और मीटिंग की। काश्तकारों के साथ 7 सौ से लेकर 1 हजार तक का धपला होता है। उसके लिये जरुरत है कि उनको एक पत्र दिया जाय और पत्र के अलावा उन पर बंधन हो कि फलां दूकान पर से ही पंपिंग सेट खरीदना होगा। इस तरह से जो करप्शन होता है 7 सौ से 1 हजार तक का उसके लिये मैं माननीय सस्दयों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जरूर इस सिलसिले में कोई प्रैक्टिकल चीज आयेगी।

एक सदस्य---

किसानों को नकद दिलवा दें।

श्री नारायण सिंह---

मैं भी चाहता हूं। लेकिन ऐसा है कि इस पर रिजर्व बैंक आब्जेक्शन करता है। मैं चाहता हूं कि नकद दे दिया जाय लेकिन कुछ कानूनी उलझनें हैं। फिर भी जो कुछ हो रहा है वह उनके हित के लिये हो रहा है। मान्यवर, राजनीतिक लोगों के बारे में कहा गया कि इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। तो यह प्रजातंत्र के विरुद्ध हो जायेगा। जहां चुनाव होगा वहां राजनीति जरूर आ जायेगी। प्राइमरी सोसाइटी बनी यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक बना तो वहां चुनाव का मामला आयेगा तो आप कहें कि राजनीति को अलग कर दिया जाय। तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती है यदि आप समझा देंगे तो जरूर उसकी कोशिश करूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव---

मान्यवर, समितियों का चुनाव यदि सीधा चुनाव करा दें साधारण सदस्यों द्वारा, तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष---

आपने अपने भाषण में सुझाव दिये हैं तो दुबारा क्यों प्रश्न कर रहे हैं ?

श्री नारायण सिंह---

मान्यवर, एक सदस्य ने पम्पिंग सेट देने के बारे में शिकायत किया है। तो हमने पहले भी कहा कि इस पर हम विचार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बड़े लोगों के ऊपर बहुत कर्जा है और वह नहीं देते हैं। तो इसको मैं स्वयं भी महसूस करता हूं और इस संबंध में कुछ आदेश पारित भी किये हैं कि कोआपरेटिव विभाग गरीबों के लिये है और अमीर लोग पैसा लेकर बैठ जायं और वसूली न हो। तो मैं उससे पूर्ण रूप से सजग हूं और हम प्रयत्न करेंगे कि जो बड़े लोग पैसा लिये बैठे हैं उनसे वसूली हों, उनको छोड़ा नहीं जायेगा।

श्री काली चरण यादव---

मान्यवर, एक सूचना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में आपने कितना ऋण बांटा है, कितना वसूल हुआ और कितना बाकी है ?

श्री नारायण सिंह--

वसूली सभी ने कहा कि कम हुई है।

श्री भगवती प्रसाद (फैजाबाद)--

मान्यवर, वसूली के नियम पर सुन लें। मैंने इसी सदन में पिछली मई में प्रश्न उठाया था कि हमारे क्षेत्र जलालपुर में एक यादव के ऊपर 275 रु0 बाकी था। जिलेदार बन्दूक लेकर चलता है। वह जब यादव को गिरफ्तार करने गया तो यादव के लड़के ने कहा कि एक घंटे की मोहलत दे दो लेकिन उसको मोहलत नहीं दी गयी और उसे टूटी खाट पर मारा गया तथा बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया। उस पर आज तक कार्यवाही नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कहां से अव्यवस्था खड़ी कर रहे हैं? माननीय मंत्री जी को बोलने दें। आप बैठें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय कालीचरण यादव ने जो कट मोशन मूव किया उसमें महत्वपूर्ण विषयों को उठाया था जिसको मैंने सुना था और मंत्री जी के भाषण को भी सुना। मैं मंत्री जी से अपेक्षा करता था कि वह अपने जवाब में कम से उन महत्वपूर्ण बातों का उत्तर अवश्य देंगे जो कालीचरण जी ने अपने कट मोशन को प्रस्तुत करते हुए उठायी थीं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। उन्होंने सभी माननीय सदस्यों के भाषण सुने हैं। जिनको वह आवश्यक समझते हैं उनको प्राथमिकता देते हुए वह उत्तर देंगे।

श्री नारायण सिंह--

यह तो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार है। जिन बातों को मैं महत्वपूर्ण समझता हूं उनका उत्तर दूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव--

एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं। आप कृपया बैठें।

श्री नारायण सिंह--

श्री जफर आजमी ने सुझाव दिया कि जिसको कर्जा दिया अगर वह टाइम लिमिट के अन्दर वसूल नहीं होता तो उससे ज्यादा सूद लिया जाय और जो अवधि के अन्दर कर्जा वापस कर दे उसको कुछ रियायत दी जाय। यह पहले से ही है कि जो लेट देता है उससे पीनल इन्टरेस्ट चार्ज किया जाता है। हां, इस पर विचार कर सकते हैं कि किस तरह से वसूलयाबी को ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। सम्मानित सदस्य श्री जयनारायण जी ने सुझाव दिया। उन्होंने मशीनरी, इंजन क खरीदने में गड़बड़ी बतलायी और खास तौर से सुपरवाइजर पर कंट्रोल करने का सुझाव दिया। मैं मानता हूं कि सुपरवाइजर्स और जो सेक्रेटरीज हैं उनके लिये कोई बात ऐसी होनी चाहिये कि उनका एक कैडर हो जाय। हमने इसके लिये विचार किया है और हम मई जून में एक सेमिनार बुला रहे हैं जिसमें इस बात पर कि इनका एक कामन कैडर बनाया जाय जो ट्रान्सफरेबुल हो, विचार किया जायगा।

श्री मुलायम सिंह यादव--

संयुक्त सचिव के बारे में भी जवाब दे दें।

श्री नारायण सिंह--

उसका भी जवाब दूंगा। हमारे माननीय सदस्य, गोंडा ने कहा कि हमारे डेरी और डेरी फार्म्स में नुकसान बहुत है। यह मैं भी मानता हूं। दो चार को छोड़ कर जितने दूध के संघ हैं उनमें नुकसान है। उनका सुझाव था कि एक कमेटी बना दी जाय जो इनको

देखे और अपने सुझाव दें। यह हमारे विचाराधीन है। कौशिक जी ने बहुत सी बातें कहीं। ट्रान्सफर की शिकायत भी उन्होंने की। अगर कोई ऐसी बात है तो वह लिखकर दे दें। मैं उस पर कार्यवाही करूंगा। श्री सीताराम निषाद ने मछली ऐक्ट की धारा 115-(सी) की बात कही थी। मैं मानता हूं कि मछुआ समुदाय गरीब है। उन्होंने उनकी ट्रेनिंग का भी सुझाव दिया था जिस पर विचार किया जायगा। जहां तक मैं समझता हूं मछुआ लोगों का ही फिशरीज डिपार्टमेन्ट होना चाहिये। और जो सुविधा उनको मिलनी चाहिये वह जरूर कोशिश की जायेगी कि मिले। श्री जंगबहादुर सिंह, बाराबंकी ने यह कहा कि बड़े-बड़े लोगों से कर्जा नहीं वसूल किया जाता है। इस सम्बन्ध में और भी बहुत से माननीय सदस्यों ने शिकायत की। मैंने यह निश्चय किया है कि एक लिस्ट जिलेवार बनवाई जायेगी जिसमें यह दिखाया जायेगा कि कितना रेशियो है, बड़े लोगों ने कितना कर्जा लिया है और कितना धन वे दे पाये हैं और कितना नहीं, साधन सम्पन्न होते हुये भी क्यों नहीं दे पाये और कितना गरीब लोगों के पास है और उनके ऊपर क्यों ज्यादती की गई। यह बड़े लोग चाहें उनकी किसी से भी क्यों न रिश्तेदारी हो, बख्शने वाला मैं नहीं हूं। मैं इसको हर तरह से देखने की कोशिश करूंगा क्योंकि यह कोआपरेटिव विभाग ही गरीब लोगों के लिये है, और वह गरीब क्यों नहीं इससे लाभ उठा पाया और अमीर ने क्यों उठाया ?

श्री मुलायम सिंह यादव––

संयुक्त सचिव, श्री श्याम बिहारी लाल श्रीवास्तव के बारे में जरूर बतायें कि . . . .

श्री नारायण सिंह––

आप निश्चिन्त रहें, बता दिया जायेगा। पम्पिंग सेट के बारे में भी कई माननीय सदस्यों ने विचार रखे कि जो लोन एल0 डी0 बी0 से मिलता है उसमें घपला है। इस सम्बन्ध में मैं पहले ही काफी कह चुका हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं और आपसे सहयोग चाहता हूं कि अगर आप और सुझाव दे सकें कि उनकी लुटाई कैसे कम से कम हो और सही कीमत पर पम्पिंग सेट पहुंच जायं, तो मैं जरूर उन पर विचार करूंगा। बरेली के एक माननीय सदस्य ने और आमतौर से सभी माननीय सदस्यों ने मेरे प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं उनका इस बात के लिये आभार प्रकट करता हूं और जो स्थान और विश्वास मुझको दिया है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उस कार्य को अवश्य करने की चेष्टा करूंगा।

एक सदस्य––

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा श्री मुलायम सिंह जी ने कहा . . . . .

श्री उपाध्यक्ष––

मुलायम सिंह जी की बात आप क्यों कह रहे हैं, माननीय मंत्री को ढाई बजे अपना भाषण समाप्त करना है . . . . . .

श्री बाबूलाल वर्मा––

मेरी बात आप सुन लें। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पक्ष और विपक्ष की ओर से माननीय मंत्री जी को सुझाव दिये गये हैं क्या उनको वह बाद में पढ़ेंगे और उन पर कार्यान्वयन करेंगे और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं उनकी जांच करायेंगे ? मेरा विचार यह है कि जो कार्यवाही लिखी जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती तो जो कुछ कहा गया है उसकी जांच करायेंगे।

श्री नारायण सिंह---

वह तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि उन पर विचार करूंगा और जो सुझाव आये हैं उनको फिर से देखूंगा क्योंकि बहुत पढ़ने और सोचने के बाद इस हाउस में माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं, मैं उनको भरसक अमल करने की कोशिश करूंगा। आप निश्चित रहें, उस अधिकारी के खिलाफ मैं फिर से जांच कराऊंगा और इन्क्वायरी कराऊंगा कि वह फ़ीज कहां है और वह किसके पास है। मैं इसकी जानकारी करने के बाद सदन को सूचना दूंगा और माननीय सदस्य भी मुझसे मिल सकते हैं।

एक सदस्य---

श्री धुसिया की जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? श्री उमाशंकर दीक्षित और श्रीमती इन्दिरा गांधी के पैसे की व्यवस्था करेंगे.....

श्री नारायण सिंह---

मैं इस रिपोर्ट के बारे में मालूमात हासिल करूंगा और यह देखूंगा कि जो इन्क्वायरी हुई उस पर ऐक्शन क्यों नहीं लिया गया? अन्त में मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसे आप वासप ले लें क्योंकि मेरी और आपकी राय एक है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41---के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41---सहकारिता के अन्तर्गत होनेवाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,99,63,800 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49---के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49---पशुपालन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों की चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,99,66,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होनेवाले वर्ष में अनुदान संख्या 50---दुग्धशाला (डेरी) विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 63,14,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51–के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्ति होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51–मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 72,11,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पुंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,58,80,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 79—पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 54,56,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 91—के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष----

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 91—ऋण और अग्रिम----सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,40,72,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 37---श्रम एवं सेवायोजन

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)---

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37---श्रम एवं सेवायोजन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,41,35,500 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मेरे सभी माननीय सदस्य इस बात को भलीभांति जानते हैं कि इस मद के अन्तर्गत श्रम, शिक्षण तथा सेवायोजन ये तीनों संस्थायें इसमें एक तरीके से मिली जुली हैं और हर एक का काम अलग-अलग बटा हुआ है। जहां भी जी0 टी0 आई0 तथा आई0 टी0 आई0 ये इंस्टीट्यूशंस हमारी हैं हम अपने विद्यार्थियों को इनके माध्यम से शिक्षा देते हैं उसका उद्देश्य यह है कि या तो वे अपने स्वतंत्र उद्योग धंधों में अपने को लगायें अथवा जो प्राइवेट एंटरप्रुनर्स हैं उनके द्वारा जो संस्थायें चल रही हैं उनमें अपने को वह लगायें। इस सम्बन्ध मे मुझे यह निवेदन करना है कि प्रदेश में कुल 6 जगहों पर आई0 टी0 आई0 तथा जी0 टी0 आई0 काम कर रही हैं उनमें 3 जगहें ऐसी हैं जहां पर हमने इस बात की कोशिश की कि हम उनको स्थानान्तरित कर सकें जैसे मेरठ से हमने कोशिश की बदायूं में हम एक जी0 टी0 आई तथा एक आई0 टी0 आई0 कर सकें। इसी तरह से हमने कोशिश की श्रीनगर से बरकोट में ट्रान्सफर कर सकें और लखनऊ से एक जी0 टी0 आई0 हम उन्नाव ट्रान्सफर कर सकें। कुछ कारणों से ऐसा नहीं हो सका। हमारा प्रयत्न है कि जुलाई का जो सीजन है उसमें श्रीनगर से बरकोट वाली योजना को हम लागू कर सकें क्योंकि इस बीच में न करने का कारण यह था कि जो शिक्षार्थी थे उनके मिलने में बाधा थी। लखनऊ में भी जो जी0 आई0 टी0 आई0 था उसको भी उन्नाव में ट्रान्सफर किया गया था किन्तु उसके स्टाफ आदि के बारे में हाईकोर्ट में आपत्ति होने की वजह से कार्यान्वित नहीं हो पाया।

मान्यवर, मेरठ में एक आई0 टी0 आई0 है किन्तु हमने गाजियाबाद में एक दूसरा आई0 टी0 आई0 खोलने का विचार किया है जहां पर कि शिक्षार्थी एडवान्स ट्रेनिंग कर सकें और जिससे वे सरकारी मिलों आदि में काम करने के उपयुक्त हो सकें। इस बारे में प्रोग्राम सैंक्शन हो चुका है। इस तरह से मान्यवर, केवल 3 जगह ही बच जाती है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि वहां पर किस तरह से आई0 टी0 आई0 या जी0 आई0 टी0 आई0 खोलें। हमने एक स्कीम बनायी है कि जहां पर आई0 टी0 आई0 है या जी0 आई0 टी0 आई0 है उसमें एक ही रखा जाय क्योंकि इन दोनों का रेंज एक ही था, ट्रेनिंग भी एक ही थी। उससे न तो सरकार का ही कोई भला होता था और न शिक्षार्थी का ही भला होता था। यह जरूर है कि ट्रेनिंग के बाद बहुत से नवयुवकों को काम नहीं मिला लेकिन मैं इसके साथ ही साथ इन आई0 टी0 आई0 और जी0 आई0 टी0 आईज0 में कार्यरत इन्सट्रक्टरों और अधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने पिछले दो-तीन साल से गिरते हुये ट्रेनिंग के स्तर को ऊंचा उठाने में हमारे साथ सहयोग दिया है। हमारे जितने पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हैं उनमें इन आई0 टी0 आई0 ट्रेन्ड व्यक्तियों को खपाने की पूरी पूरी कोशिश की जायेगी। आज बेरोजगारी हमारी निरन्तर समस्या बनी हुई है। इसके लिये सरकार सतत जागरूक है कि वह किस तरीके से इन बेरोजगार व्यक्तियों को काम

पर ले। हमने एप्रेन्टिशशिप ऐक्ट के अन्तर्गत इस बात की कोशिश की है कि इन ट्रेन्ड छात्रों को किस तरह से एडवान्स ट्रेनिंग दें ताकि वे फैक्टरी आदि में भी कारगर बन सकें।

हमारा एप्रेन्टिशशिप ऐक्ट पूरे हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा माना गया है और यही कारण है कि हम इस सम्बन्ध में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा आगे हैं। इस सरकार की उपलब्धियां जो निकट भविष्य में इस सम्बन्ध में रही हैं उनको मोटे तौर पर बताने में और सभी माननीय सदस्यों का सहयोग प्राप्त करने में मुझे खुशी है। यह आपके सहयोग का ही फल है कि 73–74 के मुकाबले में हमारे प्रदेश में जितनी औद्योगिक शांति रही है उतनी कभी नहीं रही है। वर्क वेस्ट और मैन डेज लोस्ट बड़े–बड़े प्रदेशों की अपेक्षा, हमारे प्रदेश में सबसे कम हुआ है। इसके लिये मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं जिससे यह स्वतः साबित हो जायेगा। ये आंकड़े वेरीफाइड हैं। मान्यवर, जहां केरल में वर्क वैस्ट और मैन डेज लास्ट 3709, मध्य प्रदेश में 2023, महाराष्ट्र में 9561, बिहार में 5292, गुजरात में 2097, राजस्थान में 8141, तामिलनाडू में 6663, वेस्ट बंगाल में 13,409 है वहां उत्तर प्रदेश में केवल 1704 है। इससे जाहिर होता कि सारी परेशानियों के बावजूद भी, सारी दैवी आपदाओं के बावजूद भी, बिजली में कटौती रहने के बावजूद भी, हमारे प्रदेश में देश के बड़े–बड़े स्टेट्स के मुकाबले में मैन डेज लोस्ट सबसे कम रहा है। ले आफ भी हमने उतना ही किया जितना कि कम से कम सम्भव हो सका। हमारे यहां बिजली की कटौती की वजह से इम्पलायर जो थे वह सेवा में रखने को तैयार नहीं थे हमने उनको काम पर रखा। सरकार और मुख्य मंत्री जी के प्रयत्नों की वजह आज भी उत्तर प्रदेश में ले आफ है वह कम है।

औद्योगिक शान्ति के बारे में बता दूं उसका भी विवरण मेरे पास है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक शांति किस हद तक रही है। मान्यवर, 1973 में एक दिन की स्ट्राइक के केसेज 63 थे और वहां वह 1974 में 29 थे। एक दिन से 10 दिन तक 1973 में 34 थे और 74 में वह 30 दिन हो गये। दस दिन या उससे ज्यादा 1973 में 34 थे और 1974 में 26 हो गये। मान्यवर आप देखेंगे कि स्ट्राइक्स जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये की जाती है वहां अगर हिंसा का वातावरण अपनाने की कोशिश की जाती है तो वहां वह कामयाब नहीं हो पाते हैं, उनको कामयाबी नहीं मिली है। यह बात सही है। मान्यवर, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में श्रमिकों की जो नीति निर्धारित की है उस नीति के अनुसार उनको जो वेजेज हैं इंस्ट्रीज में वह कहीं और नहीं मिलेंगी। आप मान्यवर, देखें हमारे यहां की चीनी मिल एवार्ड को नेशनल एवार्ड बना दिया है। इसी प्रकार टैक्सटाइल में जो श्रमिक हैं वह भी जितना पाते हैं वह कहीं और जगह नहीं मिलेगा। कानपुर के टैक्सटाइल वर्कर्स को बाहर के टैक्सटाइल वर्कर्स के मुकाबले ज्यादा वेज मिलती है। इसी तरह से टेनरी में हैं तथा अन्य उद्योग कांच की चूड़ी बनाने वाले से लेकर, इंजीनियरी के जो कारखाने हैं या कोई और इकाइयां हैं उन सब में वेजेज ज्यादा है।

अभी हाल ही में सिनेमा में काम करने वाले कर्मचारियों की वेजेज बढ़ी हैं। तो जितनी औद्योगिक शांति इस प्रदेश में है उतनी कहीं नहीं है। मैं अपने माननीय सदस्यों का जिनके सहयोग से यह संभव हो सका है उनका आभारी हूं। आप लोगों के माध्यम से यह हो सका है। मैं अपने मुख्य मंत्री जी का भी आभारी हूं जिनकी नीति निर्देशन में यह संभव हो सका है क्योंकि उनका शुरू से ही ट्रेड यूनियनिस्ट जीवन रहा उन्होंने श्रमिकों की गरीबी को देखा, उनके बीच में वह गुजरे हैं। उनकी बात को उन्होंने महसूस किया कि श्रमिकों के साथ सामाजिक न्याय करना चाहिये। तो उनके फैसले से यह संभव हो सका है। मान्यवर हमारी कुछ उपलब्धियां हैं जैसे सूतीवस्त्र का काम करने वाले मजदूर जो कानपुर में हैं उनको 439.52 पैसा और दूसरी जगह 377.10 पैसे हैं इसी तरह से चीनी मिलों में जहां 227 रुपये थे अनस्किल्ड को वह आज 301 रुपये मिनिमम है। इसी तरह से ग्रेचुटी एलाउन्स भी

[श्री राजमंगल पांडेय]

बढ़ गया है। तो जितने उद्योग धंधे थे उन सब में वेतन वृद्धि हुई है। कहीं पर प्रतिद्वंद्विता की वजह से झगड़ा हुआ है जैसे सीतापुर में प्लाई बुड फैक्ट्री में है। हमें विश्वास है कि वह भी निकट भविष्य में हल हो जायेगा।

इसी तरह से लक्ष्मी रतन कौटन मिल कानपुर में 4 हजार वरकर बेकार हो गये थे जो महीने तक बेकार पड़े रहे जिसे आपके सहयोग से चालू कर दिया गया है। मेरा ख्याल है कि फिर से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी जिससे कि श्रमिक परेशान हों।

ओल्ड एज पेंशन में भी पैसा खर्च किया है उसमें धन की कमी की वजह से जितने लोगों की मांग है जो पेंशन चाहते हैं उतनों को हम नहीं दे पाये हैं।

मान्यवर, इस सदन में अनइम्पलाइड लोगों को, जो बेकार हैं उनको भत्ता देने की बात आई तो इस पर सालाना करीब 125 करोड़ रुपया खर्च आयेगा और जो पंचवर्षीय योजना में करीब 625 करोड़ तक हो जायेगा तो किसीभी प्रदेशके लिये जिसकी इतनी समस्यायें हों, देना संभव नहीं हो सकेगा फिर हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकेंगे। इस तरह से आप देखें, इस प्रदेश में बिजली की सारी समस्याओं के बावजूद, हमारी तमाम दिक्कतों के बावजूद, दैवी आपदाओं के बावजूद, हमने यदि कुछ खोया है, तो साथ ही साथ माननीय सदस्यों के सहयोग और अपने अधिकारियों की कार्यदक्षता के फलस्वरूप हम सारी समस्याओं पर काबू पा सके हैं। तथा मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निकट भविष्य में जहां कहीं भी आपदाएं आने वाली हैं, उन्हें हम आपके सहयोग से काबू पा सकेंगे और एक सुन्दर भविष्य, जिसकी हम कल्पना किए हुए हैं, उस तक पहुंच सकेंगे।

*बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

मान्यवर, हमारे देश की उल्टी हालत है। अन्य समाजवादी मुल्कों में तरीका यह है कि जो करेगा, वह खाएगा 'वन हू डज नाट वर्क शैल नाट ईट' किन्तु यहां हालत यह है 'वन हू डज नाट वर्क शैल ईट' अर्थात् जो काम नहीं करेगा, वही खाएगा। मैं कुछ वर्षों के आंकड़े आपके सामने पेश कर दूं कि मजदूरों की किस तरह से आय घटी है या बढ़ी है। आप जब उस तथ्य को जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि किस तरह से मजदूरों के साथ इस सरकार का अन्यायपूर्ण रवैया है। इंडिया के जो माने हुए मोनोपोलिस्ट्स हैं—(व्यवधान) सिर्फ दो मोनोपोलिस्ट्स के विषय में आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं कि उनके एसेट्स 1966—67 और 69—70 के बीच कितने अधिक बढ़े हैं। टाटा के एसेट्स 66—67 में 505 करोड़ 36 लाख से बढ़कर 1969—70 में 6 अरब 38 करोड़ 50 लाख हो गये तथा बिड़ला के 66—67 में 497 करोड़ 84 लाख से बढ़कर 69—70 में 6 अरब, 29 करोड़ 60 लाख हो गये।

दूसरी तरफ मजदूरों को देखिए। सन् 39 में यह तय किया गया था कि एक मजदूर का एक मास का वेतन कम से कम 30 रुपया होना चाहिये, उस हिसाब से यदि आप आज हिसाब लगाकर देखें तो महंगाई 16 गुना बढ़ गई है, तो जो भी मजदूर है, उसकी तनख्वाह कम से कम 480 रुपया मासिक होनी चाहिये। जबकि उससे हम उनके संबंध में बहुत पीछे हैं। आज जो हिन्दुस्तान का शोषण करने वाले लोग हैं, उनके ऐसेट्स को देखें और दूसरी तरफ मजदूरों की वस्तुस्थिति को देखें और मंत्री जी वहां जाएं तो उनकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इस सरकार का जो कान्ट्रेक्ट ऐक्ट है, उसको कोई भी ठेकेदार पूरा नहीं करता है। वे मजदूर औरतें, जिनके पेट में 9—9 महीने के बच्चे हैं, उनसे काम लिया जाता है। कोई भी देखने वाला नहीं है। कानून किनके लिये है? सिर्फ पूंजीपतियों के लिये है। वे चाहे लाक—आउट करें, चाहे ले—आफ कर दें, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। जे0 के0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रेआन में जो ले-आफ चल रहा है, उसके बारे में मैंने मंत्री जी से बात की, किन्तु उसका कोई फल नहीं निकला है। सरकार ने उसको 4 लाख रुपया इसलिये दिया कि वह अपने यहां पावर प्लान्ट लगाए और दो हजार टन कोयला प्रति मास अतिरिक्त इसलिये दिया कि वह रेआन का उत्पादन बढ़ाए। लेकिन इसके विपरीत आज वह कहते हैं कि हमारे यहां मिल में जिसमें 1800 मजदूर हैं, वह बन्द है, हम यहां रेआन का उत्पादन नहीं करना चाहते हैं। क्या उस पर मंत्री जी दबाव डाल सकते हैं कि वह उसे चालू रखे। क्या उन पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है कि वह मजदूरों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें। 4 मार्च से वहां हड़ताल चल रही है, लेकिन आज तक उसके बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया। यह है सरकार का रवैया पूंजीपतियों और मजदूर वर्ग के लिये।

मान्यवर, हमारे बिजली मंत्री नहीं हैं। मैन-डेज लास कितने हुए सीधा सवाल है स्ट्राइक और ले आफ का। मैनडेज लास हुए 9 हजार 591, लेआफ से नुकसान हुआ 17 लाख 47 हजार 793 रुपये का। बिजली की कटौती की वजह से 28 लाख 58 हजार 564। इसका मतलब यह है कि जो नुकसान हुआ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार बिजली का महकमा है। क्या माननीय मंत्री या सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा दायर किया जा सकता है, कि इसके लिये मंत्री महोदय या उत्तर प्रदेश की सरकार या मजदूर जिम्मेदार हैं। (व्यवधान) बिजली से आपके यहां कारखाने चलते हैं। जरा समझिये। मजदूर सफर करते हैं उससे। इस बिजली की कटौती की बजह से मजदूर को कम तनख्वाह मिलती है। पूरा कारखाना बन्द रहता है। मजदूर काम करना चाहता है। लेकिन बिजली आप दे नहीं पाते हैं। तो मजदूरों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है। क्या सरकार का मौलिक कर्तव्य नहीं है कि जो सरकार बिजली न दे सके कम से कम मजदूरों को मुआविजा तो दे।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है। लेबर के बजट पर बोल रहे हैं और पावर पर एम्फेसाइज कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष --

माननीय सदस्य समझने का कष्ट करें।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

माननीय सदस्य से आप यह कह दें, मेरा सुझाव है, कि पहले नियमावली पढ़ लें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न मुझ से उठाया है। आपको जवाब नहीं देना चाहिये। जवाब तो मैं दूंगा। उनका जवाब मैं दे रहा हूं।

माननीय सदस्य उनके भाषण को सुनें। ऐसा लगता है कि आप बातचीत में लगे रहते हैं। वह कह रहे हैं कि लेबर से सम्बन्धित बिजली है। बिजली की अव्यवस्था की वजह से लेबर को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपकी व्यवस्था तो कोई व्यवस्था है नहीं। आप दूसरे की बात सुनें। बात चीत में कम समय लगाया करें। सदन में बैठ कर बात चीत कम किया करें। थोड़ा सुनने का कष्ट करें।

बाबा रामनाथ--

मान्यवर, हमारे यहां मजदूर तीन तरह के काम में लगे हुए हैं। एक आर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में काम करते हैं। दूसरे अनआर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में काम करते हैं। तीसरे खेतिहर मजदूर हैं। आर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, आदि इंडस्ट्रीज आती हैं। अनआर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज में हैंडलूम, पावरलूम, मुरादाबाद के बर्तन, ब्रासवेअर, फर्रुखाबाद की छपायी और दूसरे प्रकार की इंडस्ट्रीज आती हैं। इनके लिये किसी प्रकार का वेज बोर्ड या कानून नहीं है। जितना मिल मालिक काम करता है दे दें। क्या आपने बना रखा है? कामर्शल

[बाबा रामनाथ]

एस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट। उसके अन्तर्गत चालान कितने होते हैं एक साल में कुल 271। अन-आर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज में हजारों हजार आदमी काम करते हैं। उसका उल्लंघन करने वाले पूरे प्रदेश में, पूरे डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर्स से लेकर बड़े-बड़े अफसरों द्वारा केवल 271 आदमी पकड़े जाते हैं जो उल्लंघन करते हैं। इससे पता चलता है कि पूरा विभाग किस तरह से उनसे किस तरह से सांठ गांठ किये हुए हैं, किस तरह से दावत खाते और पैसा लेते हैं और अनआर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों के प्रति उनको कोई परवाह नहीं है।

खेतिहर मजदूर हमारे यहां 58 लाख के ऊपर ही होंगे। उनमें से कुछ मजदूर 20 एकड़ से कम वाले फार्मों पर काम करते हैं, कुछ ज्यादा बड़े-बड़े फार्मों पर काम करते हैं। उनकी मजदूरी तीन से छः रुपये से ज्यादा नहीं है। ऐसी स्थिति में आज के जमाने में सोलह गुनी महंगाई बढ़ चुकी है तो मजदूरों की मजदूरी के रेट्स भी रिवाइज कराये जाने चाहिये। इनके लिये आप कोई कानून नहीं बना सकते हैं। कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जिसमें कहा जा सके कि उनको पेट भर रोटी मिल सकेगी। एक तरफ तो सरकार अपने को समाजवादी कहती है लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जुह नहीं है कि मजदूर किस तरह से अपनी जिन्दगी व्यतीत करते हैं। हमको जितनी सुविधायें मिली हुई हैं वह सब मजदूरों द्वारा दी जाती है। जो मजदूर हमारे लिये काम करते हैं और हम उनकी परवाह न करें तो यह एक गम्भीर अपराध है।

एक कम्पलसरी डिपाजिट स्कीम चलाई गई है। जो व्यापारी सेल्स टैक्स नहीं देते हैं और ब्लैक मनी का करोड़ों रुपया जिनके पास है। एक समिति ने कहा है 200 करोड़ रुपया ब्लैक मनी का हमारे यहां है। इन लोगों का तो आप कुछ नहीं कर पाये और मजदूरों का वेतन जाम कर दिया जो महंगाई भत्ता बढ़ा था उसके लिये आपने कह दिया कि सरकारी कोष में जमा कर दिया जाय। उनको पता नहीं है कि सरकार रुपया वापस करेगी या नहीं। जो हाल जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकार ने जमींदारों को बांड्स दिये थे उनका हो रहा है वही हाल इनका होगा। इसी तरीके से इनको भी बौंड्स दे दिये जायेंगे। मजदूर उनके लिये बाजार में मारा मारा फिरेगा। यह किस विचार धारा से प्रेरित होकर बनाया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय श्याम जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गैलरी में बैठे हुये लोगों से बात न की जाय।

बाबा रामनाथ--

हमारी प्रदेशीय सरकार ने मजदूरों की खैर ख्वाही की बात कही। केरल में तथा तामिलनाडु में वरकर्स कमेटियां हैं। लेकिन हमारे यहां इसके बनाने की इजाजत नहीं है। मजदूर प्रजातांत्रिक तरीके से अपने नेता का चुनाव कर सके और अपने मामले तय करायें। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी वरकर्स कमेटी की व्यवस्था करें ताकि मजदूर अपने नेता चुन सकें, मैनेजमेंट अपने लोगों को चुन सकें और विवादों का हल निकाला जा सके।

अभी आई0 टी0 आई0 और सेवा योजना की बात कही गई। लेकिन इनकी रिपोर्ट बड़ी दर्दनाक है। 1972 में पंजीकृत अभ्यर्थी 9,32,314 थे और 1973 में 9,00,188 थे। लोगों ने विश्वास करना ही छोड़ दिया कि इनके द्वारा उनको नौकरी मिल सकती है। यह केवल 1.7 प्रतिशत को ही काम दे पाये। इस पर भी आप कह रहे हैं कि इम्पलायमेंट एक्सचेंज बने हुये हैं। आपको इतना भी पता नहीं है कि कितने टेक्नीकल इंस्टीट्यूट बना दिये हैं। कितने लोग यहां से पास होकर इनमें रजिस्टर्ड हैं, उनमें से कितनों को काम दिला सकते हैं। 1973 में 9,00,188 अभ्यर्थी पंजीकृत हुये। अगर इनमें से एक लाख को भी काम दिला सकते तो मैं समझता कि इन्होंने कुछ काम किया। ऐसी दशा में श्रम

विभाग के पास कोई योजना नहीं है। ऐसी दशा में सिवाय मिल मालिकों के जो कारखानेदार हैं, उनका ही हित किया जा सकता है बाकी जितने भी गरीब मजदूर हैं उनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है। कानपुर के अन्दर कई कारखाने हैं जो बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया है। सेठ जी की तबियत है चाहे वह उसको लाक अप कर दें या बन्द कर दें। हमारे जिले में एक हिन्द लैम्प फैक्टरी है जिसमें बिजली का सामान बनाया जाता है। उसके एक सेक्शन को बन्द कर दिया गया है। वहां का मैनेजर चाहता था कि 10 मजदूरों को हटा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी आपको और समय चाहिये ? जल्दी खतम करें।

बाबा राम नाथ—

मैं फैक्टरी के मुताबिक कह रहा था, कि 10 मजदूरों को बिना नोटिस दिए हुए निकाल दिया गया। मैं मंत्री जी की नोटिस में लाना चाहता हूं। वहां का मैनेजर खुद पिस्तौल लेकर गया। अभी वहां पर हड़ताल चल रही है लेकिन हमारे मंत्री जी ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और न ही उनको कुछ पता ही है।

श्री राज मंगल पान्डेय—

65 आदमी हैं जो 8 घंटे में 4 घंटे का रेस्ट चाहते हैं। जहां पर 1,500 आदमी हैं वहां पर 65 आदमी यह कहते हैं।

बाबा राम नाथ—

मजदूरों की कई शिकायतें आयी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राम नाथ जी अब आप समाप्त करें।

बाबा राम नाथ—

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो बेकारी है उसके सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं। आप जानते हैं कि 1 हजार इन्जीनियर बेकार हैं। मैट्रीकुलेट से लेकर बी0ए0 तक जिनकी संख्या 3 लाख से ज्यादा है, बेकार हैं उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में जो बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या है उसको गंभीरता के साथ सुलझायें। यदि आप चाहते हैं कि संविधान को बालाये ताक पर रख दें, तो ठीक नहीं है। यह सरकार ने तय कर लिया है कि [* * * * * * *]।

श्री उपाध्यक्ष—

आप ऐसा क्यों कहते हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

मुझे इनके शब्दों पर आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रोसीडिंस से निकाल दिये जायें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इनको क्षमा मांगनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने व्यवस्था दे दी।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, हमारा संविधान हमारी राजनीति की आधारशिला है।

नोट—[* * * * * *] श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष----

आप इस प्रकार का कोई व्यवधान पैदा न करें।

बाबा राम नाथ----

हमारे संविधान की धारा 39 में दिया हुआ है कि :

(क)

"The State shall, in particular, direct its policy towards securing:
(a) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood"

यह सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों की जीवनोपार्जन के साधन उपलब्ध करेगी।

आगे क्लाज (ख) में दिया हुआ है कि :

"that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good"

कम्युनिटी (समुदाय) की भौतिक सम्पत्ति का (मैटीरियल रिसोर्सेज) का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। अर्थात् यह न हो कि बिड़ला साहब तो 6 अरब के मालिक हों और एक मजदूर को 3 रुपये भी न मिलते हों।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

संविधान के अनुरूप ही विधान सभा जनता द्वारा चुने हुए सदस्यों से गठित होती है। जो लोग कहते हैं कि बिहार में विधान सभा भंग हो तो हमारे देश की क्या हालत होगी ?

बाबा राम नाथ---

आगे क्लाज (ग) में दिया हुआ है कि :

"that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment"

अर्थात् कोई आदमी पूंजी का संचय न करे जो दूसरों के लिये कष्ट दायक हो। लेकिन पूंजी का संचय आज एक वर्ग किस प्रकार से कर रहा है और दूसरे त्राहि-त्राहि कर रहे हैं।...

श्री उपाध्यक्ष----

आपको बोलने का दुबारा मौका फिर मिलेगा, इस पर विवाद होकर 5 बजे तक समाप्त करना है। आप 20 मिनट बोल चुके हैं, मंत्री जी तो केवल 15 मिनट ही बोले हैं। बाद में आपको जवाब देने केलिये समय मिलेगा, तब शेष बातें कह लें।

बाबा राम नाथ---

मान्यवर, इसमें साफ लिखा हुआ है.....

श्री उपाध्यक्ष---

अगर इसमें लिखा हुआ है तो आप मंत्री जी के पास किताब भेज दें।

श्री राम नारायण पाठक (जिला कानपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 5 करोड़ 41 लाख 35 हजार, 500 रुपये की जो अनुदान माननीय श्रम मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, इसका मैं समर्थन करता हूं।

मान्यवर, समर्थन के साथ-साथ, हमारे माननीय बाबाराम नाथ जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसको सुनकर मुझे इस बात का दुःख हुआ कि यद्यपि वे श्रमिकों की बाबत बड़े चिन्तित हैं लेकिन इस मद में उन्होंने कटौती की मांग की है। उन्हें तो अधिक मांगना चाहिये था। जिससे कि प्रदेश के मजदूरों की तरक्की और उनकी बहबूदी का कुछ काम किया जा सके।

मुझे इस बारे में और भी दुःख हुआ कि हमारे माननीय नेता विरोधी दल और दूसरे विरोध पक्ष के लोगों ने कुछ भी नहीं कहा जब कि आज श्रम विभाग के बजट पर केवल आधे दिन से भी कम का समय रखा गया। मैं समझता हूं कि अगर हमारे श्रम मंत्री जी प्रदेश के मजदूरों केलिये कुछ कर रहे हैं तो उन्हें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिये था। मालूम पड़ता है कि वे इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं रखते हैं। अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने ट्रेनिंग के बारे में जो कहा, मैं यह कह सकता हूं कि. . . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मेरी प्रार्थना है कि माननीय सदस्य सदन में गम्भीरता का परिचय दें। व्यक्तिगत बातें क्यों होती हैं ?

श्री राम नारायण पाठक--

मंत्री जी ने काफी प्रयास किया है कि हमारी जो क्रैफ्ट्समैनशिप की ट्रेनिंग है उसमें तरक्की हो। मुझे अन्य प्रदेशों की भी क्रैफ्ट्समैनशिप को देखने का मौका मिलता है, डिफेन्स कर्मचारियों में अन्य प्रदेशों के लोग आते हैं। हमारे यहां की ट्रेनिंग आगे बढ़ रही है और मैं यह आशा करता हूं कि हमारी सरकार इस बात की पूरी कोशिश करेगी कि जो टेक्निकल ट्रेनिंग आई0 टी0 आई0 या अन्य सुविधाओं से देने का प्रयत्न हो रहा है, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर में क्यों न दिलायी जाय, उसमें किसी बात की कमी न रहे क्योंकि हम देखते हैं कि डिफेन्स में जब रेक्रूटमेन्ट होताहै तो वह लोग परफार्मेन्स के बाद लेते हैं और उस समय हम पहले देखते थे कि हमारे ट्रेन्ड इम्तीहान में वर्कर्स रह जाते थे और दूसरे प्रान्तों के लोगों को ले लिया जाता था और हम लोगों को बड़ा दुःख होता था। मुझे खुशी है कि ट्रेनिंग की स्कीम को काफी अच्छे तरीके से चलाने और अच्छे कारीगर पैदा करने की कोशिश हो रही है।

बिजली के बारे में हमारे बाबा रामनाथ जी ने कुछ कहा और यह बात सच है और सारे हाउस के लिये दुःख की बात है कि बिजली की कमी ने हम लोग के सारे कार्यक्रम को अस्तव्यस्त कर दिया है और मैं मुख्य मंत्री का बड़ा आभारी हूं, हमारे अपोजीशन के भी साथी थे, जब हम लोगों ने कई जगहों में जहां बिजली पैदा की जाती है, ओबरा, रिहन्द में, वहां गये और हमने देखा कि वहां जिस तेजी के साथ काम हो रहा है, बिजली पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उससे लगता है कि बिजली की कमी, जिसके कारण मजदूरों को कम करने या उनको ले आफ करने की आवश्यकता पड़ी या कारखानोंमें जो वर्किंग आवर्स बदल दिये गये हैं जिससे मजदूरों को बड़ी कठिनाई हो रही है और जो अधिक उत्पादन भी बढ़ाने में कठिनाई हो रही है, उसको पूरा करने के लिये हमारे मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी पूरी कोशिश करेंगे।

बेकारी भत्ते के बारे में यह बात तो ठीक है कि आर्थिक स्थिति सरकार की इतनी अच्छी नहीं है कि बेकारी का भत्ता दे सकें। लेकिन मैं यह आशा करता हूं कि कुछ न कुछ कदम इस सम्बन्ध में उठाये जायं जिससे कि यह प्रदेश देश के सामने एक ऐसा मार्गदर्शन करे कि दूसरे प्रदेश के लोग यह समझें कि यहां पर बेकारी के सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही होती है। सब से बड़े दुःख की बात यह है कि इस प्रदेश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा खेतिहर मजदूर हैं। और आधे वोटर्स भी खेतिहर मजदूर ही है लेकिन उन गरीब मजदूरों के लिये जो मिनिमम वेज तय किया गया लागू नहीं हुआ और मुझे उसके लिये उतना लड़ने की आवश्यकता नहीं है जितनी लड़ाई मैं लड़ना चाहता हूं कि उनके लिये न पानी की व्यवस्था है न हैल्थ की व्यवस्था है और न उनके रहने के लिये कोई कदम उठाया गया। मैं चाहूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में खेतिहर मजदूरों के लिये मकान बनवाने की उचित कार्रवाई करे। अगर उन गरीबों को पता लग जाय कि उनके रहने की व्यवस्था हो जायगी तो गांव के लोग शहर में आना छोड़ देंगे क्योंकि उनको उसी तरह की सुविधा मिलेगी जैसी इंडस्ट्रियल लेबर को शहरों में दी जाती है।

दस्तकारी की भी बात आयी। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे श्रम मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी इस बारे में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश की दस्त-

[श्री राम नारायण पाठक]

कारियों के लिये, चाहे वह बनारस में जो काम होता है वह हो, चाहे मुरादाबाद का काम हो, चाहे लखनऊ का सिलाई कढ़ाई का काम हो, सभी के बारे में एक नयी व्यवस्था की जाय जिससे उन गरीब लोगों को जो उसमें लगे हुये हैं अपने श्रम की सही दर मिल सके। माननीय बाबा रामनाथ जी ने बीमेन वर्कर के बारे में कहा, उनको तो हमारे यहां ईव्वली पे दी जाती है। इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

*श्री नन्दराम (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्रीमन्, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, कहा जाता है कि यह बजट बहुत अच्छा है, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आपने मिल में काम करने वाले मजदूरों की हालत के बारे में सोचा है कि वह कैसी है आज उनकी हालत बदतर हो गयी है। इस महंगाई के जमाने में तो उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गयी है। आज आपकी नीति यह है कि छोटा कर्मचारी कम महंगाई भत्ता पाता है और बड़ा कर्मचारी अधिक महंगायी भत्ता पाता है। होना तो यह चाहिये था कि बड़े कर्मचारी को कम महंगायी भत्ता और छोटे कर्मचारी को अधिक महंगायी भत्ता मिलता। आज आपके समाजवाद की हालत यह है कि जो व्यक्ति रात दिन मेहनत करके काम करता है उसको तो मजदूर कहा जाता है, मगर जो निठल्ले बैठे बैठे खाता है उसे हुजूर कहा जाता है। जो औरत मेहनत मजदूरी करके खाती है, अपना पेट भरती है, उसे नौकरानी कहा जाता है और जो औरत बैठे बैठे खाती है उसे महारानी कहा जाता है। आज मिल में काम करने वाले श्रमिकों की हालत क्या है? अगर मिल में किसी मजदूर का हाथ पैर कट जाता है तो उसे कोई भत्ता आदि नहीं दिया जाता। होना यह चाहिये कि उसके बच्चों का पालन पोषण मिल मालिक को करना चाहिये और जब उस श्रमिक का बच्चा बड़ा हो जाये तो उसे उसी पद पर रख लेना चाहिये जिस पर उसका पिता काम करता था। मगर आज यह कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि मिलों में छोटे-छोटे कर्मचारियों की ही सरकार छटनी कर रही है। मैं कहता हूं कि यदि आप बड़े एक आफिसर को निकाल दें तो उससे 50 मजदूरों का पेट आप पाल सकते हैं।

रोजगार दफ्तर केवल नाम मात्र के रह गये हैं। वहां पर श्रमिक व विद्यार्थी रोजगार के लिये आये दिन धक्का खाते फिरते हैं। रोजगार दफ्तर वास्तव में बेरोजगार दफ्तर हैं। वहां का दरवाजा हर वक्त बन्द रहता है। रोजगार के लिये जो भी जाता है धक्के खाकर लौट आता है। अब मैं मुजफ्फरनगर के आई0 टी0 आई0 के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं। वहां आई0 टी0 आई0 में एक प्रिन्सिपल हैं, मंत्री नारायण सिंह जी भी मेम्बर हैं, वहां पर सेलेक्शन होता है, सेलेक्शन में लड़के लिये जाते हैं। जिनकी लिस्ट दी जाती है, लिस्ट देने के बाद भी वे लड़के नहीं लिये जाते हैं। बराबर वहां रिश्वत दी जाती है, इसमें किसी किस्म का कोई सुधार नहीं है। वजीफे में भी इसतरह की हालत है। यह मुजफ्फरनगर के आई0 टी0 आई0 के प्रधानाचार्य की बात है। मैंने श्री नारायण सिंह जी से जो वहां की कमेटी के प्रधान हैं, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी यह बतलाना चाहता हूं कि उनसे मैंने कहा कि इस तरह की वहां गड़बड़ी है। जो आई0 टी0 आई0 के लड़के हैं वे आज भी आई0 टी0 आई0 की ट्रेनिंग करने के बाद भी परेशान हैं और बेकार हैं। खासकर जो लेबर फिस्म के लोगों के बच्चे हैं, जो किसी तरह से मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं उनके बच्चे भी रोजगार से वंचित हैं।

श्री राजमंगल पांडेय—

घूस कौन लेता है, मेम्बर लेते हैं या प्रिंसिपल?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नन्दराम--

मेरा मतलब मेम्बरों से नहीं है, मेरा मतलब वहां के कर्मचारियों से है।

श्री राजमंगल पांडेय--

वह तो एक कमेटी है जिसके अध्यक्ष पब्लिक मैन है। मेम्बर उसके एम0 एल0 एज0 ही होते हैं जिनको यहां से चुन कर भेजा जाता है। ऐसा कोई कर्मचारी हो तो उसे आप लिख कर दे दें।

श्री नन्दराम--

मैंने मन्त्री जी से शिकायत की थी। श्री नारायण सिंह जी आई0 टी0 आई0 कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिनसे मैंने चुनाव होने के बाद शिकायत की थी लेकिन इसके बावजूद इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है।

मैं आपको बतला दूं, आपके विभाग के कंडक्टर हैं, रोडवेज पर चलते हैं। कहीं-कहीं पर यह हो सकता है कि कंडक्टर वाकई गलती करते हों, लेकिन कहीं-कहीं पर यह भी होता है कि अगर हरिजन का या लेबर का कोई लड़का होता है जिसकी कोई पहुंच नहीं है, जिसकी कोई आवाज नहीं है तो उसके ऊपर ब्लेम लगा कर उसे निकाल दिया जाता है। जैसे अभी हमारे यहां का रोहाना मिल है, जहां थोड़े दिन पहले मिल चली, फिर हड़ताल हुई और हड़ताल के बाद सरकार ने उस मिल को अपने अंदर ले लिया। वह मिल कलेक्टर के अंडर है। वहां पर जितने भी लड़के बाद में इन्टर या हाईस्कूल पास मिल के अन्दर थे, उनको निकाल दिया गया। अब मिल बराबर चल रही है लेकिन एक भी लड़का नहीं लिया गया है। न मालूम क्या दबाव हुआ, जिन कारणों से लड़के नहीं लिये गये ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

श्री नन्दराम--

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जिन कारखानों में मजदूर पहले काम करते थे, आज हजारों हजारों की तादाद में मजदूर उस कारखाने को छोड़ कर चंडीगढ़ व दूसरे स्थानों पर चले गये हैं और उनकी स्त्रियां, बेवा स्त्रियां और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। बहुत सी स्त्रियां तो भूखों मरने की हालत में अपने बच्चों को बेच रही हैं। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, मुझे बहुत आशा थी कि विरोधी पक्ष की ओर से कटौती के प्रस्ताव के ऊपर कुछ अच्छी तजवीजें विचार के लिये आवेंगी लेकिन मुझे बहुत ही खेद होता है श्रीमन्, कि या तो समस्याओं की जानकारी नहीं है या उसको पेश करने की हमारे विरोध पक्ष में हिम्मत नहीं है। यह बात मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप किसी पर आक्षेप या विरोध न करें। अपनी बात स्वयं कहें। यदि कोई कुछ कहता है और दूसरा उसका जवाब देने लगे तो इससे विवाद खड़ा हो सकता है, इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि आप अपनी बात स्वयं कहें। किसी पर आपत्ति या आक्षेप करना मुनासिब नहीं है।

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव--

मैं आशा कर रहा था कि कुछ अच्छी तजवीजें मिलेंगी और हम कुछ समझेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है, हकीकत यह है कि प्रदेश के अन्दर पिछले दो वर्षों में औद्योगिक शान्ति बड़े कायदे से चल रही है। अभी हमारे मंत्री जी ने बतलाया कि पूरे देश के अन्दर दूसरे दूसरे, प्रांतों के मुकाबले में अपने प्रदेश में ज्यादा औद्योगिक शान्ति रही, ज्यादा अच्छी औद्योगिक शांति का वातावरण रहा है। मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं कि अकेला उत्तर प्रदेश है जिसने पिछले वर्ष के अन्दर मालिकों के नुमाइन्दों को जब गड़बड़ी की है, जैसे एवरेडी फ्लैश

[श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव]

लाइट कम्पनी के अन्दर गड़बड़ी की गयी, तो उन्हें (मैनेजमेन्ट के लोगों को) गिरफ्तार करने में इस मंत्रि मंडल ने संकोच नहीं किया। उनके हथकड़ियां डाल दी गयीं। यह पहला प्रदेश है जिसने इस तरीके को भी इस्तेमाल किया और औद्योगिक शांति बनाये रखने के लिये कदम बढ़ाया।

मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं कि आप देखें जो हाल इस वक्त पैदा हुआ है उसको देखते हुये औद्योगिक शांति जरूरी है। लेकिन कुछ पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग्स हैं जहां का वातावरण आज धीरे-धीरे दूषित हो रहा है। मैं मिसाल के तौर में कहना चाहता हूं कि राज्य विद्युत परिषद् के अन्दर एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो रही है। वहां इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने कुछ फैसला किया है, वेज बोर्ड ने फैसला किया है। लेकिन फैसले के आधार पर जो उनको एरियर मिलना चाहिये था आज तक उस एरियर के वितरण की व्यवस्था शासन की ओर से नहीं की गयी है। इसकी वजह से वहां एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो रही है। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस पर काबू पायें। एरियर के वितरण के बारे में सही रूप से फैसला करें। अगर फैसला नहीं होगा तो इस बात को समझ लें कि वहां पर हड़ताल जरूर होगी, इसको रोका नहीं जा सकता है।

दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं कि यह जो हमारी पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग्स हैं उनमें बोनस के कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया जाता है। मिसाल के लिये आपका ब्रिज कारपोरेशन है। 1973-74 में बोनस नहीं दिया गया और 1975 में बोनस का एलान नहीं किया गया। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बोनस ऐक्ट को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ायें। एक बात और कहना चाहता हूं इसी औद्योगिक शांति के बारे में, वह यह है कि इंडस्ट्रियल पालिसी रिज्यूलेशन के मातहत यह निर्णय लिया गया, यह फैसला लिया गया था कि वर्कर्स पार्टीसिपेशन इन मैनेजमेंट किया जायगा। आज इस उत्तर प्रदेश के अन्दर एक भी उद्योग नहीं है जिस उद्योग के अन्दर वर्कर्स पार्टीसिपेशन इन मैनेजमेंट को लागू किया गया हो। यह बड़े खेद की बात है और मैं मंत्री जी से आशा करता हूं कि कम से कम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में विशेष तरीके से वर्कर्स पार्टीसिपेशन इन मैनेजमेंट को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाये जायेंगे।

इम्प्लायमेन्ट की बात है, रोजगार दफ्तर के संबंध में एक बात कह कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जो मांग पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग्स और गवर्नमेन्ट आफिस से इम्प्लायमेन्ट दफ्तर में आती है उसके साथ एक लिस्ट भी भेज दी जाती है और इस लिस्ट के आधार पर नाम भेज दिये जाते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि सूची बनाते वक्त दफ्तर ने जो लिस्ट भेजी है उस पर ध्यान न देकर बल्कि अपने तरीके से नाम उस आफिस को भेजने चाहिये।

ट्रेनिंग के सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि काम बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन वह जो लोग ट्रेन्ड होकर निकलते हैं उनको रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में कोई विशेष रुचि नहीं ली जा रही है। सिवाय इसके कि पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग्स में जरूर यह आदेश पारित किया गया कि आई0 टी0 आई0 के लोगों को रखा जाय। लेकिन आज भी प्राइवेट सेक्टर है उनमें ट्रेन्ड लोग नहीं रखे जा रहे हैं। इसलिये मंत्री जी से कहूंगा कि शासकीय आदेश के जरिये प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बाध्य किया जाय कि वह ट्रेंड लोगों को नौकरी दें।

एक बात आयी है और सही है कि आई0 टी0 आई0 कमेटी बनायी गयी। यह फाल्स है। जो वहां के प्रिंसिपल चाहते हैं उन्हीं का एडमीशन होता है और जिनको वह चाहते हैं उनको ही स्कालरशिप मिलता है। मैं तो कहता हूं कायदे और कानून को लागू नहीं करते हैं और जो प्रिंसिपल चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं, करते हैं। मैं तो कहूंगा कि इस कमेटी को भंग कर दें।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)---

उपाध्यक्ष महोदय, आपने श्रम सेवा योजन के कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं और अपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, श्रम ही पूंजी है, श्रम ही जीवन है, श्रम ही धन है और श्रम ही देवता और भगवान। मान्यवर, श्रम और कृषि इन दोनों का आपस में बड़ा संबंध है। इस देश की आर्थिक विकास की रचना में किसान और मजदूर अर्थ व्यवस्था की गाड़ी के दो पहिये हैं और इसीलिये भारतीय जनसंघ ने कुछ दिन पहले यह घोषणा की थी कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी चाहिये। इसी बात को हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वी0 वी0 गिरि ने 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की अठारहवीं स्थापना दिवस पर इसी को दोहराते हुये दूसरे शब्दों में कहा था कि हर एक घर--एक छोटा उद्योग और हर एक भूमि लहलहाती खेती हो। यही दो आधार हैं जो कि देश और इस प्रदेश की उन्नति करने में, विकास करने में और गरीबी मिटाने के लिये सहायक होंगे।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि श्रमिक समस्याओं को हल करने के लिये औद्योगिक प्रतिष्ठानों में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिये मजदूर और सेवा योजकों से आपस में सामंजस्य और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाने के लिये श्रमिक संगठन बनाये गये हैं और उन्हीं के माध्यम से इन श्रमिकों की जो मांग और अधिकार हैं उसे पूरा कराने के प्रयास करने चाहिये। लेकिन श्रम मंत्री जी ने जितने प्रदेश के श्रमिक संगठन बने हैं उसमें इतना पक्षपात किया है कि उनमें सत्ता पक्ष के ही लोग रखे हैं। हर जिले में श्रमिक समितियां बनी हैं। बहराइच जिले में इस समिति के सदस्यों की संख्या 16 है जिनमें 14 सदस्य कांग्रेस के हैं और 2 जनसंघ के हैं। उन 14 सदस्यों में वहां के मंत्री, अध्यक्ष और विधायक हैं। मान्यवर, जरवल रोड में गन्ना मिल है। वहां दो यूनियन हैं---एक सत्ता पक्ष की समर्थित है और दूसरी श्रमिक राष्ट्रीय चीनी मिल से भारतीय मजदूर संघ सदस्य आई0 एन0 टी0 यू0 पी0 तथा 632 रा0 चीनी समर्थित हैं इसमें 150 मिल श्रमिक संघ हैं लेकिन इसमें अपने लोगों को नहीं रखा है। अपने प्रदेश में भारतीय मजदूर संघो से सम्बद्ध यूनियनों की इतनी संख्या स्थान-स्थान पर इसलिये हो जिससे कि अशांति न फैले और हड़ताल न हो। मंत्री जी इस प्रकार की व्यवस्था करें। लेकिन मंत्री जी ने इसके साथ घोर अन्याय किया है। श्रमिक-संगठन बिजली में, सूती मिलों में और कारपोरेशन में उनकी यूनियनें ज्यादा हैं, गन्ना में ज्यादा हैं लेकिन उनको मान्यता नहीं दिया।

अपने प्रदेश के अन्दर जो प्रदेश की ओर से एक आयोग श्रम राज्य पुनर्गठन आयोग बना है उसके अन्दर भारतीय मजदूर संघ को मान्यता नहीं दिया। उसके किसी सदस्य को कमेटी में शामिल नहीं किया है। कमेटी में 7 मेम्बर हैं और वह सब कांग्रेस पार्टी से सम्बन्धित हैं। जबकि न्याय के अनुसार यह करना चाहिये था कि उनके लोगों कोउसी अनुपात में रखना चाहिये था जिस अनुपात में उनकी सदस्यता है। इतना भी आपने ध्यान नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने अभी बतलाया कि वेतन बढ़ा दिया है। लेकिन बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि जितना वेतन आपने बढ़ाया वह महंगाई के मुंह में चला गया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ गया है। अब फिर से विचार करना होगा तथा 30 प्रतिशत मूल्य सूचकांक वृद्धि के आधार पर श्रमिकों की वेतन वृद्धि 301 रु0 से बढ़कर 392 रु0 करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री बाबूलाल वर्मा---

मान्यवर, दो मिनट और दे दें। अभी महत्वपूर्ण बातें कहने की रह गयी हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मूल्य सूचकांक की जो पद्धति है वह बहुत पुरानी है। होना यह चाहिए कि श्रमिक का जो पारिवारिक बजट है उसको आधार मानकर आप निर्धारित करें। ऐसा करने से ही मजदूर को न्याय मिल सकेगा।

[श्री बाबूलाल वर्मा]

एक बात आवास व्यवस्था के बारे में है। आपने 27 साल में केवल 20 प्रतिशत ही आवास व्यवस्था की है। सुझाव के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप सभी के लिए आवास व्यवस्था न कर पायें तब तक आप उनको वेतन का 20 प्रतिशत आवास मुआवजा दें। जो वृद्धा पेंशन है वह 30 रुपया देते हैं। इस महंगाई के जमाने में एक किलो आटा दो रुपये का आता है। इस तरह वह आधा पेट ही खा पायेगा। कम से कम 30 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपया कर दें और 65 वर्ष की आयु को घटाकर 50 वर्ष कर दें। आपने आई0 आई0 टी0 की बात कहीं। आपके परिवहन विभाग में जनवरी 74 से आज तक चार बार परीक्षाएं ली गयीं और इन्टरव्यू लिये गये लेकिन परिचालक के लिये जो अभ्यर्थी पास हुए थ उनमें से एक भी नहीं रखा गया। मैं ऐसा नहीं समझता कि आपके यहां जगह खाली नहीं हुई। जगह खाली हुई लेकिन जिन लोगों को रखा गया उनको राजमंगल पांडेय जी की कृपा से रखा गया। मेरा निवेदन है कि भविष्य में उनको स्थान दें जिनकी सूची बनी हुई है। इसके बाद परिवहन विभाग के बारे मे निवेदन करना चाहूंगा। जो ड्राइवर होते हैं उनको तो ओवर टाइम भत्ता देते हैं लेकिन परिचालकों को नहीं देते। उनको भी मिलना चाहिये।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं श्रम मंत्री जी द्वारा पेश किये गये अनुदान संख्या 37—श्रम एवं सेवायोजन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। गत दो वर्षों में बिजली की कटौती और उसके कारण जो लें आफ हुआ उसके बावजूद भी प्रदेश के औद्योगिक संस्थानों में शांति बनी रही इसके लिये मैं श्रम मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी और श्रम मंत्री जी को इसलिये भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गाजियाबाद में 100 शैया का अस्पताल, एक रा0 एल0 सी0 का कार्यालय, एक आई0 टी0 आई0 तथा मोबाइल्स आदि की ट्रेनिंग केन्द्र ई0 एम0 आई0 का खोलने का निर्णय लिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

धन्यवाद आप बाद में दे लीजियेगा। अपने सुझाव दें।

श्री प्यारे लाल (मेरठ)—

मैं मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। भारी रसायन एवं उर्वरक उद्योगों, श्रमजीवी व गैर श्रमजीवी पत्रकारों, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चमड़ा तथा चमड़े से निर्मित सामान, विद्युत् उद्योग, सीमेन्ट उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग आदि के लिये वेतन आयोग बैठाया गया, जो अच्छा कार्य हुआ है लेकिन इसके अलावा जो उद्योग है उनके लिये भी वेतन आयोग स्थापित किये जायं जिनसे दूसरे श्रमिकों का भी वेतन बढ़े और जीवन स्तर ऊंचे उठें। इसके अतिरिक्त होटलों में काम करने वाले, दूकानों में काम करने वाले व सभी प्रकार के प्रेसों में कार्य करने वाले मजदूरों के लिये निम्नतम वेतन तय करने हेतु मंत्री जी से वेतन आयोग बनाने की सिफारिश करता हूं और साथ ही साथ यह भी सिफारिश करता हूं कि जिस तरह से सरकारी उद्योगों में, विभागों में जो कर्मचारी काम करते हैं उनको 55 साल, 58 साल, 60 साल के बाद रिटायर होने पर पेंशन दी जाती है उसी तरह से निजी उद्योगों होटलों, दुकानों व प्रेसों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन देने की व्यवस्था की जाय। उनका भी आई0 एस0 आई0 का पैसा काटा जाय और आई0एम0 आई0 की वही सुविधा दी जाय। उनका पी0 एफ0 का पैसा काटा जाय और रिटायर होने पर जिस तरह से और संस्थान में पी0 एफ0 की धनराशि मिलती है उन्हें भी मिले। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा और फैक्टरी ऐक्ट और स्टैंडिंग आर्डर्स का पूर्णरूपेण पालन कराया जाय तो 90 प्रतिशत विवाद का खात्मा स्वतः हो जायगा और लगभग 10 प्रतिशत विवाद ही शेष रह जायेंगे।

(इस समय 3 बजकर 46 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

न फैक्टरी ऐक्ट का और न स्टैंडिंग रूल्स का पालन निजी संस्थाओं में होता है। उल्टे श्रम निरीक्षक, फैक्टरी निरीक्षक, ए0आर0सी0ओ0, आर0सी0ओ0, ए0एल0सी0, डी0एल0सी0 तथा एल0सी0 उल्टा कानून मिल मालिकों को बतलाते हैं मजदूरों का शोषण करने के लिये लिहाजा ऐसे शिक्षण शिविर खोले जायं जहां अधिकारियों व कर्मचारियों को निःस्वार्थ भाव से सेवा करने की ट्रेनिंग दी जाय। विभाग का पुनर्गठन किया जाय एसी हिदायतें तथा कानून बनाये मजदूर जब शिकायत करे और जांच के लिये जब इन्स्पेक्टर उद्योगों में जाय तो मजदूर को बुलाया जाय और उससे बात की जाय। यह नहीं कि इंस्पेक्टर मिल के दफतर में सीधा जाय, मिल मालिक अथवा प्रबन्धक से बात करे। कोका कोला पीकर तथा नजराना जेब में डाल कर वापस चला जाय और मजदूर से बात भी न करे कि उसकी शिकायत का क्या आधार है और आकर उल्टी-सीधी रिपोर्ट दे दे और मजदूर को भगवान के आसरे पर छोड़ दे। मेरा यह भी निवेदन है मंत्री जी से कि वह प्रदेश के सभी कानूनों में, नियमों में तथा धाराओं में उन बातों का समावेश कर लें जो केन्द्रीय कानूनों में अथवा नियमों में हैं। आई0 एस0 आई0 के अन्तर्गत मजदूर का पैसा कटता है लेकिन दवा लेने जाय तो अथवा बीमारी की छुट्टी लेने जाय तो उसे नजराना देना पड़ता है बिना नजराने के न उसे छुट्टी मिलती है न छुट्टी का पैसा, और न उचित दवा ही मिल पाती है। इसी तरह काम दिलाओ दफतर में जब तक नजराना नहीं दिया जाता है तब तक उसका नाम दर्ज नहीं होता है और न ही नाम मांगने पर उद्योगों व विभागों को नाम ही भेजा जाता है। लिहाजा यह नजराना प्रथा समाप्त की जाय। वर्ना यह प्रथा जड़ बनेगी और यही असंतोष व क्रांति का कारण बनेगा।

मेरा यह भी सुझाव है कि ट्रेड यूनियन का पंजीकरण गुप्त मतदान द्वारा बहुमत के आधार पर होना चाहिये। महीनों पंजीकरण के कागजात आफिस में व जिले में पड़े रहते हैं और महीनों के बाद जिले की ट्रेड यूनियन निरीक्षक निरीक्षण की तारीख देता है। कई महीने तक इस तरह कागज जिले में पड़ा रहता है। फिर कानपुर में आकर पड़ा रहता है। जब तक दो चार मर्तबा कानपुर में जाकर हाजिरी न दी जाय तब तक कागज नहीं निकल पाता है। उदाहरण के लिये मैं बतलाऊं कि गाजियाबाद हनुमान जूट मिल के तीन केसेज मजदूरों के ढाई तीन साल से पड़े हुए हैं और गजट तक नहीं हो पाया है। इससे ज्यादा निष्क्रियता की बात और क्या हो सकती है?

जहां तक गाजियाबाद की बात है लगभग 90 हजार मजदूर वहां पर हैं और 900 मकान उनके लिये बनाये गये लक्ष्य 1400 का था। जो ऊंट के मुह में जीरा के समान है अगर अधिक मकान नहीं बनाये गये तो यह रहने की समस्याश्रमिको की विकट रुपधारण कर लेगी। कम से कम 10 हजार मकान श्रमिकों के लिये बनाये जायं। सबसे बड़ा चिन्ता का विषय यह है कि 61 की जनसंख्या के आधार पर जहां 32.4 प्रतिशत काम करने वाले थे वहां 71 की जनसंख्या के आधार पर यह प्रतिशत घट कर 30.94 हो गया है। बाकी 69.06 प्रतिशत जनसंख्या निठल्ली है और यह प्रतिशत प्रतिवर्ष गिरता जा रहा है और यह बड़ा चिन्ता का विषय है अगर इस तरह से प्रतिशत गिरता गया तो 100–150 वर्षों में सौ प्रतिशत निठल्ले हो जायेंगे और कोई काम करने वाला नहीं रह जायेगा। तो माननीय मंत्री जी ऐसी योजना बनायें जिससे काम करने वालों की तादाद न घटे बल्कि वह बढ़े। इन शब्दों के साथ मैं श्रम अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री सन्त सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो–तीन बातें आपकी आज्ञा से माननीय पांडेय जी, मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि वर्कर्स की वेजेज लगाने का जो तरीका आजकल चल गया है वह सभी विभागों में इम्प्लायमेन्ट में, लेबर में–एक सा ही है। बदकिस्मती से पांडेय जी ने वर्कर्स की एक दिन की वेज ले ली और 26 से उसको मल्टिप्लाई कर लिया। यह भूल जाते हैं कि पूरे महीने की तनख्वाह उसको कितनी मिलती है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सन्त सिंह यूसुफ]

अभी कानपुर की एक टैक्सटाइल मिल के पांच हजार वर्कर्स को एक हफ्ते काम नहीं मिला। सब्स्टीट्यूट, टेम्परेरी और परमानेन्ट वर्कर तक को काम नहीं मिला। इससे बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा होती है। बड़ी झंझट में वे वर्कर्स हैं। उनको साढ़े चार सौ तनख्वाह आपने दी उसमें भी कह दिया कि मकान का किराया आदि भी उसी में लगा दिया कि साढ़े सत्तरह प्रतिशत क्या क्या होगा? इसलिये--बुनियादी तरीके पर देखा जाय तो वर्कर को कितना पैसा मिला। तो इस चीज को देखना चाहिये। मैंने कई बार कई लोगों से इस सम्बन्ध में बात की लेकिन कोई जवाब नहीं हुआ। मैंने देखा कि एक दिन की वेजेज को 26 से मल्टिप्लाई करके क्यों किया जाता है।

दूसरी चीज मंत्री जी से यह कहनी है यह ठीक है कि मैंने आंकड़े वगैरह तो देखे नहीं हैं लेकिन उन्होंने कहा हमारे प्रदेश में औद्योगिक शांति रही और स्ट्राइक कम हुई। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे इस गलतफहमी में न रहें। हालत अच्छी नहीं है। अगर जोरदार तरीके से, मजबूती के साथ आप मामले में इन्टरफियर नहीं करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो सकता है। कानपुर की एक विक्टोरिया मिल सरकार चला रही है और उसके पास पैसा नहीं है। सरकार ने जो कारपोरेशन बनाया है उसके कारण इस मिल के बन्द होने की नौबत आ गई है। लक्ष्मीरतन कौटन मिल के बारे में बहुत कोशिश की गई लेकिन पूरी मिल अभी तक नहीं चालू की गई है। उसका एक सेक्शन ही चालू है। वह मिल ऐसे आदमी की है जिसके बारे में वे भी जानते हैं। वह चलेगी इसमें मुझे सुबहा है। वर्कर्स का 50/60 लाख रुपया प्रोविडेन्ट फण्ड आदि का जमा नहीं किया है। कम्पलसरी डिडक्शन मजदूर से काट लेंगे लेकिन उसे जमा नहीं करेंगे। तो उनका पैसा कटवाने से क्या फायदा होगा। उनकी जेब से तो चला गया। हर जगह यही हालत है। इसी तरीके से तीन--चार मिलों की वहां पर हालत है। बिरला के हिन्डालको से 15 आदमी निकाल दिये गये। मेरी दिल्ली में बात इस सम्बन्ध में हुई थी लेकिन चीफ मिनिस्टर सुनने को तैयार नहीं है और वे इसकी परवाह नहीं करते। पाण्डेय जी मेरी दरख्वास्त है और मैं आभारी हूंगा अगर बड़े आदमी को जो मजदूर के खिलाफ है उसको जरा रगड़ो। जो पूंजीपति लोग हैं वह चीफ मिनिस्टर की परवाह नहीं करते।

इसी तरह से सीमेंट फैक्ट्री डाला में हुआ वहां पर एक मजदूर को गोली मार दी गई जो अस्पताल में पड़ा है और गोली मारने वाला छुट्टा घूम रहा है। तो यह देश की हालत है। मुझे 5 मिनट और दीजिये मैं बहुत कम बोलता हूं।

श्री अध्यक्ष----

दो मिनट हैं ही।

श्री सन्तसिंह यूसुफ----

पांच मिनट और दीजिये। तो मैं डाला की बात कह रहा था जो वहां पर झगड़ा हुआ और भी मिलों में ऐसा होता है तो जहां गड़बड़ियां होती हैं वहां पर आप सख्ती करें। यह जो आपने कहा हड़ताल कम हुई हैं इसका एक कारण यह भी है कि आज मजदूर परेशान हैं। स्वदेशी मिल की बात है हमने उनको समझाया। पांडेय जी ने भी दिल्ली टेलीफून किया लेकिन मालिक मानने को तैयार नहीं है जो लेबर कमिश्नर ने एडवाइस दी वह भी उन्होंने नहीं मानी। एडवांस देने की बात थी वह भी नहीं मानी मामले को पंच फैसले को देने की बात थी वह भी नहीं मानी। अगर इस मामले में आप सख्ती से काम करेंगे तो मजदूरों को मदद होगी। मालिकों के साथ जरा सख्ती करेंगे तो यह गड़बड़ नहीं होगी। जिसको आज तक कोई नहीं कर पाया है चौधरी चरण सिंह भी नहीं किये।

श्री राजमंगल पांडेय----

कहां की बात कह रहे हैं, रायबरेली को तो वहां हमने अभी आर्डर किये हैं 30 रुपया इंटरिम रिलीफ देने के लिये।

श्री सन्त सिंह यूसुफ---

अच्छा किया। देहात के जो गरीब किसान हैं उनकी मदद करेंगे और इन लोगों के साथ जो मालिक हैं सख्ती से काम करेंगे तो मामला हल हो जायेगा। नहीं तो देश में गड़बड़ी होगी। मैं आपको तीन चार सुझाव देना चाहता हूं। यह जो इतनी ज्यादा ट्रेड यूनियनें 10, 12 साल से चली आरही हैं उनको एक करें चाहे सीक्रेट बैलेट लेकर करें। कम से कम अपने जमाने में तो यह कर दें। श्री बनारसी दास भी करते-करते चले गये और हमारे चौधरी चरण सिंह भी नहीं कर पाये।

दूसरा डेली नेसेसिटी आफ लाइफ की जो चीजें हैं उसके लिये इम्पलायर से कहें कि वह हर कारखाने में कम्पलसरी दें। यह हर फैक्ट्री में दी जानी चाहिये उसके लिये दाम मुकर्रर होने चाहिये।

तीसरा मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को चिट्ठी भी लिखी थी और लेबर कमिश्नर को भी कहा क्वार्टरों के बारे में जो लेबर कालोनी हैं वहां पर एक आदमी छोड़ कर जाता है तो दूसरे आदमी से 5, 6 हजार रुपया रिश्वत लेकर चला जाता है और आज हालत यह है कि लेबर कालोनीज में 40 परसेंट अनआथोराइज्ड आदमी रहते हैं। मैंने चीफ मिनिस्टर को सुझाव दिया कि इन क्वार्टरों को वरकर्स को बेच डालो हायर-परचेज बेसिस पर इनको आप बेच दो और पैसा लेकर दूसरे क्वार्टर्स बनाओ। कानपुर के मजदूर लोग इससे बहुत परेशान हैं। मजदूरों को 6-6, 7-7 हजार रुपया देकर लोग मकानों में घुस जाते हैं। आप उनको कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि आपके डिपार्टमेन्टल इंस्पेक्टर भी करप्ट हैं, वे भी इस धंधे में मिल रहते हैं। जो व्यक्ति मजदूर को 5-6 हजार रुपया देता है, वहां इंस्पेक्टर को भी हजार-पांच सौ देता है। लेबर डिपार्टमेन्ट को भी यह मालूम है। लेबर कमिश्नर इस पर कुछ नहीं कर सकता है, सरकार को यह करना चाहिये। अन्त में इन तीन-चार सुझावों को देने के बाद में सरकार से आशा करता हूं और खासकर पान्डेय जी से मेरा मतलब है कि आप जरा मजबूत बनो और इम्पलायर से लड़ो। आज बिजली का संकट है, इस कारण मिल मालिक यह समझते हैं कि मजदूर उनके खिलाफ लड़ नहीं सकता है। इसका फायदा उठाकर वे ले-आफ पर ले-आफ करते चले जाते हैं। इसलिये आप दो-एक इम्पलायर को पकड़ कर थोड़ा रगड़ो, ताकि लोग समझें कि कोई लेबर मिनिस्टर था। उनके हाथ-पैर जोड़ने से काम नहीं चलेगा। पान्डेय जी उनके साथ थोड़ी कड़ाई कर लेंगे तो लोग समझेंगे कि पूरे कैबिनेट में एक जीता आदमी है। यदि ढुलमुल मामला चलता रहा तो आपका मामला गड़बड़ होगा।

श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। श्रम मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। जो मन्त्री जी ने बातें कही हैं, उसमें मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इस सिलसिले में अर्ज यह करना चाहता हूं कि सुरसहायगंज जो कि बीड़ी उद्योग का सबसे बड़ा केन्द्र है, जहां 72 हजार बीड़ी मजदूर काम करते हैं, उन बीड़ी मजदूरों के सिलसिले में मैंने मार्च, 74 में एक ज्ञापन श्रम मन्त्री जी को दिया था, वहां की मांगें सरकार के सामने रखी थीं। उसके बाद जुलाई में एक रिमाइन्डर भी दिया, लेकिन यह बदकिस्मती है कि इस बारे में कोई जवाब नहीं मिला। ये जो 72 हजार बीड़ी मजदूर हैं, उनके बारे में सरकार बिलकुल उदासीनता का व्यवहार कर रही है। वहां के लिये सबसे जरूरी चीज यह है कि एक लेबर वेलफेयर सेन्टर, सुरसहायगंज में जी० टी० रोड पर अवश्य और शीघ्र खोला जाए। लेबर लाज का कोई भी इन्फोर्समेंट उनके साथ नहीं होता है। गाजियाबाद, बरेली और कानपुर में हर जगह उनका पालन होता है, किन्तु जी० टी० रोड पर सुरसहायगंज पर उनका नजरेकरम नहीं हुआ है। वहां पर लेबर कालोनी भी कोई नहीं है। राज्य बीमा स्कीम का भी वहां कोई इनफोर्समेंट नहीं होता है। बजट

[श्री अनवार जमील]

स्पीच में उल्लेख किया गया है कि 70 बीमा चिकित्सालय और खोले जा रहे हैं, अतः मैं चाहूंगा कि एक गोसाईंगंज में जरूर खोला जाए। इस सिलसिले में मैं एक अर्ज और करना चाहूंगा कि फर्रुखाबाद बीड़ी मजदूर यूनियन का जो मामला है, उसको डिप्टी रजिस्ट्रार, कानपुर वर्षों से लटकाए हुए हैं। उसके चुनाव में श्री सोलंकी और तारिक अली अध्यक्ष व मंत्री डिक्लेयर किए गये हैं। लेकिन वहां से उनकी मान्यता के बारे में नहीं आया है, इसलिये करीब दो लाख रुपया मालिकान के पास रुका हुआ है। अतः मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि वह डिप्टी रजिस्ट्रार का इस ओर ध्यान दिलाएं उसके रजिस्ट्रेशन में जल्दी कराएं।

आपका जो मिनिमम वेजेज ऐक्ट है, उसका निस्तारण अफसरों के द्वारा होता है, किन्तु मेरा निवेदन है कि यह जूडिशियल अफसरों के द्वारा हो। ताकि कई कई साल तक जो केस पड़े रहते हैं, उनमें स्पीडी डिस्पोजल हो। जिससे वहां पर हजारों मजदूरों को राहत मिल सके। इसके अलावा यूनियनों का स्टैटुटरी रेकगनीशन नहीं होता है, यूनियन जो रिप्रेजन्टेटिव बाडी हैं उनको सरकार की तरफ से ताकत मिलनी चाहिये रेकगनीशन मिलना चाहिये। इस पर मन्त्री जी ध्यान दें। प्रिन्टिंग का काम फर्रुखाबाद में होता है। उनका वेजेज कम किया गया है। लेकिन बहुत कम है। उनको रिवाइज करें। बीड़ी मजदूरों के लिये इस किताब में जो 1975 में लिखा है और प्रकाशित की गयी है इस किताब में कुछ मिला नहीं। जो 1972 में रिवाइज्ड रेट्स दिये थे वे बहुत कम हैं। उनका फिर से पुनरीक्षण करें। रेट्स को फिर से तय करें क्योंकि इसमें मुनाफा बहुत ज्यादा है। बड़े बड़े कारखाने हैं। गुरसहायगंज के 8, 10 करखानेदारोंने हिन्दुस्तान से आ कर अपना काम शुरू किया है। पूरे फर्रुखाबाद में उनका काम होता है और बहुत फायदा उठा रहे हैं। इस तरफ माननीय मन्त्री जी ध्यान दें और रेट्स रिवाइज करें। इन शब्दों के साथ मैं श्रम पर बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राम प्यारे तिवारी (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार की अच्छी नीतियों से और सही नीतियों से समाज की जिन्दगी बनती है और सरकार की गलत नीतियों से समाज की जिन्दगी बिगड़ती है। मुझे श्रम मन्त्री महोदय से निवेदन करना है कि यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं जो हैं इनमें कमेटियों का जो गठन होता है सरकार की तरफ से वह पक्षपातपूर्ण होता है। उसका परिणाम यह है कि अभ्यर्थियों के चुनाव में काफी भ्रष्टाचार होता है और उसमें पक्षपात होता है। हम देखते हैं कि आज चुनाव में जिनका सोर्स होता है, जिनकी सिफारिश पहुंच पाती है, वह चुने जाते हैं, किन्तु जिनकी कोई कोशिश नहीं होती है, कोशिश का कोई सोर्स नहीं होता है वह काफी हद तक ट्रेनिंग के लिये नहीं चुने जाते।

हम सुझाव यह देना चाहते हैं कि जैसे शिक्षा विभाग में शिक्षा मन्त्री महोदय ने बी0टी0सी0 के चुनाव में मेरिट के आधार पर चुनाव की प्रणाली तय कर दी है; योग्यता के आधार पर चुनाव होता है, जब ऐसा हो गया है कि वहां इन्टरव्यू की जरूरत नहीं पड़ती केवल मार्क्सशीट के आधार पर मेरिट लिस्ट में जो आते हैं चुन लिये जाते हैं मैं श्रम मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप प्रशिक्षण संस्थाओं में यदि इसी नीति को अपनाएं तो बहुत अच्छा हो। इस बार मुझे भी आपने बनारस आई0 टी0 आई0 का सदस्य चुना है। इसमें 15 सदस्य चुने हुए हैं। जो अधिकारी कर्मचारी नहीं हैं बल्कि बाहर के लोग हैं और इन्टरव्यू लेने के लिये हैं। वह 15 लोग इन्टरव्यू नहीं लेते हैं, अपनी-अपनी पाकेट में वह कोशिश और पैरवी वाली लिस्ट ले कर आते हैं और उन्हीं को चुनवाते हैं। 10, 11 और 12 अगस्त को चुनाव था। 10 को मैं बीमार पड़ गया। नहीं गया। 11 को मैं पहुंचा। आपने अध्यक्ष ऐसे आदमी को बनाया है जो वास्तव में वहां का विधायक नहीं है। पहले परम्परा रही है कि स्थानीय विधायक उस संस्था का अध्यक्ष चुना जाता था। इस बार आपने बाबू राज बिहारी सिंह को अध्यक्ष बनाया है। इसमें आप लोगों की कोशिश यह है कि चूंकि वह हार गये हैं, आई0

टी0 आई0 का अध्यक्ष बना देने से बहुत से अपने उम्मीदवारों को घुसेड़ कर उनको अपना वोटर और कनवेंसर बनायेंगे।

यह सब नीति गलत है। मैंने 11 तारीख को अध्यक्ष श्री राजबिहारी सिंह जी से पूछा कि आपने क्या पालिसी तय की है तो उन्होंने कहा कि यह तय हुआ है कि 50 प्रतिशत मैरिट्स पर; 40 प्रतिशत सदस्यों के तथा दस प्रतिशत कर्मचारियों के अभ्यर्थी चुने जायेंगे मैंने कहा कि अगर आप यह नीति अपनाते हैं तो गरीब मारा जाता है। धनी लोगों के रिश्तेदार धनी होते हैं, अधिकारी होते हैं, इसलिये उनका सोर्स पहुंच जाता है लेकिन गरीब जिनके खाने का ठिकाना नहीं है प्रतिभा सम्पन्न हैं लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उनका कोई मुकाबला नहीं है। वह योग्य होते हुये भी चुने नहीं जाते हैं और मारे जाते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि इस देश का यह दुर्भाग्य रहा है कि यहां पर दो तरह से काम होते हैं। एक तो जिनका सोर्स होता है, जिनकी सिफारिश होती है हमारे प्रदेश में काम की कोई कीमत नहीं है। खुशामद और चापलूसी की कीमत होती है। जो मेहनत से काम करने वाले होते हैं वह पड़े रह जाते हैं और जो काम नहीं करते हैं केवल खुशामद और चापलूसी करते हैं जो डालियां लगाते हैं। वह तरक्की कर जाते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन चुनावों में क्यों नहीं शिक्षा विभाग में जिस तरह से बी0 टी0 सी0 का चुनाव होता है, उस प्रणाली को क्यों नहीं अपनाया जाता है? अगर यह अपना ली जाय तो फिर किसी कमेटी वगैरह की जरूरत नहीं रहेगी। केवल प्रिंसिपल सर्टीफिकेट वगैरा देख कर चुनाव कर सकता है, इसमें किसी शोर्स और सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने ऐसे लोगों को रख दिया है। एक तो (बहू जी) त्रिपाठी चन्द्रा जी को रख दिया है, दूसरे रामलखन जी हैं और तीसरे राजबिहारी सिंह जी हैं। यह तीनों प्रसिद्ध हैं। इसको सब भलीभांति जानते हैं। आप भी जानते हैं।

मैं 11 तारीख को गया और मैंने देखा कि अध्यक्ष, श्री राजबिहारी सिंह जी इन्टरव्यू ले रहे थे और उनके पास बराबर चिट आती जा रही थीं तथा उनसे लोग जबानी भी कहते थे। मैंने कहा कि अध्यक्ष जी यह कैसा तरीका है। इस तरह से तो अनर्थ हो जायेगा। जो पहले से प्रार्थना-पत्र देता है उसको इन्टरव्यू तक का मौका नहीं मिलता है और नये-नये लोग चिट देकर चुने जा रहे हैं। मेरे मना करने पर माननीय रामलखन जी ने कहा कि यह तो राजकाज है। मैंने कहा जैसा राजकाज आप चलाये हैं, उसे सारा उत्तर प्रदेश जानता है और मैं वहां से उठ कर चला आया। अगर आपने नीति नहीं बदली तो मैं इस्तीफा देकर अलग हो जाऊंगा। मैं इस तरह के अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। जो गरीब है वह मारा जाय और धनी लोग जो गये भी नहीं तो चुन लिये जायं। यह क्या अन्याय है? आप अगली साल के लिये शिक्षा विभाग की बी० टी० सी० के चुनाव वाली नीति अपना लीजिये। यही बात स्टाइपेंड में भी होती है। अगर आप कहीं कुछ घूस लेते हैं तो आपके चुने हुये लोग भी घूस लेंगे। आपके ये चुने हुये लोग घूस नहीं लेंगे तो क्या राजा हरिशचन्द्र बनने गये हैं। आप उसी नीति को अपनाइये जो शिक्षा विभाग में बी० टी० सी० के चुनाव में अपनाई जाती है। बी० टी० सी० की तरह योग्यता के आधार पर चुनाव होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

माननीय अध्यक्ष जी, पुरुषों में कई वर्ग होते हैं कोई नौकर है, कोई मालिक है, कोई श्रमिक है, कोई पूंजीपति है और कोई बाबू है। लेकिन स्त्रियों में एक ही वर्ग है और वह है मजदूर। हर स्त्री मजदूर है चाहे वह अफसर की पत्नी हो या बाबू की पत्नी हो और चाहे किसी मिनिस्टर की पत्नी हो। हर स्त्री अपने घर में मजदूर की तरह सबेरे से शाम तक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

काम करती है और जब तक अपने नौकरों को खाना नहीं दे देती तब तक उसके गले से भोजन नहीं निगलता। जिस श्रमिक को न कभी आकस्मिक अवकाश मिलता है, न मेडिकल अवकाश दिया जाता है और न मैटरिनटी लीव ही दी जाती है। अगर मायके जाने की बात करती है तो मियां जी रूठ जाते हैं और बिना खाना खाये ही आफिस चले जाते हैं। तो यह श्रमिक वर्ग है जिसके मुंह में जबान नहीं है। जबान के स्थान पर वह अपनी आंखों से काम लेती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने अंचल से उनको सुखा लेती है इन औरतों ने मुझे जबान बना कर मुझे यहां भेजा है। आपने बोलने का मौका दिया। हमारे श्रम मंत्री जी ने समय पर मजदूरों के लिये जो कदम उठाया है जिसकी वजह से हमारे प्रदेश में शान्ति का वातावरण जुड़ा हुआ है उसके लिये मैं मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहती हूं और उनके कार्यों की सराहना करना चाहती हूं।

मान्यवर, सारे संसार में औद्योगिक क्रान्ति हुई तो उसके साथ ही साथ मजदूरों की प्राब्लम भी जुड़ गयी, उनकी समस्यायें भी उठ खड़ी हुई। जब सूर्य उदय होता है तो छाया भी आती है। जैसे-जैसे औद्योगिक क्रान्ति बढ़ती गयी वैसे मजदूरों की समस्यायें भी बढ़ती चली गयीं। समय समय जो समस्यायें उत्पन्न हुई उनको दूर करने के लिये कोशिश भी की गयी। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं बी0 एल0 डी0 और जनसंघ के भाइयों से। मैं आपके माध्यम से यह कह देना चाहती हूं कि इस सरकार ने श्रमिकों के लिये बहुत ही क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कह देना चाहती हूं कि हमारे देश में जो पूंजीवाद की जो व्यवस्था है, जब तक हमारे देश से टाटा, बिड़ला और डालमिया हैं तब तक श्रमिकों की समस्यायें हल नहीं हो सकती हैं। मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से मांग करती हूं कि इन पूंजीपतियों को समाप्त कर दिया जाय। क्या आप मेरी मांग के साथ अपनी मांग मिलाकर कहेंगे कि हम को सुगर इन्डस्ट्री को, काटेज इन्डस्ट्री को, हम को अन्य इन्डस्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण तुरन्त करना चाहिये। बड़े अफसोस की बात है जब भी हमारे मंत्रीगण पूंजीवाद को खत्म करने के लिये समाजवाद की ओर कोई कदम बढ़ाते हैं तो आप उसमें रुकावट डालते हैं। आप हमारे कदम को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। अगर आप श्रमिकों के वास्तव में हितैषी हैं, और आप उनकी आवाज उठाना चाहते हैं तो जितने भी यहां पर पूंजीपति हैं, तस्कर लोग हैं, जमाखोर हैं, उन सब को समाप्त कर देना चाहिये।

हमारे मंत्री जी ने चूड़ी, कांच शीशे और बीड़ी आदि उद्योगों में लगे मजदूरों की दरों का रिवीजन किया और मिनिमम दरें निश्चित की हैं, लेकिन जो मजदूर चिकन का काम करने वाले हैं और खास कर हमारे शहर लखनऊ में जो स्त्रियां चिकन का काम करने वाली हैं, जो अपनी आंखों के डोरे से चिकन के फूल काढ़ती हैं, और जिन्हें पहन कर हमारे पुरुष भाई बड़ी शान से हजरतगंज और अमीनाबाद की सैर करते और पान वालों की दुकान पर पान खा-खा कर टहलते हैं और जिनके कारण दुनिया भर में चिकन का कपड़ा भेजा जाता है, और जिससे फारेन एक्सचेन्ज भी उपलब्ध होता है, उनकी मजदूरी की दरें भी निश्चित होनी चाहिये। आज उनको दिन भर काम करने से बाद एक महीने में 15 रुपये से ज्यादा नहीं मिल पाता है। मेरी पुनः प्रार्थना कि जिन स्त्रियों के कारण हम आज विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं, उनकी मजदूरी की ओर भी हमारे मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये।

जहां तक आई0 आई0 टी0 और जी0 आई0 टी0 का सम्बन्ध है जो हमारे नौजवान हैं, जिनको इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जा रही है, उनके बारे में मेरा सुझाव है कि जिन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनके लिये हमारे इन्डस्ट्रियल डिपार्टमेन्ट में, जहां पर बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं, जैसे स्कूटर्स या ट्रेक्टर्स के कारखाने हैं, या जहां पर शिप्स वगैरह बनाये जाते हैं, वहां पर उनको खपाया जाय। मेरा सुझाव है कि जिस ट्रेड में वे लड़के पढ़कर निकलते हैं,

उसी में उनको लगाना चाहिये। आज हो क्या रहा है? हर जगह डुप्लीकेशन हो रहा है। अगर कोई ट्रेक्टर्स की कम्पनी है, तो वहा पर उन्हीं लोगों को रक्खा जाता है जो वहां पर ट्रेन्ड होते हैं। कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। मेरा सुझाव है कि हमारे जो ऐसे इन्स-टीट्यूशन्स है, और जो कारखाने हैं, उनमें प्रापर कोआर्डिनेशन होना चाहिये ताकि लड़के जो ट्रेनिंग करके निकलते हैं, उनकी तुरन्त खपत हो जाय।

मैं अपने नौजवानों से भी प्रार्थना करती हूं कि उनमें इनीशिएटिव होना चाहिये। हर समय सरकार के मुंह की ओर नहीं ताकना चाहिये कि हमको नौकरी मिले, यह नहीं होना चाहिये। मैं पंजाब की बात बताती हूं कि अगर वहां पर कोई लड़की वाला उसके लिये लड़का तलाश करता है तो मां यह कहती है कि मुझे नौकर नहीं चाहिये, मुझे तो वह लड़का चाहिये जो अपना बिजिनेस करता हो। यह कहा गया कि आई0 टी0 आई0 और जी0 आई0 टी0 आई0 में रिश्वत ली जाती है, यह चीज गलत है। आई0 टी0 आई0 और जी0 आई0 टी0 आई0 में कमेटियां बनी हुई हैं जिनके मेम्बर प्रिन्सिपल से मिल कर लड़कों की योग्यता व क्षमता और पार्टी को देख कर उनका ऐडमिशिन करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठें, आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बाबा रामनाथ जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी ने एक डींग हांकी है कि पिछले दो-तीन सालों में और खासकर पिछले साल इस प्रदेश में इण्डस्ट्रियल शान्ति रही। उसके लिये माननीय सदस्यों ने उनको धन्यवाद दिया है। मैं ऐसा समझता हूं कि कभी-कभी माननीय मंत्री जी गृह मंत्री का भी काम करते हैं और इनकी पुलिस और इनकी मैजिस्ट्रेसी ने जगह-जगह इस प्रदेश में मजदूर आन्दोलन को खत्म करने का, उनको डिस्करेज करने का और उनको डिमारलाइज करने का काम किया है। उदाहरण के लिये गृह मंत्री ने एक बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में कोई सैबोटाज की घटना नहीं हुई और केन्द्रीय स्वर्गीय रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र जी का एक आदेश था कि जिस प्रदेश में किसी वर्ष कोई वायलेन्स या सैबोटाज की घटना न घटी हो वहां पर मजदूरों पर कोई मुकदमे न चलाये जायं। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री के इस वक्तव्य के बाद भी आज इस प्रदेश में हजारों मजदूरों पर मुकदमे चल रहे हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भूतपूर्व केन्द्रीय रेल मंत्री, श्री ललित नारायण मिश्र के आश्वासन को ध्यान में रख कर मजदूरों पर जो मुकदमें इस प्रदेश में चल रहे हैं, वह वापस लें।

एक सिद्धान्त है कि लोकल एम्प्लायमेन्ट किया जायगा। हमारे यहां स्कूटर्स इंडिया है, एफ0 सी0 आई0, गोरखपुर है। इनमें उत्तर प्रदेश के एक्सपर्ट्स और इन्जीनियर को अवसर नहीं दिया जा रहा है बल्कि बाहर के लोगों को अवसर दिया जा रहा है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह स्थानीय लोगों को जो एक्सपर्ट हैं; उनको लें।

एक सुझाव मेरा और है। वर्कर्स पार्टीसिपेशन और एक यूनियन का जो सिद्धान्त है यह बड़ा पुराना है और उचित है। अभी माननीय सदस्या ने कहा कि टाटा, बिड़ला और डालमिया जब तक रहेंगे मजदूरों का हित होने वाला नहीं है। जब तक आप टाटा, बिड़ला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

और डालमिया को पालते रहेंगे तबतक मजदूरों का हित कैसे हो सकता है। अगर वास्तव में आप समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं तो आपको टाटा, बिड़ला, डालमिया से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, चुनाव में उनसे पैसा लेना बन्द करना पड़ेगा, उनकी खुशामद करनी बन्द करनी पड़ेगी तभी मजदूरों का भला हो सकता है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी मेरे इन दो, तीन सुझावों पर ध्यान देंगे।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, समय ज्यादा आवश्यक था परन्तु जब दो ही मिनट का टाइम है तो मैं केवल सूत्रों में ही अपनी बात कह दूंगा। सब से पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरी यह निश्चित राय है कि इस सरकार के पास कोई श्रम नीति है ही नहीं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

बेशर्म हैं।

श्री मधुकर दिघे—

इस हद तक मैं नहीं जाऊंगा। इनका सारा मामला वक्ती है, इस बुनियाद पर नहीं है कि हमको क्या लक्ष्य रखना और हासिल करना है। यह इसी दृष्टि के न होने का नतीजा है कि जब हमारी ईमानदार महिला खड़ी हो जाती है, बोलती है और बोलने के लिये तो कहती हैं कि बिड़ला और टाटा को खत्म होना चाहिये। लेकिन मेरा कहना तो यह है कि अगर यह कांग्रेस पार्टी खत्म कर दी जाय तो यह टाटा और बिड़ला अपने आप खत्म हो जायेंगे इस देश में पूंजीपति आज इसीलिये टिका हुआ है क्योंकि इस देश में 27 वर्षों से कांग्रेस पार्टी इस देश की छाती पर तन कर बैठी हुई है। हमारे यूसुफ साहब ने पूंजीपतियों को जो हथकड़ी लगाने की बात कही है, वह कैसे लगा देंगे? कानपुर लक्ष्मीरतन काटन मिल्स पर प्राविडेन्ट फंड आदि का लाखों रुपया बकाया है, मगर उनके हथकड़ी लगाने का दम इस सरकार में नहीं है। वह तो इनके गुडबुक में है। फिर टाटा और बिड़ला के हथकड़ी लगाना तो नामुमकिन है।

श्री राजमंगल पांडेय—

माननीय दिघे साहब ने कहा कि हमारी कोई श्रम नीति नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं यदि हमारी श्रम नीति नहीं है तो हमने जिस तरह से गोरखपुर में जो एक हेल्थ सेन्टर को चला रहे थे उनको मजदूरों के पक्ष में किस तरह से मजबूर किया, और हम वह न करते तो मजदूरों की क्या दुर्दशा होती?

श्री मधुकर दिघे—

मैंने इसीलिये आधा वाक्य नहीं कहा, ...

श्री अध्यक्ष—

आप (श्री मधुकर दिघे से) अपने को भाग्यवान समझें कि मंत्री जी आपसे प्रश्न कर रहे हैं। (हंसी—व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे—

मैं तो मंत्री जी से स्पष्ट कह रहा हूं कि उनकी कोई श्रमनीति नहीं है। मजदूरों के संबंध में आपकी ह्विम्जीकल एप्रोच है। (व्यवधान) मैं यह मानता हूं कि माननीय राजमंगल पांडेय जी में क्षमता है, मगर वह उस जगह बैठने से कुंठित हो गयी है क्योंकि उनके सरकार की कोई लेबर पालिसी है ही नहीं? हमारे जैसे लोगों के साथ यदि पांडेय जी बैठ जायें तो वे बहुत कुछ काम मजदूरों के लिये कर सकते हैं।

मान्यवर, सरकार कहती है, "बड़ी शान्ति है", मरघट की सी शान्ति अवश्य है, पर है कैसे ? बिजली न मिलने के कारण जब काम लोगों को मिल ही नहीं रहा है, तो शान्ति तो रहेगी ही। अगर आप शान्ति से सोचेंगे तो आपकी समझ में आयेगा कि शान्ति क्यों है ?

इनका कहना है बूढ़ों और विधवाओं को पेन्शन दी जाती है। मैं गोरखपुर की विधवा का किस्सा सुनाता हूं। वर्षों से वह लगातार चिट्ठी लिख रही है और जब एक वर्ष पूरा हो जाता है तब उसको 2-3 महीने की पेन्शन का पैसा मिल जाता है। कारण क्या है ? कारण यही है कि सरकार की कोई नीति नहीं है। यह सरकार बनेगी समाजवादी और काम करेगी पूंजीवादी। इस सरकार की कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। इनकी कथनी और करनी दोनों में बड़ा फर्क है। कहेगी अपने को यह मजदूरों की सरकार, मगर पैसा लेगी चुनाव के लिये पूंजीपतियों से। पूंजीपतियों की दोस्त यह सरकार पिछले दरवाजे से बनी रहती है। आज बहुत से लोग जैसे हमारे माननीय काशीनाथ मिश्र जी हैं, रामायण राय जी हैं, हमारी बहिन जी हैं, वे कुछ भुलावे में फंस गये हैं, मगर वे सब कहते आज भी यही हैं कि सरकार की यह गलती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो यह रोग है इसको आप देखें। छोटे-छोटे कानून आप बहुत बनाते हैं क्योंकि आपको इसको खुश करना है, समाजवादी नकल करना है। इसलिये आपने मिनिमम वेजेज ऐक्ट बना तो दिया, लेकिन उसका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं करा सके जिससे कोई भी मिनिमम वेज नहीं पाता है।

सिनेमा एक ऐसा उद्योग नहीं है जिसे बन्द कर दिया जाय तो हिन्दुस्तान का नुकसान हो जाय। मैं आपको बतलाऊं कि गोरखपुर में सिनेमा में काम करने वाले मजदूरों के लिये मिनिमम वेज ऐक्ट लागू कर दिया है लेकिन वह किसी को भी 30 रुपये से ज्यादा देते नहीं हैं। आपने कानून बना दिया है कि रजिस्टर में हाजिरी लिखी जाय लेकिन वह लिखते नहीं हैं। कानून बना हुआ है लेकिन होता कुछ नहीं है क्योंकि उसके इम्प्लीमेन्टेशन करने के जो सारे तरीके हैं, समाजवादी ? इम्प्लीमेन्टेशन के तरीके अपनाये हैं। इसलिये मैं ज्यादा लंबा न करते हुए सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि पांडेय जी अपने बुद्धी के कहने पर अच्छा काम करते हैं इसमें कोई शक नहीं लेकिन जो चीज देते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। आपकी लेबर कांसोलिडेशन मशीनरी है, लोगों का हजारों-हजारों रुपया बकाया है, उनको दिलाने का काम भी आपकी मशीनरी नहीं कर रही है। कुछ कानून में भी कमी है, कुछ उनके अधिकारों में भी कमी है। मैं विस्तार में नहीं कहना चाहता हूं। आपका लेबर कोर्ट है जिसके लिये आपने प्रिसाइडिंग आफिसर बना दिया। एक बार मैंने स्टैंडिंग कमेटी में भी निवेदन किया था कि जिस तरह नियुक्ति होती है उन पर आप पुनर्विचार करें और सरकार इसका पुनः पुनर्गठन करे।

यूनियन के रजिस्ट्रेशन और रिकगनीशन, मान्यता का मामला बहुत पुराना है। यूसुफ साहब ने उस तरफ इशारा किया था कि सबसे बड़ा रोग आई० एन० टी० यू० सी० है। मजदूरों के हित के नाम पर सरकार उसकी मदद करती है। मेरा कहना तो यह है कि चाहे सरकारी यूनियन हो या कोई भी यूनियन हो जो मजदूरों का सही रिप्रेजेंटेशन करती हो उसकी मदद करनी चाहिये। लेकिन यहां जानबूझ कर जबरदस्ती मजदूरों की मर्जी के खिलाफ ऐसी यूनियनों को रिप्रेजेन्टेशन देने का अधिकार दिया गया है। अगर आप में थोड़ी भी ईमानदारी है और हिम्मत है तो डेमोक्रेटिक तरीके से वोट डलवाइये, सिक्रेट बैलेट डलवाइये और जिस यूनियन को मजदूर मान्यता दें उसको रिप्रेजेंटेटिव यूनियन बना दिया जाय, तब मैं समझूंगा कि यकीनन आप मजदूरों का हित करना चाहते हैं। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आप यह कर पायेंगे। ऐसा करें तो आसानी भी हो जाय लेकिन यदि आप ऐसा कर देंगे तो कांग्रेस पार्टी के लोग ही आपके खिलाफ खर्रा लिख कर श्रीमती इन्दिरा जी के पास पहुंचा देंगे और आपकी मिनिस्टरी भी गायब हो जायेगी। इतनी बात कहते हुए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर मौका मिलता और सारी चीजों की विषद विवेचना करने का समय होता तो हमारी बहन जी,

[श्री मधुकर दिघे]

श्री रामायण राय जी, श्री काशीनाथ मिश्र जी केवल मेरे साथ ही नहीं होते आपकी लेबर पालिसी के आलोचक ही नहीं बल्कि कट्टर विरोधी हो जाते । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और बाबा रामनाथ जी ने जो बातें कही हैं उन सब बातों का भी समर्थन करता हूं ।

*बाबा रामनाथ----

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से एक बात अवश्य कहूंगा कि ट्रिपार्टाइट कमेटी का एक फैसला हुआ लेकिन अभी तक उसके अनुसार रायबरेली के स्वदेशी कॉटन मिल के मजदूरों को वेजेज नहीं मिल रहा है । वहां के मैनेजमेन्ट ने ट्रिपार्टाइट कमेटी के फैसल का उल्लंघन किया है और उसको मान नहीं रहा है । ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि उस फैसले को लागू कराया जाय, चूंकि वह फैसला आपके जरिये हुआ है । वह कमेटी ऐसी है । मान्यवर, चाहे टेक्स्टाइल मिल कानपुर की हो और चाहे गाजियाबाद की हो जहां भी हो । जो भी वेतन और महंगाई भत्ता हो उसके अन्दर एक समानता होनी चाहिये । देखा यह गया है कि जो टेक्टाइल मिल कानपुर में है वहां के जो कर्मचारी हैं या मजदूर हैं उनको वेतन और महंगाई भत्ता दूसरा मिलता है और जो गाजियाबाद टेक्सटाइल मजदूर के कर्मचारी हैं, उनको वेतन और महंगाई भत्ता दूसरा दिया जाता है । ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि जो भी मिल एक तरह का काम करती हों उनके अन्दर जो कर्मचारी हैं या मजदूर हैं उनके वेजेज में अन्तर न होकर वह एक समान होने चाहिये ।

दूसरी बात लेबर ऐक्ट के मुताबिक मैंने इशारा किया है । जो ठेकेदार होते हैं गरीब महिलाओं का या उसमें जो काम करने वाले मजदूर हैं या जो ऐसे लोग हैं जो कारखानों में काम करते हैं उनका शोषण करते हैं । इन लोगों को स्थायी घोषित किया जाय । एक विडम्बना यह है कि किन्हीं किन्ही मिलों में, हमारे यहां मैनपुरी में राइस मिल में मजदूर 8--10 साल से काम कर रहे हैं लेकिन परमानेंट घोषित नहीं हुये हैं । ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि कोई अवधि निश्चित कर दी जानी चाहिये कि इतने समय बाद मजदूर को परमानेन्ट घोषित कर दिया जायगा । आप यह फैसला करें कि कम से कम जो मजदूर 10 साल से काम कर रहा है उसको परमानेंट घोषित कर दिया जाय । होता यह है कि न तो मजदूर की हाजिरी का कोई रजिस्टर होता है और न कोई मस्टर रोल होता है । जब चाहे मजदूर को हटा दिया जाता है । तो इस तरह से मैं समझता हूं कि मजदूरों का शोषण किया जाता है ।

आपके जितने भी ऐक्ट्स हैं चाहे आपका मिनिमम वेजेज ऐक्ट हो, चाहे वर्क्स मैन कम्पेनशेसन ऐक्ट हो और चाहे फैक्टरी ऐक्ट हो और चाहे वेज बोर्ड की सिफारिशें हों अगर ईमानदारी से उनको लागू करने की कोशिश नहीं की जायगी तो जैसा हमारे साथियों और माननीय सदस्यों ने कहा है इन ऐक्टों का कोई फायदा नहीं होगा । अगर आप चाहते हैं कि उनको सुविधा मिले तो आपकी जो वेज पालिसी है उसको पूरे उत्तर प्रदेश मे समान रूप से समान कार्य के लिये लागू करें । मजदूरों के लिये एक ही पालिसी होनी चाहिये । जो मजदूर खानों में काम करते हैं उनको जबर्दस्त मेहनत करनी पड़ती है । लेकिन उनको 3.5 रुपये मजदूरी मिलती है । इसी के साथ आपके कुशल और अकुशल मजदूर हैं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अकुशल मजदूर को भी इतना पारिश्रमिक अवश्य देना चाहिये जिससे उसका पेट भर सके । जैसी मंहगाई है उसके हिसाब से आपका कानून होना चाहिये और जो आपके मजदूर हैं चाहे वह कारखानों में काम करते हों चाहे खेतिहर मजदूर हों या कहीं भी मजदूरी करते हों उनका वेतन आपको निश्चित करना पड़ेगा । ऐसे लोग जो फिजिकल लेबर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करते हैं उनको मेरा कहना है कि इतना वेतन अवश्य मिलना चाहिये जिससे उनका पेट भर सके इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, और सब चीजों का उत्तर मैं बाद में दूंगा मैं पहले दिघे जी से शुरू करता हूं कि हमारी श्रम नीति क्या है। श्रम नीति का मान्यवर, उदाहरण 1974 में जब चुनाव हुये थे उसी वक्त मिल गया था। कानपुर एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा मजदूर हैं और श्रमिक हैं। वहां की 6 सीटों में से 6 सीटें मिलीं। सन्त सिंह यूसुफ जी चले गये हैं जो स्वतः गवाही देंगे। तो मान्यवर, यह स्वतः इस बात का सबूत है कि हमारी श्रम नीति क्या है और श्रमिक चाहे वह आई0 एन0 टी0 यू0 सी0 से बिलांग करता हो या किसी और ग्रुप से बिलांग करता हो उन्होंने महसूस किया है कि सरकार ने उनके लिये कुछ किया है। मुझे यह घोषणा करने में संकोच नहीं होगा कि हमारी श्रम नीति श्रम के पक्ष में है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक शर्त है कि श्रमिक अपनी जायज मांगों के लिये स्वतः हड़ताल का सहारा न लेकर पहले सरकार से बातचीत करके उसकी रीजनेबिलनेस को, जो मांगों का तर्क है उसको साबित कर दें तो सरकार जोभी उनकी मांगें हैं उनके लिये सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी और सरकार ने किया है।

सरकार ने शर्त रखी है कि उत्पादन हानि किये बिना आपकी जो उचित मांगे हैं सरकार की सारी शक्ति श्रमिकों के साथ है। अगर ऐसा न होता तो जो हमारी लखनऊ की एवरेडी फ्लेश लाइट कम्पनी है जो अरबपतियों की कम्पनी है वहां के मैनेजमेंट को हमने जेल में न डाला होता, हथकड़ियां लगाने में संकोच किया होता। इतना ही नहीं आज श्रमिक हाईकोर्ट से मुकदमा हार चुके हैं लेकिन हारने के बावजूद उनको इन्सेन्टिव बोनस और डी0 ए0 दिया गया है। 15 आदमियों को हार जाने के बाद भी काम पर लिया गया है। यह हमारी श्रमिक नीति है। 100 प्रतिशत रेजल्ट तो इसका माननीय दिघे जी के क्षेत्र में है। मोदी के बारे में माननीय दिघे जी ने शिकायत की तो उस तरफ बैठने के बावजूद भी उनमें इतनी ईमानदारी बरती है कि वह इस बातको मानेंगे कि हमने कहा था कि मोदी को जेल भेजने में हिचकिचाहट नहीं होगी और उन्होंने फिर सब को काम पर वापस लिया।

इसी तरह मान्यवर, 28 लाख रुपये पिपराइच पर बकाया था लेकिन काश्तकारों को ध्यान में रखकर फैक्ट्री को इसी सरकार ने चलाया था जबकि फैक्ट्री बन्द हो गयी थी। इसके लिये माननीय दिघे जी ने इस सरकार की प्रशंसा किया। तो मेरी समझ में नहीं आता कि सदन के बाहर प्रशंसा करें और सदन के अन्दर आक्षेप करते हैं।

मान्यवर, सरकार पर आरोप किया गया मकानों के आवंटन पर। तो जब मैं राज्य मंत्री था उस वक्त मैंने तय किया था कि जितने ट्रेसपासर हैं और जितने अनएथोराइज्ड घुस गये हैं उनको निकाला जाय। जब निकालने की बात आयी तो उधर के लोगों ने कहा कि श्रमिकों के नाम पर उनको न निकाला जाय। तो मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो दबाव डालते हैं कि उनको न निकाला जाय और दूसरी तरफ आरोप भी लगाते हैं। जो श्रमिक रिटायर हो जाते हैं और दूसरे को मकान में बैठा जाते हैं तो उनके लिये सरकार पर दबाव डालते हैं कि न निकाला जाय। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ऐसी स्थिति में क्या करे।

मान्यवर, बनारस के सदस्य ने कहा कि बी0 टी0 सी0 की तरफ से चुनाव हों। आज जब नकल की प्रथा इतनी तेज हो गयी है जो कि लाइलाज हो गयी है और फर्स्ट क्लास लेने वाले मौजूद हैं। तो मैं क्या सोचूं कि वह जेनूइन हैं या नकल पर हैं। इसलिये उसका कोई आधार नहीं बनाया जा सकता है। यह पी0 सी0 एस0, जुडिशीयरी या आई0 पी0 एस0 तक मार्कशीट पर किये जा सकते थे लेकिन नकल पर चाकू और तमंचे पर पास हो

[श्री राज मंगल पाण्डेय]

रहे हैं और इनवेजिलेशन ठीक से नहीं होने दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाय। इस तरह इस समस्या का हल नहीं हो सकता है।

मान्यवर, संत सिंह यूसुफ जी ने एक बात कही लेकिन वह चले गये हैं। टैक्सटाइल मिल थी जो गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ने लिया उसमें 51 प्रतिशत शेयर भारत सरकार का और 49 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार का था। नियम बना 1971 में कि लेने के पहले जो बकाए की धनराशि होगी उसकी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी केवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी। इस मिल पर बकाया था इसलिए सरकार ने लिया था तो इससे श्रमिकों का हित हुआ।

इसी तरीके से लक्ष्मी रतन मिल के बारे में अपनी शक्तियों का प्रयोग करके यह प्रयत्न सरकार ने किया कि जो मजदूर बेकार थे उनको लेना पड़ेगा जब तक कि स्वयं कर्मचारी न छोड़े। इससे वहां का कर्मचारी खुश है। तो हमारी श्रम नीति तो सबके सामने स्पष्ट है। इसी का नतीजा है कि जहां-जहां फैक्टरीज में हड़ताल हुई वह एक या दो घंटे के लिये हुई या अगर चली भी तो एक दो दिन में समाप्त हो गयी क्योंकि उनको मालूम है कि यह सरकार अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी और नहीं ऐसे काम का समर्थ न करेगी जो उत्पादन घटाने वाला हो। हां, सरकार उनको सारी सुविधायें तभी देगी जब कि उनमें अनुशासनहीनता न हो और उत्पादन कम न हो। मुख्य मन्त्री जो स्वयं एक ट्रेड यूनियनिस्ट रहे हैं और उस रास्ते से गुजर कर ही उस उच्च मंजिल तक पहुंचे हैं तो उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह श्रमिकों की उपेक्षा करेंगे। और भी कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं यहां रखना चाहूंगा।

हमने एक कमेटी जिलाधिकारी के सभापतित्व में बना दी है कि जो रिट्रेन्च्ड इम्प्लाइज हैं या जिले में कहीं भी और काम है और भरती करनी है तो जिलाधिकारी इस कमेटी के माध्यम से करेगा। इससे साथ ही साथ आई0 आई0 टी0 के भ्रष्टाचार की बात कही गयी। हमारे एक मित्र बरेली के हैं उन्होंने कहा कि कमेटी ने जो चाहा वह नहीं माना। अगर प्रिन्सपल इतना मजबूत है तो मैं उस कमेटी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। जब एक पब्लिकमैन चेयरमैन चुना गया हो तो यह रेफलेक्शन सरकार पर न होकर उस सभापति पर होता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो निर्देश दिए हैं उनके विपरीत अगर कमेटी काम करती है तो प्रिन्सपल को अधिकार है कि उसके सामने गलत काम न हो। अगर कोई गलत काम होता है तो उसका भी उत्तरदायित्व होता है। अभी ई0 एस0 आई0 स्कीम के अन्दर पांच करोड़ रुपया मांगा है और उम्मीद है कि वह मिल जायगा और फिर इससे श्रमिकों की जो सेवा हम करना चाहते हैं वह कर सकेंगे। यह सही बात है कि आज भी आर्थिक स्थिति के गड़बड़ाने की वजह से हम श्रमिकों की जो सेवा करना चाहते हैं वह नहीं कर पा रहे हैं. इसका मुझे दुःख है।

बड़े-बड़े शहरों में जहां तक मुझे याद है कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत पांच-100 शैय्या वाले अस्पताल, 6-पचास शय्याओं वाली डिस्पेन्सरियां तथा आठ-24 शैय्याओं वाली एनेक्सी के निर्माण का कार्य आरम्भ किया जा रहा है। इन अस्पतालों और डिस्पेन्सरियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा से लगभग 5 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त होने की आशा है। इसी तरह के वृद्धावस्था पेन्शन की बात कही गयी। जो 30 रुपया दे रहे हैं कम है। सरकार इस तरफ जागरूक है और अगर हमारे फाइनेन्सेज ठीक होंगे तो कुछ न कुछ कार्यवाही करेंगे। जहां तक 65 से 60 वर्ष आयु करने की बात है जो हमारे लिए यह निर्णय लेना सम्भव नहीं है इतनी तादाद हो जाएगी कि मौजूदा आर्थिक स्थिति में उसको सम्भालना मुश्किल होगा जहां तक श्रमिकों के लिए मकान की व्यवस्था करने की बात थी, श्रमिकों के आवास की सुविधा की दृष्टि से हमने औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत 17 नगरों में साफ सुथरे वातावरण में श्रमिक बस्तियों का निर्माण किया है, जिनमें से दिनांक 31 दिसम्बर, 1974 तक 29,935 गृहों का निर्माण कराया जा चुका है और 568 गृहों का निर्माण कार्य चल रहा है।

श्री मधुकर दिघे--

नैनी 1963 से पी0 ए0 सी0 को दी हुई है।

श्री राजमंगल पांडेय--

उसके बारे में मुख्य मन्त्री जी ने बहुत पहले आदेश दे दिए हैं और आल्टरनेटिव जगह की तलाश है। जैसे ही आल्टरनेटिव जगह मिल जायगी इस सम्बन्ध में कार्यवाही हो जाएगी। गृह निर्माण के लिए अगर और धन मिल गया तो हमारे लिए और भी कुछ करना सम्भव हो सकेगा। मान्यवर, इसके साथ ही साथ कुछ और बातें कहीं गई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के फिटमेंट के केसेज थे। उनका असेसमेंट हो रहा है और करीब 18 करोड़ रुपये के धन की देने की बात थी। इन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स को 30 रुपया अन्तरिम रिलीफ दिया गया जिसकी धनराशि करीब एक करोड़ रुपए होती थी। इसके साथ ही करीब 15-16 करोड़ रुपए के करीब भी उनको देना था। मैंने इस बात का निवेदन किया है कि जो रुपया उन्हें पाना है अगर सरकार की बचत स्कीम में जमा कर देंगे तो कुछ समय के बाद सूद के साथ मिल जाएगा और हमारी वित्तीय स्थिति जो खराब चल रही है, हम सम्भालने में कामयाब हो जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आज उनके सहयोग से जो औद्योगिक शान्ति बनी हुई है, हालांकि दबी जबान में उन्होंने कबूल भी किया जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं, वह सहयोग मुझे देते रहेंगे ताकि अगर एकआध कहीं अगर गड़बड़ भी है तो उसे दूर करने में सहायता मिल सके। मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव वापस भी लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आपने श्रीमती बख्शी की बातों का उत्तर तो दिया नहीं ?

(हंसी)

श्री सन्तसिंह यूसुफ--

जो क्वार्टरों का झगड़ा चल रहा है उसे आप ठीक कर दें। इससे झंझट बचेगा, करप्शन बचेगा .....

श्री राजमंगल पांडेय--

यहां पर लेबर लीडर्स मौजूद हैं उधर भी और इधर भी। मुझे इस सम्मानित सदन में रत्ती भर भी यह घोषणा करने में संकोच नहीं होगा कि आप एक समिति बना दें उन लोगों की और जो भी नीति वह निर्धारित कर देंगे जिसकी वजह से जो अनअथोराइज्ड श्रमिक वहां हैं, उनको निकालने में यह समिति सहयोग प्रदान करें ताकि पूरी शक्ति लगाकर उनको हटाया जा सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरे लिए यह असम्भव कार्य होगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

आप समिति बनावें, हमारा समर्थन रहेगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37--के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37--श्रम एवं सेवायोजन के अन्तर्गत होनेवाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक

[श्री अध्यक्ष]

धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,41,35,500 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 51 के अन्तर्गत 5 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक तो श्री श्रीनारायण जी ने मानपुर स्थित डी0 जी0 कालेज तथा डी0 ए0 वी0 कालेज के कुछ अध्यापकों को अकारण सेवामुक्त कर देने तथा कुछ को नियम विरुद्ध पदावनति करने से अध्यापकों में असंतोष। माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया कि वह सरकारी कालेज है या नहीं। जो कालेज बताए हैं वह निजी प्रबन्ध के अन्तर्गत हैं। उनकी जिम्मेदारी शासन पर सीधे नहीं है। कार्यवाही के लिए यह विषय भेजा जा सकता है।

एक सदस्य--

मान्यवर, एक विशेष सूचना मैं आपको देना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है....

श्री अध्यक्ष--

पहले आप मेरी बात सुन लें। कृपा करके बैठ जायं।

दूसरी सूचना श्री मोहन लाल कपूर ने दी है जो दिनांक 5 अप्रैल, 1975 को मेरठ स्थित देवनागरी इन्टर कालेज परीक्षा केन्द्र पर कुछ गुन्डों द्वारा, एक अध्यापक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता पर, नकल कराने के प्रयास को रोकने पर, आक्रमण के सम्बन्ध में है।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

मैंने पहले भी कहा था कि कानपुर, फैजाबाद, लखनऊ में यह सब हुआ है। परीक्षाएं चल रही हैं। निरीक्षक जो हैं उनकी सुरक्षा का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

सब मिला जुला कर के वक्तव्य रख दिया जायगा।

श्री मोहन लाल कपूर--

उस दिन भी आपने रिजेक्ट कर दिया था। यह ताजी बात है। हड्डी टूट गयी। अध्यापकों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। परीक्षकों के जीवन की सुरक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए। पुलिस गुन्डों के साथ मिल गयी है और उसमें उनको परीक्षा हाल में जाने दिया।

श्री अध्यक्ष--

और घटनाओं को छोड़ कर केवल वक्तव्य के लिए मंजूर किया जाता है। और जगहों की भी यही शिकायतें हैं।

अब एक श्री बाबूलाल वर्मा का जरवल चीनी मिल के बारे में जो 1 अप्रैल, 1975 से बन्द हो गयी है और मजदूरों तथा कृषक परिवारों में इससे असन्तोष है। चीनी एवं गन्ना मन्त्री ने इस पर बयान दिया है। जब यह अनुदान आवे तब आप इस पर भाषण दे सकते हैं। मुझे भी बकाये पर दुख है।

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)--

समस्या यह तात्कालिक है। मिल बन्द होने से गन्ना सूख रहा है और 27 लाख रुपए की हानि का सवाल है। सरकार को भी चीनी न बनने से नुकसान होगा।

श्री अध्यक्ष—

इसको आवश्यक कार्यवाही हेतु सरकार के पास भेजे देता हूं। एक मोहनलाल जी का पहले स्वीकार कर चुका हूं। फिर किसी दिन आप दे देंगे तब देखा जायगा। वैसे मैंने मन्त्री जी को एक दिन टोका भी था, कि सरकार अपने खजाने से गन्ना उत्पादकों को दे चाहे गन्ना मालिकों से वह वसूल करे या न करे। लेकिन मैं बाध्य नहीं कर सकता।

एक श्री सत्य प्रकाश मालवीय का है काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर श्री केसकर के त्याग-पत्र के सम्बन्ध में ....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

दो उप कुलपतियों ने—रघुकुल तिलक तथा केसकर जी ने त्याग-पत्र दिए राज्य सरकार की दोषपूर्ण शिक्षा नीति के विरोध में और रघुकुल तिलक जी ने तो खास कर राज्य सरकार के रवैये से असन्तोष व्यक्त करते हुए त्याग-पत्र दिया था। 6 महीने के अन्दर दो उप कुलपतियों ने त्याग-पत्र दे दिए।

श्री अध्यक्ष—

इसका कैसे पता चला? उन्होंने कोई बयान दिया हो। माननीय सदस्य को चाहिए कि वह केसकर जी को पत्र लिखें और उनका लिखित उत्तर उनके पास हो। अटकल तथा अनुमान से आप ऐसा नहीं कह सकते। फिर ये स्वायत्तशासी संस्थायें हैं। आपको निश्चित जानकारी होनी चाहिये कि शासन का कहां तक दोष है। आप अटकल लगायेंगे और कोई प्रमाणिकता आपके पास न हो तो कैसे काम चलेगा? डाक्टर केसकर के इस्तीफे की प्रति आपके पास होनी चाहिए।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

वह तो सरकार के पास होगी।

श्री अध्यक्ष—

आप अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न इस तरह से कर लें क्या सरकार के पास डाक्टर केसकर का त्याग-पत्र है और क्या उसे वह सदन के समक्ष रख सकती है?

अब एक श्री ऊदल ने सूचना दी कि प्रदेश के देहाती क्षेत्रों के बारे में। शादी के अवसर पर चीनी की व्यवस्था न होने से लोगों में असन्तोष है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

15 अप्रैल से शादियां हैं और सरकार ने अभी तक कोई निर्देश नहीं दिया है। इस पर आप बयान दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

कार्यवाही के लिए भेज देते हैं.....

श्री ऊदल—

कार्यवाही तो खूब होगी। वह तो हम जानते हैं कि कितनी कार्यवाही होगी। इस पर आप बयान दिलवा दें। यह पालिसी का सवाल है। पूरे प्रदेश का मामला है। हम सवाल नहीं करेंगे, आप बयान दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

आप कागज दे दीजिए, तो हम स्वीकार कर लेंगे। नियमानुसार एक ही स्वीका[illegible] मन्त्री जी भी एतराज करते हैं।

आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

टिहरी डाम से विस्थापित किसानों के पुनर्वास के सम्बन्ध में चर्चा आज न लिए जाने की प्रार्थना माननीय श्री नेगी ने की है। वह अब दिनांक 9 अप्रैल, 1975 को लिया जाएगा।

गेहूं की लेवी व 105 रुपए प्रति क्विन्टल मूल्य के सम्बन्ध में चर्चा माननीया खाद्य मन्त्री की प्रार्थना पर अब दिनांक 9 अप्रैल, 1975 के बजाय दिनांक 10 अप्रैल, 1975 को होगी।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
7 अप्रैल, 1975।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 उत्तर पीछे पृष्ठ 449 पर।)

शकर मिल मजदूर यूनियन
शुगर मिल कालोनी, हरदोई

मांगें

1--यूनियन द्वारा प्रेषित कर्मचारियों की मांग दिनांक 31 जनवरी, 1974 ई0 जो प्रबन्धकों ने अभी तक रद्दी की टोकरी में डाल रखा है अविलम्ब मानी जाए।

2--अनिवार्य बचत योजना की शर्तों का उल्लंघन करके सीजनल कर्मचारियों के लिए वेतन से अब जो कटौती करना शुरू कर दिया है अविलम्ब रोक दिया जाए तथा कटा हुआ धन तुरन्त वापस कर दिया जाए।

3--वर्ष 1972-73 ई0 के न्यूनतम से अधिक बोनस का फैसला हो चुका है बोनस का यह धन श्रमिकों में होली त्योहार के पहले बांट दिया जाए।

4--मिल में बनी एलाटमेंट कमेटी की बैठक अविलम्ब बुला कर रिक्त क्वार्टरों का एलाटमेंट किया जाए।

5--नियमानुसार तथा आपसी समझौता के अनुसार सर्वश्री अहिबरन पुत्र छोटटा बृज लाल पुत्र सूरज बक्स, राय विलास पुत्र बहादुर, अब्दुल मजीद पुत्र सामत अली, मैकू लाल पुत्र कल्याण, सूरज पुत्र हीरा, मजदूर पुत्तन लाल पुत्र लाल स्वीपर तथा विजय बहादुर सिंह को अविलम्ब नौकरी पर वापस लिया जाय तथा उन्हें सीजनल अविलम्ब घोषित किया जाए।

6--मिल में पचहत्तर प्रतिशत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्कर मिल मजदूर यूनियन को तुरन्त मान्यता दिया जाए।

7--श्री मान सहायक श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश पर दिनांक 29 जनवरी 1975 ई0 के अनुसार श्री मुन्ना लाल गुप्ता स्टेनोग्राफर का पैसा अविलम्ब भुगतान किया जाए।

8--मिल में रिक्त स्थानों एवं अन्य स्थानों की पूर्ति केवल श्रमिकों की तरक्की एवं उसके आश्रितों द्वारा बिना भेदभाव के यूनियन के माध्यम से किया जाये।

9--प्रबन्धकों की श्रम विरोधी नीति के कारण उत्पन्न औद्योगिक विवादों में श्रमिकों एवं उसके प्रतिनिधियों को भी टी0 ए0, डी0 ए0 तथा स्पेशल छुट्टी, आदि दी जाए।

10--गाड़ी ट्रक, तांगा, ट्रैक्टर आदि को चेक करने वाले कर्मचारियों की अलग से नियुक्ति की जाय तथा उन्हें केन नियम के अनुसार पेमैन्ट का लाइसेन्स दिया जाए।

11--कर्मचारियों के आश्रितों को एवजी देने में जो भेद-भाव किया जाता है उसे अविलम्ब दूर किया जाय तथा प्रबन्धकों के पास पड़ी दरख्वास्तों वाले कर्मचारियों को एवजी अविलम्ब दिया जाए।

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 451 पर।)

1974-75 के कराधान का ब्योरा

अतिरिक्त कराधान

1---स्टाम्प ड्यूटी की दरों में वृद्धि।

2---मनोरंजन कर की दर में वृद्धि।

3---माल पर कर की दर में वृद्धि।

4---मोटर गाड़ियों पर रोड टैक्स की दरों में वृद्धि तथा भारी गाड़ियों की भार-क्षमता में वृद्धि।

5---राज्य आबकारी शुल्क की कतिपय मदों की दरों में वृद्धि।

6---मोटर स्प्रिट पर बिक्री-कर की दरों में वृद्धि।

7---कतिपय वस्तुओं की बिक्री-कर की दरों में परिवर्तन आदि।

8---यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न सुख-साधनों के सुसज्जित बड़े तथा महंगे होटलों पर प्रशुल्क आरोपित किया जाय। इससे सम्बन्धित विधेयक विधान मन्डल द्वारा पारित कर दिया गया है और इस प्रशुल्क को लागू करने के लिए आवश्यक नियम बनाए जा रहे हैं।

9---गन्ने पर क्रय-कर (मिल तथा खन्डसारी दोनों) की दरों में वृद्धि तथा अनुज्ञप्ति शुल्क की दरों में वृद्धि।

10---भू-राजस्व ---
सवा छः एकड़ तक की जोतों पर पुनः लगान लगाया गया।

11---विकास कर की दरों में वृद्धि।

12---विद्युत् टैरिफ की दरों में वृद्धि।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 471 पर।).

बदायूं नगर की सस्ते गल्ले की दुकानों का विवरण

क्रम-सं0	दुकान के मालिक का नाम व पता	दुकान का स्थान	सम्बद्ध यूनिटों की संख्या
1	2	3	4
1	श्री राम औतार वैश्य, नि0 मु0 कूचा, सादअली	कनसैन ..	2,831
2	श्री चेतराम राम दयाल, मु0 शहबाजपुर, ..	शाहबाजपुर ..	2,898
3	श्री राम प्रसाद गुप्त, नि0 मु0 टिकटगंज ..	टिकटगंज ..	3,260
4	श्री प्यारे लाल गुप्ता, नि0 मु0 जालन्धरी सराय	सिविल लाइन्स	3,200
5	सर्वश्री सुलतान खां नवाब अली, नि0 मु0 सौथा	सौथा ..	2,636
6	श्री नाजिम हुसैन, नि0 मु0 सौथा ..	सौथा ..	3,075
7	सर्वश्री दुन्नू लाल राजन लाल, नि0 मु0 लौटनपुरा	लोटनपुरा ..	2,896
8	सर्वश्री सीताराम रमेश चन्द्र, नि0 मु0 भांजीटौला	भांजी टोला ..	3,264
9	श्री पौशाकी लाल, नि0 मु0 गड़इया, शाहबाजपुर	चकला नीम	2,828
10	श्री हरीश चन्द्र, नि0 मु0 चाहमीर ..	चाहमीर ..	2,845
11	श्री चिम्मन लाल, नि0 मु0 सय्यदवाड़ा ..	सैयदवाड़ा ..	2,673
12	श्री माता राम नारंग, नि0 मु0 जोगीपुरा ..	जोगीपुरा ..	3,037
13	सर्वश्री रियासत उल्ला शकील अहमद नि0 मु0 चौधरी सराय।	चौधरी सराय ..	2,801
14	श्री जगदीश कुमार नि0 मु0 ऊपरपारा ..	ऊपरपारा ..	2,686
15	सर्वश्री गुलजारी लाल प्यारे लाल, निवासी मु0 जलन्धरी सराय।	करमेकलगंज ..	2,829
16	श्री रामधन मदान, नि0 मु0 खन्डसारी ..	जोगीपुरा	3,064
17	सर्वश्री नत्थू व तौसीफ रजा खां, नि0 हसनघेर	हसनघेर ..	2,800
18	श्री ईसार हुसैन, नि0 मु0 मौलवी टोला ..	हसनघेर ..	3,000
19	सर्वश्री सिकन्दर हुसैन निसार हुसैन, नि0 मु0 जोगीपुरा।	कबूलपुरा ..	3,228
20	सर्वश्री जगदीश चन्द्र अशोक कुमार नि0 मु0 ब्राम्हपुर।	ब्राह्मपुर ..	2,800
21	श्री वाहिद हुसैन, निवासी मुहल्ला, खान्डसारी	सौथा ..	2,838

1	2	3	4
22	सर्वश्री श्याम लाल आनन्द बाबू, नि0 जलन्धरी सराय।	जलन्धरी सराय ..	2,698
*23	सर्वश्री महबूब हुसैन, जाहिद हुसैन, नि0 मु0 खन्डसारी।	सिविल लाइन ..	3,500
24	श्री बाबू राम आर्य, नि0 मुहल्ला ब्रम्हपुर ..	ब्रम्हपुर ..	3,800
25	श्री कुन्दन लाल कमल कुमार, नि0 सय्यदवाड़ा	शेख पट्टी ..	3,235
26	मे0 राम स्वरूप राम प्रकाश, नि0 मु0 कानसेन ..	कटरा ब्राम्हपुर ..	3,005
27	मे0 छोटे लाल सालिगराम, नि0 मु0 सैयदवाड़ा,	मढ़ई चौक ..	3082
28	मे0 रघुवर दयाल नरेश चन्द्र, नि0 मु0 मढ़ई चौक	मढ़ई चौक ..	3,266
29	मे0 कन्हैयालाल हरकिशोर नि0 मु0 चौधरी सराय।	कूंचा सादअली ..	2,819
30	श्री सोम दत्त, नि0 मु0 घन्टाघर ..	कलक्ट्रेट ..	2,864
31	रिजर्व इन्स्पेक्टर पुलिस लाइन्स/रिजर्व इन्सपेक्टर पुलिस लाइन के नाम एग्रीमेन्ट किया गया है।	पुलिस लाइन ..	1,050

*नोट—सर्वश्री महबूब हुसैन जाहिद हुसैन की सस्ते गल्ले की दुकान माह जनवरी, 1975 से निलम्बित है। इनकी दुकान के यूनिट निकट की दो अन्य दुकानों से सम्बद्ध कर दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 471 पर।)

मनोरंजन कर के अपवंचन की रोकथाम के उद्देश्य से दिसम्बर, 1973 में चार क्षेत्रीय सचल दलों की स्वीकृति हुई थी। उनमें से पहले बरेली में सचल दल स्थापित किया गया। शासन की जानकारी में यह बात आई है कि उक्त स्थापित सचल दल ने अपने कार्य क्षेत्र में मनोरंजन कर की चोरी की रोक-थाम का कार्य को बड़े कारगर ढंग से किया और कर की चोरी पर रोक लगाई और मनोरंजन कर से होने वाले राजस्व में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई। अन्य क्षेत्रों में भी मनोरंजन कर की चोरी को कारगर ढंग से रोकने के उद्देश्य से अगस्त, 1974 में छः और क्षेत्रीय सचल दलों की स्थापना। एक-एक सहायक मनोरंजन कर आयुक्त के अधीन की गई। वर्ष 1973 में स्वीकृत शेष तीन क्षेत्रों में भी स्क्वाड के अधिकारियों की तैनाती वर्ष 1974 में की गई। इन सभी (10) सहायक आयुक्तों के क्षेत्र में इनकी सहायता के लिए एक-एक सीनियर मनोरंजन कर निरीक्षक सब इन्सपेक्टर पुलिस, हेड कांस्टेबुल तथा दो-दो कान्स्टेबुल दिए गए हैं। देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, बिजनौर, मुरादाबाद, अलीगढ़ तथा कानपुर जहां स्थायी सिनेमा गृहों की संख्या 10 से अधिक है, में मनोरंजन कर की वसूली प्रभावशाली ढंग से सुनिश्चित करने के लिए एक-एक मनोरंजन कर अवीक्षक नियुक्त किए गए हैं तथा मेरठ एवं लखनऊ में घुड़दौड़ में बाजी लगाने वाली बाजीकर के अपवंचन रोकने के लिए एक-एक मनोरंजन कर अवीक्षक भी नियुक्त किए गए हैं।

2—मनोरंजन कर विभाग में कुशलता लाने एवं कर की अपवंचन रोकने के लिए वर्ष 1974 में उपरोक्त के अतिरिक्त मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड-1 की संख्या 14 से बढ़ाकर 25 (स्क्वाड के साथ जो 10 निरीक्षक तैनात हैं, इन 25 निरीक्षकों के अतिरिक्त हैं) तथा ग्रेड—2 की संख्या 63 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है, जिससे प्रत्येक निरीक्षक 4 से 5 स्थाई सिनेमा गृहों का निरीक्षण प्रत्येक दिन कर सके।

3—मुख्यालय में मनोरंजन कर आदि से सम्बन्धित विस्तृत आंकड़े सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तथा लेखों की जांच का कार्य अधिक सुचारु रूप से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अगस्त, 1974 में सांख्यकीय सैल की स्थापना की गई तथा सहायक लेखा अधिकारी एवं दो लेखानिरीक्षक भी नियुक्त किए गए।

4—वर्ष 1962 से प्रदेश बिक्री-कर आयुक्त को मनोरंजन कर आयुक्त का कार्य-भार भी सौंपा गया था। मनोरंजन कर विभाग के कार्य में और अधिक तेजी तथा चुस्ती लाने के उद्देश्य से 28 फरवरी, 1975 से एक पूर्णकालिक मनोरंजन कर आयुक्त की नियुक्ति कर दी गयी है।

5—उपरोक्त व्यवस्था से वित्तीय वर्ष 1974-75 में आय में लगभग एक करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी की सम्भावना है।

नारायण दत्त तिवारी
वित्त मन्त्री।

नत्थी

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर

सहकारी गन्ना विकास समिति लि० छितौनी, खड्डा तथा लक्ष्मीगंज में 1-6-74 को जो स्टाक उपलब्ध

क्रम-सं0	नाम गन्ना समिति	1-6-74 को स्टाक की मात्रा तथा नाम खाद		1-6-74 को जो स्टाक उपलब्ध था उसके				
		खाद का नाम	मात्रा	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	छितौनी	यूरिया ..	122-350	0-350	120-05	31-950	..	..
		अ0 स0	4-300	..	2-00	1-902	..	0-100
		म्यूरिट आफ पोटास	14-950	..	..	0-450	..	7-650
2	खड्डा	यूरिया	192-250	3-325	103-500	84-475	0-450	0-450
		अ0 स0	0-782	..	..	..	..	0-700
		म्यूरिट आफ पोटास	24-450	0-550	0-100	0-525	01-350	6-900
3	लक्ष्मीगंज	यूरिया ..	35-400	35-400	..	..	..	..
		अ0 फा0 ..	18-500	18-500	..	..	..	..
		सुपर फास्फेट	5-100	..	4-700	0-200		0-200
		मूरिट आफ पोटास	7-350	..	5-100	..	.	1-850
		सुफला ..	0-350	..	..	..	..	..

'ङ'

पीछे पृष्ठ 472 पर।)

था उसके वितरण की तालिका (इकाई मे 0 टन) जनपद देवरिया (ए० उ०) पडरौना

वितरण की मात्रा तथा माह का नाम						अवशेष न बटने का कारण
नम्वम्बर	दिसम्बर	जनवरी	मार्च	योग		
10	11	12	13	14	15	16
..	..	..	..	152-350	..	
..	..	..	..	4-000	0-300	बोरे कटे फटे
5-100	0-650	0-100	..	14-950	..	होने के कारण कृषक नहीं ले गए।
..	0-625	..	0-020	192-250	0-005	गोदाम में
0-082	..	..	..	0-782	..	शार्टिग (कमी)
12-475	2-150	0-400	..	24-450	..	
..	..	..	..	35-400	..	
..	..	..	..	18-500	..	
..	..	..	..	5-100	..	
0-400	..	..	..	7-350	..	
..	..	..	..	..	0-350	बोरे फटे फटे होने के कारण कृषक नहीं ले गए।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 473 पर।)

31-3-72 से 31-12-74 तक उन्नाव जनपद में बांटे गये औद्योगिक ऋणों की सूची

क्रम सं0	समिति/पार्टी का नाम	वित्तीय वर्ष	धनराशि	कार्य की स्थिति	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
	1—औद्योगिक सहकारिता योजना—				
1	आजाद रंगाई छपाई उद्योग सहकारी समिति लि0, उन्नाव।	1972-73	1,500	संतोषजनक स्थिति में कार्यरत।	20
2	फैन्सी सूत रंगाई उद्योग सहकारी समिति लि0 बांगरमऊ, उन्नाव।	1972-73	3,000	नहीं है	20
3	हरिजन फैन्सी लेदर इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसिएशन लि0, पूरननगर, उन्नाव।	1973-74	4,950	सुचारु रूप से चलाने का प्रयास किया जा रहा है।	17
4	हरिजन डेरी औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि0, 16, गिरजाबाद, उन्नाव।	1973-74	7,050	तदेव	15
	2—हस्तकला योजना—				
1	हरिजन कलात्मक चर्म औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि0, पुरवा उन्नाव।	1972-74	2,500	कार्यरत है।	6
2	श्रीमती हसरानी देवी, निवासी दुपरापुरवा, उन्नाव।	1972-74	4,000	तदेव	2
3	रंगाई छपाई उद्योग सहकारी समिति लि0, जेर, खिड़की, उन्नाव।	1972-74	2,500	तदेव	5
	3—उ0 प्र0 वित्तीय निगम—				
1	सर्वश्री उन्नाव प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, उन्नाव।	1972-74	26,000	औद्योगिक प्रतिष्ठान बन्द हैं।	सूचना उपलब्ध नहीं है।
2	सर्वश्री सीमा उद्योग, उन्नाव ..	1972-74	60,000	कार्यरत है	तदेव

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 473 पर।)

संलग्नक—1

इलाहाबाद नगर की वर्ष 1974 में निलम्बित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के नाम तथा उनके विरुद्ध आरोप का संक्षिप्त विवरण

क्रम-सं0	दुकानदार का नाम व पता	आरोपों का संक्षिप्त विवरण
1	2	3
1	श्री हीरा लाल, सूबेदार गंज	हीरा लाल की दुकान से 2 बोरा गेहूं बगल की आटा चक्की पर स्थानान्तरण किया जाना।
2	श्रीमती चम्पा देवी, ममफोर्डगंज	बिना राशन कार्ड के 5 किलो गेहूं नियन्त्रित दर से अधिक दर (1.50 पैसे प्रति किलो) पर बेचा जाना।
3	कीटगंज सी0सी0एस0, कीटगंज	कार्ड धारकों को दुकानदार द्वारा राशन कार्ड पर चीनी माह मार्च, 1974 में न देना।
4	श्री बिशन लाल, मीरगंज	दुकान निर्धारित समय से न खुलना।
5	श्रीमती शती बसु, सोहबतियाबाग	दुकान का गेहूं, चावल संदिग्ध अवस्था में ब्लैक करने के उद्देश्य से एक ट्राली पर लदा देखा जाना।
6	अब्दुल रफूफ बिगुलर, सब्जी मंडी	दुकान बिना किसी उचित कारण के बन्द रखना तथा कार्ड धारकों को राशन लेने में कठिनाई।
7	श्री जीत लाल, हरवारा	दिनांक 31 अगस्त, 1974 को रात्रि के 9.40 बजे तक दुकान संदेहात्मक अवस्था में खुली पाया जाना तथा एक व्यक्ति को दो राशन कार्डों पर गल्ला देने की चेष्टा करना।
8	श्री महेश चन्द्र गुप्ता, कीटगंज	बिना पर्याप्त कारण के दुकान बन्द पाया जाना तथा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न निर्गत करना तथा समय से खाद्यान्न न उठाया जाना।
9	श्री भोला नाथ, अकबरपुर	दुकान खोलने की अनुमति मोहल्ला अकबरपुर में दी गयी थी परन्तु बिना अनुमति दुकान अकबरपुर के बजाए खुल्दाबाद में खोलकर आदेश की अवहेलना।
10	नेशनल सी0सी0एस0, सब्जी मंडी	दुकान बिना कारण के बन्द रखना जिससे कि कार्ड धारकों को राशन लेने में कठिनाई तथा सोसाइटी द्वारा इस दुकान को ठेके पर एक व्यक्ति को उठा देना।
11	श्री नारायण दास, दारागंज	दुकान अकारण बन्द रहना तथा गल्ला समय से न बंटना।
12	श्री भोला नाथ वर्मा, नैनी	गल्ला तथा चीनी का रुपया निश्चित समय के अन्दर जमा न करना।

1	2	3
13	फल विक्रेता संघ	चीनी व गल्ला नाजायज तरीके से बचना।
14	श्री गंगा प्रसाद, कटरा	समय से गल्ला वितरित न करना तथा दुकान पर अनधिकृत लोगों द्वारा गल्ला बांटना तथा गुन्डा गर्दी।
15	श्री कुंज विहारी लाल, नूरुल्ला रोड।	सड़ा आटा बेचना।
16	श्री कृष्ण प्रसाद केदारनाथ	कार्ड धारक को समय से राशन वितरण न करना व अकारण दुकान बन्द रखना।
17	श्री संगमलाल कैसरवानी; निकासकोन	कार्ड धारकों के साथ दुर्व्यवहार एवं समय से गल्ला वितरित न करना।
18	श्री निसार खां, डायमन्ड रोड	अधिकतर दुकान बन्द रहना जिससे राशन मिलने में कठिनाई।
19	श्री नरेन्द्र कुमार सुभाष चन्द्र, कर्नलगंज।	निर्धारित मात्रा से कार्ड धारकों को चीनी कम देना।
20	श्री किशोरी लाल, रसूलाबाद	निर्धारित समय के अन्दर इन्डेन्ट पास न कराना जिससे दुकान पर समय से गल्ला न पहुंचना व कार्डधारकों को गल्ला न मिलना।
21	श्री विजय कुमार, सम्मेलन मार्ग	समय से खाद्यान्न का इन्डन्ट पास न कराना।
22	श्री दक्खी लाल, अतरसुइया	अगस्त, 1974 से राशन न मिलना तथा दुकानदार का व्यवहार ठीक न होना तथा मनमाने ढंग से दुकान का खोलना व बन्द करना।
23	श्री रेलवे सी0सी0 एस0, बलईपुर	अकारण दुकान बन्द होना तथा कार्ड धारकों को राशन लेने में कठिनाई।
24	श्री मुन्नी लाल, गुड़ की मंडी	कार्ड धारकों को अक्तूबर के द्वितीय पक्ष का गेहूं न मिलना।
25	मधवापुर सी0सी0 एस0	अकारण दुकान बन्द रहना तथा निर्धारित समय के अन्दर खाद्यान्न न उठाना।
26	श्री हीरा लाल, सुलेम सराय	कार्ड धारक के इस जनपद से चले जाने पर भी राशन कार्ड पर गल्ला दिया जाना दिखाना।
27	श्री इन्द्र किशोर, नैनी	समय से दुकान न खोलने से कार्ड धारकों को परेशानी तथा समय से खाद्यान्न न उठाना तथा वितरित करना।
28	उत्तर प्रदेश ओ0 वि0 संघ, दाराशाह अजमल।	निर्धारित कोटा एवं समय से खाद्यान्न उठाकर न वितरित करना और अकारण दुकान बन्द रखना।
29	श्री प्यारे मोहन साहू, खसीफा मन्डी।	दुकान माह में केवल 5 व 6 दिन खोलना एवं शिकायत कर्ता को माह अक्तूबर व नवम्बर की चीनी न देना तथा दुकान गल्ले की मन्डी में स्थित होना।
30	मीरगंज सी0सी0एस0 शहराराबाद।	दीपावली त्योहार के अवसर पर दुकान न खोलना एवं कार्ड धारकों को खाद्यान्न एवं चीनी का न वितरित करना।

1	2	3
31	श्री भगवान दीन, पानदरीबा	अकारण दुकान बन्द रखना तथा समय से खाद्यान्न आदि उपलब्ध न रहना।
32	श्री महेश चन्द्र गुप्त, एलनगंज	दुकानदार की वितरण व्यवस्था ठीक न होना।
33	श्री गया प्रसाद, बहादुरगंज	दुकान समय से न खोलना, गल्ला, विशेषकर वनस्पति ठीक से वितरित न किया जाना।
34	श्री बृजेन्द्र बहादुर, कटरा	अकारण दुकान बन्द रहना, समय से खाद्यान्न व चीनी उपलब्ध न रहना।

संलग्नक 2

इलाहाबाद नगर की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें जिनकी जांच वर्ष 1974 में मजिस्ट्रेट द्वारा कराई गयी तथा जांच रिपोर्ट का सारांश

क्रम-सं0	दुकानदार का नाम व पता	जांच रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण
1	2	3
1	श्री हीरा लाल, सूबेदारगंज	62 कि0 बनस्पति की फर्जी बिक्री तथा 2 कि0 वनस्पति की कमी व 4 कि0 मैदा की कमी पायी गयी।
2	श्री जीत लाल, हरवारा	रजिस्टर के अनुसार दुकान पर एक कुन्टल चीनी स्टाक में कम पायी गयी जिसका दुरुपयोग दुकानदार ने किया। इसके अतिरिक्त गेहूं के स्टाक में 0.12.500 कि0 की कमी पायी गयी। रात में 9.30 से 10.00 के बीच दुकान खोलना सन्देहात्मक पाया गया।
3	श्री गंगा प्रसाद, कटरा	एक कार्डधारक जो इलाहाबाद से दिनांक 1 जून, 1974 को स्थानान्तरित होकर बाहर चले गये थे उनके नाम पर दुकानदार ने बिक्री रजिस्टर में फर्जी इन्दराज किया जबकि राशन कार्ड पर कोई इन्दराज नहीं पाया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 473 पर।)

कुन्दन शुगर मिल द्वारा 1 जुलाई, 1973 से 30 जून, 1974 एवं 1 जुलाई, 1974 से 28 फरवरी, 1975 तक मिल की मरम्मत आदि हेतु क्रय की गई मशीनों एवं मिल स्टोर्स के पूर्ति कर्त्ताओं की तालिका निम्न प्रकार है :—

1—मेसर्स मास्टर मिल स्टोर्स एन्ड मेटाल कम्पनी, 77/145, लाटूश रोड, पोस्ट बाक्स नं0 400, कानपुर (यू0पी0)।

2—मेसर्स शान्ति स्वरूप राजकुमार, मुरादाबाद।

3—मेसर्स मुरादाबाद मिल स्टोर्स, स्टेशन रोड, मुरादाबाद।

4—मेसर्स श्री नरसिंह सहाय मदन गोपाल इलेक्ट्रिक कम्पनी (प्रा0) लि0 37/19-ए, महात्मा गांधी रोड, कानपुर।

5—मेसर्स लालको (इंडिया) प्रा0 लि0, बेगम ब्रिज रोड, अपोजिट गवर्नमेंट इन्टर कालेज, मेरठ।

6—मेसर्स हिन्द ब्रस वेयर इन्डस्ट्रीज, बड़ापुल, नैनीताल, रोड, बरेली।

7—मेसर्स सिनटेक्स ट्यूब वर्क्स, जे0 के0 काटन मिल, प्रिमीसेज, कालपी रोड, कानपुर।

8—मेसर्स दी गैस एन्ड मेटल आपरेटरस, 123/453, फजलगंज, फैक्टरी एरिया, कानपुर-12।

9—मेसर्स नन्दाब्रस एन्ड इन्जीनियरिंग वर्क्स, रेलवे रोड, प्रेमपुरी, मेरठ सिटी।

10—मेसर्स जैनसन्स ट्रैक्टरस, 2783, हैमिल्टन रोड, देहली-6।

11—मेसर्स इन्डस्ट्रियल मशीनरी स्टोर्स, बजरंग मार्केट, चावरी बाजार, देहली-6।

12—मेसर्स पाल इन्जीनियरिंग कम्पनी, जी0 टी0 रोड, गाजियाबाद।

13—मेसर्स देलही मशीनरी स्टोर्स, पोस्ट बाक्स नं0 1551, चावरी बाजार, दिल्ली-6।

14—मेसर्स हिन्द इलेक्ट्रिक कारपोरेशन, इलेक्ट्रिकल मार्केट, महालक्ष्मी, मार्केट, चांदनी चौक, दिल्ली-6।

15—मेसर्स रतनजी भगवानजी एन्ड कम्पनी, 3760. चावरी बाजार, दिल्ली-6।

16—मेसर्स जापसिन प्रोडक्स इन्डिया (रजि0) शोरूम, 7 नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज दिल्ली-6।

17—मेसर्स मिलहाड एन्ड कम्पनी, हौज काजी (इनसाइड अजमेरी गेट), दिल्ली-6।

18—मेसर्स के0 के0 मेहरोत्रा एन्ड कम्पनी, (रजि0) एस0-59, ग्रेटर कैलास-1, नई दिल्ली-48।

19—मेसर्स जे0 पी0 इन्डस्ट्रीज, 174 डा0 डी0 नवरोजी रोड, पी0 बी0 नम्बर 1922, बाम्बे-1।

20—मेसर्स रबर इन्जीनियरिंग एन्ड माउल्डिंग कं0, 5 धर्मतल्ला, स्ट्रीट, (लेनिन सरानी), कलकत्ता-13।

21—मेसर्स बी0 आई0 इलेक्ट्रिक कम्पनी, 1842, इलेक्ट्रिकल मार्केट, चांदनी चौक दिल्ली-6।

22—मेसर्स मार्डन इन्डस्ट्रियल ट्रेडर्स, 3459, गली बजरंग बली, चांवरी बाजार, दिल्ली।

23—मेसर्स सेहगल सन्स, ए-14/3, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-1।

24—मेसर्स दी ईश्वर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, पी0 ओ0 ईश्वर नगर, नई दिल्ली, 110020।

25—मेसर्स सीमेन्स इन्डिया लिमिटेड, बी-5, जंगपुरा, मथुरा रोड, नई दिल्ली।

26—मेसर्स मल्टीमेन्टल्स लि0, हैवी इन्डस्ट्रीज एरिया, कनसुवा रोड, कोटा (राजस्थान)।

27—मेसर्स बेस्टोबेल इन्डिया लि0, 311-312, अंसल भवन, 16-कस्तूरबा, गांधी मार्ग, नई दिल्ली।

28—मेसर्स इन्टरनेशनल वायर नेटिंग स्टोर्स, 62, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1।

29—मेसर्स एस0 बी0 इलेक्ट्रिकल कं0, इलेक्ट्रिकल मार्केट, चांदनी चौक दिल्ली-6।

30—मेसर्स इन्डस्ट्रियल मेटल एन्ड वायरमेंस (इंजि0) कं0, 18, आर0 एन0 मुकर्जी रोड कलकत्ता।

31—मेसर्स ब्रिटिश बेल्टर्स एन्ड इन्डस्ट्रियल स्टोर्स एजेन्सीज, 38/103, मेस्टन रोड, पी0 बी0 नं0 300, कानपुर-1।

32—मेसर्स जमीनदारा इन्जीनियरिंग कं0, जी0 टी0 रोड, गाजियाबाद।

33—मेसर्स इन्डस्ट्रियल लेदर एन्ड रबर वर्क्स, पी0 बी0 नं0 2668, 10, कैनिंग स्ट्रीट कलकत्ता—1।

34—मेसर्स जाली इन्डस्ट्रियल स्टोर्स, 32 चावरी बाजार, दिल्ली-6।

35—मेसर्स एंग्लो स्टैन्डर्ड वियरिंग कं0, 40, स्टैन्ड रोड, कलकत्ता-1।

36—मेसर्स कुक्का इन्टरप्राइजेज, 1-ई/18, झंडेवाला एक्सटैन्शन लिंक रोड नयी दिल्ली-।

37—मेसर्स स्टेन्डर्ड इन्जीनियरिंग कं0, 40, स्टैन्ड रोड कलकत्ता -1।

38—मेसर्स मनी लाल एण्ड ब्रदर्स, 6 चावरी बाजार, दिल्ली।

39—मेसर्स एच0 एन0 इलेक्ट्रिकल्स, 1779, दरीबाकलां, चांदनी चौक, दिल्ली-6।

40—मेसर्स डार-ओलीवर (इंडिया) लि0, चकलाअन्धेरी, (ईस्ट) बाम्बे।

41—मेसर्स गोकुल चन्द नारंग एंड कं0 प्रा0 लि0, 3, कैवैलरी लाइंस, दिल्ली-7।

42—मेसर्स एस0 जे0 पटेल, एण्ड कं0 15/3, अरमेनियम स्ट्रीट कलकत्ता-1।

43—मेसर्स सरदार सन्स (रजि0) फैक्टरी एरिया, पटियाला (पंजाब)।

44—मेसर्स आर0 एच0 पी0 इन्डस्ट्रीज, इन्डस्ट्रियल इस्टेट, गोरखपुर।

45—मेसर्स गुरुचरन इन्डस्ट्रीज, जोया रोड, अमरोहा।

46—मेसर्स फैक्ट्री स्टोर्स कारपोरेशन, 3603, चावरी बाजार, दिल्ली-6।

47—मेसर्स एलाएड मिल स्टोर्स, 5 चन्द मोकेट, हौजकाजी, दिल्ली-6।

48—मेसर्स एस0 सी0 कुमार एन्ड कम्पनी, 59, शारदा नन्द मार्ग, दिल्ली।

49—मेसर्स विक्टर मशीनरी स्टोर्स, 3379/9, हकिम बाका स्ट्रीट, हौज काजी दिल्ली-6।

50—मेसर्स रामजी लाल राम स्वरूप, हौजकाजी, दिल्ली 6।

51—मेसर्स देलही इलेक्ट्रोमेकस सप्लाईज, 235, अजमेरी गेट, दिल्ली-6।

52—मेसर्स नेशनल स्टोर्स सप्लाई एजेन्सीज, 34, स्ट्रान्ड रोड कलकत्ता-1।

53—मेसर्स डाटसन्स रविराज एन्ड कम्पनी, (प्रा0) लि0, 43, तमरिन्ड स्ट्रीट, फोर्ट बाम्बे।

54—मेसर्स मारडिया मेटलस एजेन्सी, 83, कीका स्ट्रीट, गुलालवाड़ी, बाम्बे।

55—मेसर्स इल्को (प्रा0) लि0, 2 ई/6, झंडेवाला एक्सटेन्शन, नई दिल्ली।

56—मेसर्स गोपाल आइरन इन्डस्ट्रीज, पुरानागंज, रामपुर।

57—मेसर्स विशम्बर दयाल, बद्रीप्रसाद, मोतिया खां, दिल्ली।

58—मेसर्स हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, दि माल, कानपुर।

59—मेसर्स दी टाटा आइरन स्टील लि0, दी माल कानपुर।

60—मेसर्स भाटिया ब्रदर्स मोतिया खां, नई दिल्ली।

61—मेसर्स राम लाल खुराना, मोतिया खां, नई दिल्ली।

नत्थी 'झ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 475 पर।)

जनपद बहराइच के विकास खंड इकौना व गिलौला में शकर के कोटेदार निम्नलिखित हैं :—

इकौना

क्रम-सं0	नाम कोटेदार	न्याय पंचायत जहां की दुकान दी गयी है	निवास स्थान गांव/न्याय पंचायत
1	2	3	4
1	श्री ताराचन्द यादव ..	कटरा ..	कटरा
2	श्री आदित्य प्रसाद मिश्र	लालपुर खदरा	माफीपारा इटवरिया न्याय पंचायत लालपुर खदरा।
3	श्री रामेश्वर प्रसाद ..	इकौना ..	इकौना
4	श्री अब्दुल लतीफ खां ..	रमवापुर ..	शिवपुर बनवट/रमवापुर
5	श्री रमाकान्त ..	खर्च वीरान ..	मदारा/खर्चवीरान
6	श्री वाजिद खां ..	बीरपुर मंसाराम	बीरपुर मंसाराम
7	श्री स्वामी दयाल ..	नरायनजीत ..	इकौना
8	श्री बाबा दीन ..	टन्डवा महन्त ..	परसौरा माफी/अन्डवा महन्त
9	श्री सूरज लाल ..	मनोहरापुर ..	गुसाई पुरवा/मनोहरापुर
10	श्री राम सूरत ..	कल्यानपुर ..	बिदुहनी/कल्यानपुर

गिलौला

1	श्री श्यामनरायन कामता प्रसाद	गिलौला ..	गिलौला
2	श्री राम चन्दर ..	लंगडीगूलर ..	धुरमापरसिया/लंगडीगूलर
3	श्री लल्लन बिहारी ..	रतनापुर ..	गिलौला
4	श्री त्रिलोकी नाथ ..	सुक्खा ..	रामपुर पेन्डा/सुक्खा
5	श्रीमती कलावती देवी ..	परवपुर ..	गिलौला
6	श्री प्रकाशचन्द ..	नेवरिया ..	हुसेनपुर खुरेहरी/नेवरिया
7	श्री सत्यनारायण ..	रामपुर गिलौला	गिलौला
8	श्री शिव प्रसाद ..	ककन्धू ..	तुलसीपुर/ककन्धू
9	श्री स्वामी दयाल ..	रामगढ़ी ..	गिलौला
10	श्री शिवप्रसाद ..	कल्यानपुर	गिलौला
11	श्री सावन सहकारी समिति	नीवभारी ..	नीवभारी

पी0एस0यू0पी0—एल0 118 वि0 सभा (533)—1976—8401